तृतीय माला, खण्ड २२—अंक २

मंगलवार, १९ नवम्बर, १९६३
२८ कार्तिक, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(छठा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड २२ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित* प्रश्न संख्या ३१ से ३८	१३३–५६
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३९ से ५० और ५२ से ६० .	१५७–७०
अतारांकित प्रश्न संख्या ६६ से १६२	१७०–२१३
स्थगन प्रस्ताव और कार्यवाही वृत्तान्त में शुद्धि के बारे में	२१३–१८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	२१८–२४
पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों की जासूसी की गतिविधियां	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२२४–२५
रेलवे दुर्घटना के बारे में	२२५
देश में चावल की स्थिति के बारे में वक्तव्य	२२५–२९
चीनी की समस्या के बारे में वक्तव्य	२२९
अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित	२२९
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के बारे में प्रस्ताव	२३०–४२
श्री हेडा	२३०–३३
श्री अ० कु० सेन .	२३३–३६
श्री उ० मू० त्रिवेदी	२३६–४०
डा० राम मनोहर लोहिया	२४०–४२
स्थगन प्रस्ताव	२४३––६३
श्री वालकॉट का भाग निकलना	२४३
श्री नाथ पाई .	२४३–४६
श्री इन्द्रजीत गुप्त	२४६–४७
श्री उ० मू० त्रिवेदी	२४८
श्री जोकीम आल्वा	२४८–४९

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

मंगलवार, १९ नवम्बर, १९६३

२८ कार्तिक, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भूमि सर्वेक्षण

+

†*३१. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री वारियर :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :
श्री कोया :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश के व्यापक भूमि सर्वेक्षण के लिये किसी कार्यक्रम को अनुमोदित किया है और उसे अन्तिम रूप दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस कार्यक्रम की रूपरेखा तथा संगठनात्मक ढांचा क्या है और उस पर कितनी राशि व्यय होगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) भूमि सर्वेक्षण संगठन केन्द्र में तथा कुछ राज्यों में पहले से ही वर्तमान हैं। योजना आयोग द्वारा स्थापित प्राकृतिक

†मूल अंग्रेजी में

संसाधन समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि इन संगठनों को सुदृढ़ बनाया जाय तथा इस समय जिन राज्यों में ऐसे संगठन नहीं हैं वहां उन्हें स्थापित किया जाय ताकि एक क्रमगत कार्यक्रम के अधीन २० वर्ष की अवधि में भूमि संसाधनों का सर्वेक्षण किया जाय ।

(ख) आवश्यक जानकारी देने वाला एक टिप्पण सभा-पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०—१८२६/६३]

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या यह सच नहीं है कि व्यापक भूमि सर्वेक्षणों की आवश्यकता सरकार द्वारा पहले पहल द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ही महसूस की गई थी और क्या यह सच नहीं है कि अधिकतर इन भूमि सर्वेक्षणों की पूर्ति में विलम्ब के कारण ही कृषि के क्षेत्र में योजना बनाने में त्रुटियां रह गई हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : जी हां ; यही विवरण हम ने सभा पटल पर रखा है ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार समझती है कि वह देश में व्यापक भूमि सर्वेक्षणों को उस धनराशि के साथ, जिस का कि इस समय व्यय किये जाने का विचार है, चौथी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक पूरा कर सकेगी और यदि नहीं तो क्या सरकार भूमि सर्वेक्षण संगठन को सुदृढ़ बनाने तथा भूमि सर्वेक्षणों को चौथी योजना के अन्त तक पूरा करने के हेतु अधिक धन खोजने के लिये उपाय कर रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : वर्तमान आवंटन के अनुसार सर्वेक्षण को चौथी योजना के अन्त तक पूरा करना सम्भव नहीं होगा । परन्तु प्रयत्न यही होगा कि आवंटन को बढ़ाया जाये । जैसाकि माननीय सदस्य ने देखा होगा, तीसरी योजना में ६४.६७ लाख रुपये का उपबन्ध पहले ही किया जा चुका है । हम ने और आवंटन के लिये कहा है ।

†**श्री वारियर :** क्या मैं जान सकता हूं कि राज्यों में इस संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिये केन्द्र द्वारा किन उपायों का सुझाव दिया गया है ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** चार मुख्य केन्द्र हैं । इस समय सारा काम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा समन्वित किया जा रहा है और यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के निदेशक के अधीन चल रहा है । एक केन्द्रीय मानचित्र कला प्रयोगशाला भी है जो भूमि सर्वेक्षण संगठन के मुख्यालय से सम्बद्ध है । इस के अतिरिक्त हम ने राज्य सरकारों को अपने केन्द्र खोलने के लिये कहा है । जैसाकि मैं ने अपने मुख्य उत्तर में कहा है, बहुत से राज्यों ने अपने केन्द्र स्थापित कर लिये हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** यह संगठन क्योंकि केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर बन चुका है, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार देश के कितने भाग को भूमि सर्वेक्षण के अन्तर्गत ला पाई है ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** मुख्य काम इस समय मुख्यतः बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं तक सीमित है—१० नदी घाटी परियोजनायें : १. दामोदर घाटी निगम, २. भाखड़ा-सतलुज परियोजना, ३ तथा ४. मचकुंड परियोजना, ५ तथा ६. हीराकुड परियोजना तथा हीराकुड परियोजना का जलागम क्षेत्र, ७ तथा ८. चम्बल ९. कोसी और १०. मयूराक्षी जहां से मेरे माननीय मित्र आते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय संगठन तथा राज्य संगठनों में किस प्रकार का सहयोग होता है तथा क्या राज्य संगठन स्वतंत्र हैं अथवा उन्हें केन्द्रीय संगठन के कुछेक निदेशों का पालन करना पड़ता है ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** वस्तुतः काम में समन्वय सम्मिलित है क्योंकि भाखड़ा, राजस्थान या चम्बल क्षेत्र में किसी भी राज्य संगठन के लिये केन्द्रीय संगठन से स्वतंत्र रह कर काम करना संभव नहीं होगा और इसलिये उन्हें अपने काम को तेजी से करने के लिये घनिष्ठ सहयोग से काम करना ही पड़ता है ।

†**श्री कोया :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राज्यों ने अपनी योजनाओं को चलाने के लिये केन्द्र से अधिक सहायता की मांग की है ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** जी नहीं, अभी तक नहीं; परन्तु जब कार्यक्रम का विस्तार होगा तो वे सहायता की मांग करेंगे ही । परन्तु अभी तक हमें कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

पाक-चीन हवाई समझौता

+

†*३२. **श्री हेम बरुआ :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री पवन :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के विदेश मंत्री, श्री जैड ए० भुट्टो, द्वारा दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि यदि भारत अपने क्षेत्र के ऊपर हो कर विमानों के उड़ने की अनुमति नहीं भी देगा तो भी पाकिस्तान चीन के साथ हुए अपने समझौते के अधीन विमान सेवायें प्रारम्भ कर देगा ; और

(ख) यदि हां, तो वास्तविक स्थिति क्या है और उक्त वक्तव्य के प्रति भारत की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) जी हां । समाचारपत्रों के समाचारों के अनुसार पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने १२ सितम्बर, १९६३ को कहा था कि यदि भारत अपने क्षेत्र के ऊपर हो कर विमानों के उड़ने की अनुमति नहीं भी देगा तो भी पाकिस्तान चीन के साथ हुए अपने समझौते के अधीन विमान सेवायें प्रारम्भ कर देगा ।

(ख) हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान एयरलाइन्स द्वारा ढाका से कैंटन तक उड़ान किस रास्ते से होगी ।

†**श्री हेम बरुआ :** यदि यह पाकिस्तानी धमकी का रूप ले लेती है और पाकिस्तान अपने वायुयानों को सचमुच ही हमारे क्षेत्र पर से उड़ाता है तो क्यामैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इसे

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारी वायु सीमा का उल्लंघन मानने के लिए तैयार है ; यदि हां, तो क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि सरकार ने पाकिस्तान की इस हठधर्मी के विरुद्ध कौन से उपाय सोचे हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** माननीय सदस्य जानते हैं कि लुशाई पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां तथा मनीपुर ताल्लुक वर्जित क्षेत्र हैं जहां प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुमति के बिना कोई भी वायुयान उड़ान नहीं कर सकता । इन परिस्थितियों में माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न काल्पनिक है ।

†**श्री हेम बरुआ :** जी नहीं, श्रीमान । क्या मैं निवेदन कर सकता हूं . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझा देता हूं । वह अपने स्थान पर बैठ जायें । यदि वे वर्जित क्षेत्र या हमारे क्षत्र पर उड़ान करते हैं तो क्या वह हमारी वायु सीमा का उल्लंघन होगा ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** निस्सन्देह, यह उल्लंघन होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** तो फिर अगला सवाल कि क्या कार्यवाही की जायेगी काल्पनिक है ।

†**श्री हेम बरुआ :** पाकिस्तान को हमारे क्षेत्र पर से अपने वायुयान उड़ाने की अनुमति न देने का मुख्य कारण क्या है ? यदि आधारभूत कारण राजनैतिक हैं तो क्या सरकार का विचार अधिक कड़े उपाय करने का है ?

†**श्री मुहीउद्दीन:** इसमें शक नहीं कि कारण सुरक्षा के कारण हैं । जिस तरह सुरक्षा के कारणों से किसी भी विमान की उड़ान के लिये नेफा में वर्जित क्षेत्र हैं-- यह केवल पाकिस्तान की सेवाओं के लिये ही नहीं है, यह सभी विमानों पर लागू होता है—इसी तरह, सुरक्षा कारणों के आधार पर इन क्षेत्रों को किसी भी विमान की उड़ान के लिये वर्जित कर दिया गया है ।

†**श्री हेम बरुआ :** श्रीमान, मेरा एक औचित्य प्रश्न है । यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है । मुझे इस चीज से कोई वास्ता नहीं कि ये क्षेत्र वर्जित हैं या नहीं । मैं जानता हूं कि आसाम में ये इलाके वर्जित क्षेत्र हैं । आधारभूत प्रश्न यह है कि जब हम बाहर के किसी देश को अपने देश पर से विमान उड़ाने की आज्ञा नहीं देते हैं और वे हमारे मना करने के बावजूद ऐसा करते हैं तो क्या उसे गम्भीरता-पूर्वक लिया जायेगा या नहीं ? यह है मेरा प्रश्न । सारे उत्तर चांदनी की तरह धूमित हैं ।

†**श्री मुहीउद्दीन :** यह उल्लंघन है । यह गम्भीरता का प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह इन शब्दों में उत्तर चाहते हैं कि क्या इस चीज़ को गम्भीरतापूर्वक लिया जायेगा या नहीं ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** इसे गम्भीरतापूर्वक लिया जाएगा ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: क्या मैं यह जान सकता हूं कि मिस्टर भुट्टो के समाचारपत्रों में इस वक्तव्य के प्रकाशित होने के बाद अथवा चीन और पाकिस्तान का यह समझौता होने के बाद, भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को कोई विरोध पत्र आदि भेजे हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मुहीउद्दीन : कोई जरूरत विरोध पत्र भेजने की नहीं है, इसलिए कि कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क से कोई भी समझौता कर सकता है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार ने पड़ोसी देशों को इस मामले में लिखा है, जापान को, बर्मा को, और दूसरे देशों को, कि वह अपने आसमान के ऊपर से पाकिस्तान को इजाजत न दें जिससे कि हम लोग अपनी रक्षा कर सकें ?

श्री मुहीउद्दीन : मेरे खयाल में इसकी कोई जरूरत नहीं है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या चीन ने हमारी वायु सीमा पर से, चाहे क्षेत्र वर्जित हो या न हो, उड़ान करने की आज्ञा प्राप्त करने के लिये हमारी सरकार को लिखा है तथा क्या विमान उतारने के अधिकारों से इन्कार कर दिये जाने के बाद भी वह इस मार्ग को खोलने पर जोर दे रहे हैं ? क्या सरकार के पास इस बारे में कोई जानकारी है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** हमें ऐसी कोई प्रार्थना नहीं मिली है ।

†**श्री बसुमतारी :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर गया है कि हाल ही में एक पाकिस्तानी विमान ने नेफा तथा मिजो पहाड़ियों में हमारे इलाके पर से उड़ान की थी ; यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह एक अलग चीज़ है ।

†**श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :** क्या यह सच है कि जापान सरकार ने पाकिस्तान को विमान उतारने की सुविधायें नहीं दी हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** जी हां ; समाचारपत्रों में ऐसा ही छपा है ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** क्या भारत-पाकिस्तान समझौते में ऐसा कोई खंड है जिससे हम पाकिस्तानी विमानों की भारत की ओर उड़ानों को पूर्णतः रोक सकते हैं यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन ने इसके प्रतिकूल नियम निर्धारित किये हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन के अन्तर्गत एक पारनयन समझौता है जिसके अधीन इस संगठन का प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्यों को अनुसूचित वायुयानों के लिये अपने क्षेत्र पर से, सिवाय उन क्षेत्रों के जो सुरक्षा कारणों से वर्जित हों, मार्गवर्ती अधिकार देता है । यह एक ऐसा समझौता है जिस पर अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन के सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किये हैं ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या पाकिस्तान द्वारा लद्दाख पर से अपने विमान उड़ाने की कोई संभावना है ? देश के उस भाग के बारे में क्या पूर्वोपाय किये गये हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** सुरक्षा के पहलू पर विचार करना प्रतिरक्षा मंत्रालय का काम है ।

†**श्री हेम बरुआ :** आरम्भ से अन्त तक उन्होंने प्रतिरक्षा मंत्रालय का सहारा लिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह अलग बात है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पर्यटन का विकास

+

†*३३. श्री यशपाल सिंह :
श्री महेश्वर नायक :
श्री विभूति मिश्र :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री अ० व० राघवन :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री थनगौंडर :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन के विकास के लिये कोई निगम बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस निगम के कब तक कार्य प्रारम्भ कर देने की आशा है ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग). पर्यटन सम्बन्धी तदर्थ समिति ने पर्यटन से सम्बन्धित वाणिज्यिक प्रकार के कामों को करने के लिए एक निगम की रचना की सिफारिश की है । इस सिफारिश की जांच हो रही है ।

श्री यशपाल सिंह : इसको सरकार ने अपने ही हाथ में रक्खा है या और पार्टीज़ को भी शामिल किया है ?

श्री राज बहादुर : अभी सिफारिशें ही हुई हैं । अभी इसको हम लोग देख रहे हैं और जैसा कुछ फैसला होगा मैं बतलाऊंगा ।

श्री यशपाल सिंह : सरकार को इसमें कितना खर्चा करना पड़ेगा ?

श्री राज बहादुर : यह सब सवालात हैं जो कि इस वक्त जेरे गौर हैं ।

†**श्री दाजी** : क्या यह सच है कि सरकार ने निर्णय किया है कि पर्यटकों को मद्यनिषेध वाले क्षत्रों में मदिरा के उपभोग के लिए परमिट तत्सम्बन्धी देशों में हमारे राजदूतावासों द्वारा वीजा के साथ ही दे दिये जायेंगे बजाय इसके कि वे पहले भारत आयें और फिर परमिट के लिये आवेदन पत्र दें ? यह तदर्थ समिति की सिफारिशों में से एक थी । निगम की रचना एक दूसरी सिफारिश थी ।

†**श्री राज बहादुर** : सच तो यह है कि यह एक ऐसा कदम है जो हम पहले ही उठा चुके हैं । मैं नहीं समझता कि यह तदर्थ समिति द्वारा की गयी सिफारिशों में से एक है । विदेशी पर्यटकों को मदिरा के परमिट लेने में जो कठिनाइयां होती थीं उनमें से कुछ हमारे ध्यान में लाई गई थीं । इसलिये पर्यटकों को होने वाली कठिनाइयों तथा असुविधा को दूर करने तथा उन्हें आसानी से मदिरा उपलब्ध करने के लिये हमने निर्णय किया कि अपने राजदूतावासों तथा राजनयिक मिशनों को वीजा के

---

†मूल अंग्रेजी में

साथ हीसाथ अखिल भारतीय मदिरा परमिट देने का अधिकार दे देना चाहिये ताकि पर्यटकों को परमिट लेने के लिये इधर उधर न भकटकना पड़े ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री दाजी को समझना चाहिये कि इस विशेष प्रश्न का सम्बन्ध तदर्थ समिति की केवल एक ही सिफारिश से है । प्रश्नकाल में सभी सिफारिशों की चर्चा नहीं छेड़ी जा सकती ।

श्री मोहन स्वरूप : अभी बतलाया गया कि सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं तो क्या मैं जान सकता हूं कि इनको फाइनेलाइज़ करने में कितना समय लगेगा ?

श्री राज बहादुर : बात यह है कि टूरिज्म का ताल्लुक़ न सिर्फ़ सैंटर से है बल्कि स्टेट्स से भी है । हमको उनसे मशवरा करना पड़ता है और उनको वक्त देना पड़ता है । यह सिफारिशें राज्य सरकारों को भेजी गई हैं । जैसे ही उनसे सूचना उपलब्ध होगी, उनकी राय मालूम होगी हम लोग फैसला कर लेंगे । दिसम्बर तक इस पर फैसला हो जायेगा । ऐसी आशा है ।

†**श्री रंगा** : इस निगम के कृत्य क्या हैं ? क्या यह निगम लाभ कमाने वाला है या "न-लाभ-न-हानि" के आधार पर काम करने वाला है ?

†**श्री राजबहादुर** : समिति द्वारा की गई जांच के परिणाम स्वरूप देखा गया है कि पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं में कुछ कमियां हैं विशेषत: पर्यटन को बढ़ाने के दृष्टिकोण से, जैसे कि होटलों में स्थान पाने, भोजनालय, सड़क परिवहन की सुविधाओं आदि के बारे में । इसलिये, कमियों को पूरा करने के लिये समिति ने सिफारिश की कि सरकार को सरकारी क्षेत्र में कुछ करना चाहिये । निगम बनाने के पीछे यही विचार है ।

†**श्री ब० कु० दास** : इस तथ्य को देखते हुए कि यह वाणिज्यिक ढंग का होगा, क्या इसे समवाय अधिनियम के अधीन पंजीबद्ध करने का विचार है ?

†**श्री राज बहादुर** : विचार यह है कि इसे वाणिज्यिक तरीके से चलाया जाना चाहिये । हम ऐसा करेंगे ।

†**श्री स० चं० सामत** : क्या यह सच नहीं है कि बहुत पहले पर्यटक निदेशालय को अधिक शक्तियां देने का एक प्रस्ताव था ? क्या इस प्रस्ताव पर काम शुरू करने से पहले उसे आजमाया गया था ?

†**श्री राज बहादुर** : शक्तियां अगर हमारे पास हों भी, तब भी हम होटल पैदा तो नहीं कर सकते । हमें उसे बनाना पड़ेगा । हम किसी को होटल बनाने के लिये आदेश नहीं दे सकते ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि बड़े बड़े शहरों में सस्ते होटल खोलने की व्यवस्था भी इस कारपोरेशन के अन्दर होगी या नहीं ?

श्री राज बहादुर : यह भी बात ध्यान में रखी जायगी ।

श्री विभूति मिश्र : यह कारपोरेशन जो बन रही है, तो कौन सी जगह ऐतिहासिक महत्व की है, कौन सी जगह धार्मिक महत्व की है और किस जगह जाने में व्यापारिक दृष्टि से फायदेमन्द होगा, इन सब चीजों को वह कारपोरेशन तय करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्री राज बहादुर : यह काम कारपोरेशन का होगा। ज़ाहिर है कि जहां टूरिस्ट्स ज्यादा जाते हैं वहां वह अपने काम को बढ़ायेंगे ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या मैं जान सकती हूं कि क्या राज्यों के प्रतिनिधि भी इस निगम में लिये जायेंगे और क्या निगम का कोई प्रतिनिधि राज्य सरकारों द्वारा अपने पर्यटक विभागों में लिया जाएगा ?

†**श्री राज बहादुर :** निगम का आकार, रूप, क्षेत्र तथा कृत्यों का विस्तार अभी निश्चित किया जाना है ।

कृषि उत्पादन

+

†*३४. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री रा० गि० दुबे :
श्री हेम बरुआ :
श्री भक्त दर्शन :
श्री पें० वेंकट सुब्बया :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० ना० विद्यालंकार :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री श्यामलाल सर्राफ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस अध्ययन दल ने जो कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार के कार्यक्रमों का अधिक समन्वय करने के हेतु नियुक्त किया गया था, सिफारिश की है कि राज्य से ले कर ग्राम स्तर तक कृषि उत्पादन से सम्बन्धित समस्त विभागों तथा अभिकरणों पर एकीकृत नियंत्रण होना चाहिये ;

(ख) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये अध्ययन दल द्वारा की गयी अन्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इन सिफारिशों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी हां ।

(ख) कृषि उत्पादन से सम्बन्ध रखने वाली मुख्य सिफारिशें दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०—१८२७/६३]** ।

(ग) प्रतिवेदन पर कार्यवाही राज्य सरकारों द्वारा की जानी है । कार्यकारी दल के प्रतिवेदन की प्रतियां विचार तथा सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये मुख्य मंत्रियों के पास भेज दी गई हैं ।

श्री विश्राम प्रसाद : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो सिफारिश कमेटी की हैं वे कब तक लागू की जायेंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह** : अभी १८ अक्तूबर, को इस कमेटी की रिपोर्ट मुख्य मंत्रियों के पास भेजी गई है, उन में से ८ मुख्य मंत्रियों ने, अपनी इत्तिला भेजी हैं और बाकी लोगों से बातचीत चल रही है। उन लोगों का कहना है कि वह इस पर अभी अपने साथियों से काफी विचार कर के अपनी राय भेजेंगे ।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : कृषकों की आर्थिक स्थिति, सिंचाई की कमी, भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना तथा त्रुटिपूर्ण भूधारिता प्रणाली जैसी रुकावटों से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि कहां तक नहीं हो पाई है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : इस प्रश्न का इस प्रतिवेदन से सीधा कोई सम्बन्ध नही है। यह प्रतिवेदन कृषि उत्पादन से सम्बन्ध रखने वाले विभिन्न मंत्रालयों की कार्यवाहियों को समन्वित करने के बारे में है। परन्तु यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस प्रश्न का भी उत्तर देने को तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरूआ ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार का ध्यान हमारे राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर गया है कि कृषि सम्बन्धी प्रगति में रुकावट "सच्चे, विज्ञ नेतृत्व की कमी तथा प्रशासनिक अदक्षता" के कारण पड़ती है ; यदि हां ..... **(अन्तर्बाधा)**

†**श्री दी० चं० शर्मा** : एक औचित्य प्रश्न पर, श्रीमान,। क्या राष्ट्रपति के वक्तव्य पर इस सदन में चर्चा की जा सकती है ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : क्यों नहीं ?

†**श्री हेम बरुआ** : उसे अक्षरश: उद्धत किया जा सकता है ।

†**श्री दाजी** : उसे उद्धत किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि वह अब मेरा निर्णय नहीं चाहते क्योंकि दूसरों ने निर्णय दे दिया है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस बारे में स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने क्या उपाय सोचे हैं अथवा इस समिति ने इन तथ्यों से सम्बन्धित बातों के सुधार के लिये कोई सिफारिश की है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने अपना अनुपूरक प्रश्न बहुत ही सुन्दर ढंग से पूछा था ; अब वह उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रह हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : आपकी परिहासक बात के कारण मुझे हंसना पड़ा ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : मैंने वक्तव्य केवल देखा ही नहीं बल्कि जब राष्ट्रपति ने वह भाषण दिया था तो मैं वहां उपस्थित था। उन्होने जो कहा सरकार उससे कैसे इन्कार कर सकती है ? राष्ट्रपति द्वारा कही गई कोई भी बात सरकार को स्वीकार करनी पड़ेगी ।

श्री भक्त दर्शन : इस कमटी ने जो सिफारिश की हैं उस के अनुसार राज्य स्तर पर स्टेट लेविल पर तो आपस में सहयोग स्थापित करके व्यवस्था की जायेगी लेकिन केन्द्र में किस तरीके से सहयोग स्थापित हो रहा है क्योंकि कहानियां प्रचलित हैं कि बहुत बड़ा गम्भीर मतभेद चल रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० राम सुभग सिंह : कहानियां तो मुझे सुनने को नहीं मिली हैं लेकिन केन्द्र में अभी एक कृषि उत्पादन बोर्ड की स्थापना की गई है जिसमें उन तमाम मंत्रालयों के मंत्री सम्मलित हैं जिन मंत्रालयों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को भी उस कमेटी द्वारा इत्तिला दी गई है कि सचिवों के स्तर पर वहां एक समन्वय स्थापित किया जाये ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** वक्तव्य से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये कृषकों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता सहकारी समितियों के द्वारा दी जानी है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की यह इच्छा है कि सारी सहायता सहकारी समितियों के द्वारा दी जाय ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** सरकार ने उसे सिद्धांत रूप में मान लिया है और हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि इसे तेजी से कार्यान्वित किया जाय ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं यह जानना चाहता हूं कि सहकारी कृषि कार्यक्रम जब ऊंचे स्तर पर आयेगा, तो क्या मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नष्ट तो नहीं हो जायगी, जिस से प्रजातन्त्र पर आघात पहुंचे ।

डा० राम सुभग सिंह : जहां तक मेरी समझ है, अगर खेती में काम करने वाले लोगों को पूरी स्वतन्त्रतापूर्वक और उन की इच्छा के अनुकूल काम करन का मौका मिले, तो स्वतन्त्रता और अधिक बढ़ जायेगी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** विवरण से ज्ञात होता है कि यह निर्णय किया गया है कि जिला स्तर पर जिला परिषदों द्वारा कृषि उत्पादन समितियां बनाई जायेंगीं या जहां जिला परिषदें नहीं हैं वहां ये समितियां स्वतन्त्र रूप से बनाई जायेंगी । मैं जानना चाहती हूं कि क्या ये समितियां सारे भारत में स्थापित की जा चुकी हैं तथा क्या वे केवल मंत्रणाकारी हैं अथवा उनका वास्तव में मंत्रिमंडल स्तरीय समिति से होगा जो बनाई जा रही है और क्या काम तेजी से चलता रह सकता है ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** इसका प्रभाव मंत्रिमण्डल स्तरीय समिति पर भी होगा क्योंकि विभिन्न राज्यों में मंत्रिमण्डल की एक उप-समिति पहले ही गठित की जा चुकी है तथा मुख्य सचिव के सभापतित्व में एक सचिवालीय समिति होती है । इस प्रतिवदन के अनुसार यह सिफारिश की गई है कि जिला परिषदें के अधीन, जहां कहीं व स्थापित हो चुकी हैं, जिला न्यायाधीश अथवा उप-आयुक्त के सभापतित्व में, जैसी भी पद्धति हो, कृषि उत्पादन समितियां होनी चाहिये । सचिव होंगे कृषि अधिकारी या औद्यानिक अधिकारी या पशु पालन अधिकारी, और यह इस चीज पर निर्भर करेगी कि उस क्षेत्र में कौन सा काम सब से ज्यादा होता है । सारा काम सचिव के स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक संस्थानीय रूप से बड़े प्रभावी ढंग से समन्वित होगा क्योंकि ग्राम स्तर पर भी जैसी ही एक समिति गठित करने का विचार है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** में यह भी जानना चाहती थी कि क्या यह मंत्रणाकारी होगी ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** यह अपनी गतिविधियों की योजना तैयार करेगी तथा उन्हें क्रियान्वित करने की भी इसे पूरी शक्तियां होंगी ।

†**श्री त्यागी :** जैसा कि मैं प्रश्न से समझ पाया हूं, सिफारिश एकीकृत नियंत्रण के लिये थी और उसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं था कि यहां तहां समन्वयकारी समितियां हो । मैं इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि सरकार ने कृषि विभागों, सामुदायिक विकास तथा सहकार पर एक प्रकार के

---

†मूल अंग्रेज़ी में

एकीकृत नियंत्रण के लिये राज्य सरकारों को किस प्रकार की सलाह दी है। क्या केन्द्र में सरकार ने एकीकृत नियंत्रण स्थोपित किया है क्योंकि मैं समझता हूं कि दीपक पहले सदा घर में जलाया जाता है ?

†डा० राम सुभग सिंह : जैसा कि मेरे माननीय मित्र जानते हैं, काम मुख्यत: राज्य स्तर पर तथा जिला स्तर पर किया जाता है। और जो वह कहते हैं कि दीपक पहले घर में जलाया जाना चाहिये वह मुझे स्वीकार है। परन्तु समिति को राज्य स्तर के दृष्टिकोंण सिफारिशें करने का काम सौंपा गया था क्योंकि राज्य कृषि मंत्रियों तथा सामुदायिक विकास मंत्रियों के सम्मेलन ने संयुक्त रूप से उस सिमति को यह सुझाव देने के लिये स्थापित किया था कि उनको गतविधियों को अच्छी से अच्छी तरह कैसे समन्वित किया जाये और समिति ने सिफारिश की कि न केवल गतिविधियों को ही समन्वित किया जाये बल्कि एक ऐसी व्यवस्था भी की जाए कि एक सचिव हो और सभी विभाग इकट्ठे मिला दिये जाने चाहिये।

†श्री त्यागी : केन्द्र में इस काम को करने वाले कई मंत्रालय हैं। मैं जानना चाहता था कि क्या उन में एकीकृत नियंत्रण की व्यवस्था है। कई भिन्न भिन्न मंत्रालय हैं। संयुक्त उत्तरदायित्व सारे मंत्रिमंडल का है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये सभी विभाग एक मंत्रालय के अधीन लाये जा रहे हैं ताकि उनमें एकीकृत नियंत्रण हो सके।

†डा० राम सुभग सिंह : जैसा कि मैंने कहा उस समिति ने केवल सरकारी व्यवस्था के बारे में ही सिफारिशें की थीं और मेरे माननीय मित्र ने जो कुछ कह रहे हैं उसका सम्बन्ध राजनैतिक विषय से है। समिति ने एक व्यवस्था की स्थापना के बारे में सिफारिश की थी।

†डा० पं० शा० देशमख : स्पष्ट है कि समन्वय का यह एक और प्रयोग है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इसकी असफलता निर्धारित करने के लिये कोई समय-सीमा रख दी गई है ?

†डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं ?

†अध्यक्ष महोदय : श्री सोनावने।

†श्री त्यागी : अभी पिछले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

†श्री सोनावने : विभागों के इस एकीकृत नियंत्रण के अतिरिक्त क्या इस आशय के लिये राज्य स्तर पर कोई वास्तविक व्यवस्था की गई है कि जो भी लक्ष्य सामने रखे जायें उन्हें वास्तव में पूरा भी किया जाये ?

†डा० राम सुभग सिंह : वस्तुत: इसका किसी लक्ष्य से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह केवल व्यवस्था के बारे में है और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये व्यवस्था की जाने वाली है।

चीनी मिलों को गन्ने का संभरण

+

*३५ श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामसेवक यादव :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री अंजनप्पा :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिलों को गन्ने के संभरण के लिये इस वर्ष भी कोई विशेष कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या इस व्यवस्था का गन्ना पेरने के उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है ; और

(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने गन्ने के मूल्य और बढ़ाने का सुझाव दिया है और यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) ९ प्रतिशत या इससे कम उपलब्धि पर शकंरा कारखानों द्वारा गन्ने का देय मूल न्यूनतम मूल्य रु० ४·०२ से बढ़ाकर रु० ४.५० प्रति क्विंटल कर दिया गया है । सम्बन्धित राज्य सरकारों की सिफारिशों पर गुड़ उत्पादन करने वाले क्षत्रों में स्थित शकंरा कारखानों को गन्ने का मूल्य २.०० प्रति मन या रु ५.३९ प्रति क्विंटल देने की अनुमति दे दी गई है । सरकार का विचार है कि अन्य नियमन प्रयत्नों के साथ साथ भावों में इस वृद्धि से शकंरा कारखानों को प्राप्त मात्रा में गन्ना मिल जायेगा ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि एक ही प्रान्त की चीनी बनाने वाली मिलों में जो भिन्न-भिन्न भाव नियत किये गए हैं, जसे उत्तर प्रदेश में किन्हीं मिलों के लिये दो रुपये मन और किन्हीं मिलों के लिए एक रुपया बारह आने मन, उसके कारण क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** जहां तक गन्ने के न्यूनतम मूल्य का संबंध है, यह सारे देश में एक जैसा है, अर्थात्, कारखानों को संभरित गन्ना १.६८ रुपये प्रति मन । जहां तक दूसरे मूल्य का संबंध है,अर्थात् जहां तक चीनी कारखानों को दो रुपये प्रति मन तक दे सकने योग्य बनाने का संबंध है, उसे अनुबाधित कर दिया गया है ताकि जहां गुड़ और खंडसारी की तरफ से स्पर्धा है वहां कारखाने उस राशि को दे सकें । यह अतिरिक्त दानेदार सफेद चीनी के उत्पादन के लिए अधिक गन्ना प्राप्त करने के हेतु उत्प्रेरकों का एक भाग है ।

---

†मूल अग्रेजी में

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्रीमन्, चीनी के बाज़ार भाव को ध्यान में रखते हुए इस समय जो गन्ने का मूल्य सरकार ने निर्धारित किया है, वह अत्यधिक कम है और इसी आधार पर कुछ क्षेत्रों में किसानों की ओर से इस प्रकार की चुनौती दी गई है कि यदि सरकार ने हम को गन्ने का उचित मूल्य न दिया, तो हम मिलों को गन्ना देना बन्द कर देंगे। चूंकि इस से चीनी के उत्पादन-लक्ष्य पर प्रभाव पड़ेगा, इस लिए उस स्थिति का सामना करने के लिए क्या सरकार कुछ बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने का विचार कर रही है ; यदि हां, तो वे निर्णय क्या हैं ?

†**श्री अ० म० थामस :** ऐसी बात नहीं है, जहां तक मैं संसद्-सदस्यों के अभ्यावेदनों तथा समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों से समझ पाया हूं, वर्तमान निर्धारित मूल्य अपर्याप्त है। अब कहा यह गया है कि कुछ कारखाने २ रुपय दे सकते हैं जबकि दूसरे कारखाने २ रुपये नहीं दे सकते। परन्तु जहां तक गन्ने के मूल्य का संबंध है, यह देश में एकसा नहीं रहा है। उन इलाकों में जहां गुड़ तथा खांडसारी से स्पर्धा है, दूसरा मूल्य अनुबाधित कर दिया गया है और यह अधिक दाने-दार सफेद चीनी के उत्पादन के लिए उत्प्रेरकों का भाग है।

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, इस समय गन्ने के दाम के सम्बन्ध में भेद-भाव की नीति बरती जा रही है, ख़ास तौर से पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मंत्री महोदय ने कहा है कि गन्ने के दाम रिकवरी के आधार पर निश्चित किये जायेंगे। क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि रीकवरी को ध्यान में न रखते हुए कुछ चीनी मिलों ने २ रुपया मन के हिसाब से किसानों का गन्ना ख़रीदा है ; यदि हां, तो सब के लिये ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है और दूसरों के रास्ते में यह बाधा क्यों डाली जा रही है ?

†**श्री अ० म० थामस :** मूल्य तथा प्राप्ति में परस्पर मेल है। आधारभूत योजना में कोई भी परिवर्त नहीं किया गया है। जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कारखानों का सम्बन्ध है, क्योंकि वहां गुड़ से बड़ी स्पर्धा है, वहां के सभी कारखानों को २ रुपये तक देने के योग्य बना दिया गया है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां गुड़ से स्पर्धा है केवल थोड़े से कारखानों को २ रुपये प्रति मन की दर से देने के योग्य बनाया गया है।

†**एक माननीय सदस्य :** बिहार की हालत क्या है ?

†**श्री अ० म० थामस :** प्रश्न उत्तर प्रदेश के बारे में था। कुछ ही कारखाने २ रुपये की दर पर भुगतान कर सके हैं क्योंकि यह तो व्यवस्था से अभिन्न है। जैसा कि मैं पहिले ही कह चुका हूं कि जहां तक न्यूनतम मूल्य का सम्बन्ध है, वह समूचे देश में लागू है।

श्री रामसेवक यादव : मेरा प्रश्न यह नहीं था। मेरा प्रश्न यह था कि मिलों ने रिकवरी को आधार नहीं माना और उन्होंने अपनी तरफ से दो रुपया कर दिया। जब रिकवरी ही आधार नहीं रहा तो एक ही राज्य में दो तरह की व्यवस्थायें क्यों लागू हों, भेदभाव क्यों हो ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस :** योजना के अनुसार भी ६ प्वाइंट या इस से कम रिकवरी तक न्यनतम मूल्य १.६८ रुपये हैं और ६ प्वाइंट से अधिक रिकवरी के प्रत्येक प्वाइंट के लिये ०.१ प्वाइंट रिकवरी के लिये १.५ नये पेसे की दर से मूल्य में वृद्धि होगी । अत : वह आधार बिल्कुल भी नहीं छोड़ा गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य का कहना है कि कुछ मिलों ने रिकवरी का कोई ध्यान न रख कर २ रुपये देना स्वीकार कर लिया है । यदि यह बात है, तो सभी मिलों के लिये समान दर क्यों न हो ?

†**श्री अ० म० थामस :** जहां तक इन कारखानों का प्रश्न है, २ रुपये की दर से भुगतान करना उनकी इच्छा की बात है क्योंकि अन्य प्रोत्साहन हैं, जैसे, उत्पादन शुल्क में छूट, परिवहन तथा अन्य बातों में छूट, ताकि वे उगाने वालों को अतिरिक्त धन दे सकें । वे प्रोत्साहन, उनका अधिकतर भाग उगाने वालों को दिया जाना है । इन प्रोत्साहनों पर निर्भर रहकर, यदि कुछ कारखाने अधिक भुगतान करते हैं, तो उसकी निन्दा करने की बजाये सराहना की जानी चाहिये ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या सरकार को विदित है कि वे उत्पादकों को जो तथाकथित प्रोत्साहन दे रहे हैं वे उलटे सिद्ध हुए हैं और कुछ राज्यों में, विशेषकर पंजाब में गन्ना उत्पादक कारखानों में गन्ना लाने के लिये मना कर रहे हैं ?

†**श्री अ० म० थामस :** जहां तक पंजाब का प्रश्न है, उन सभी चीनी कारखानों ने पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष काफी पहिले गन्ना पेरना आरम्भ कर दिया है । अत : माननीय सदस्य का विचार गलत है । मुझे इस का भी खेद है कि उन जैसे अनुभवी सदस्य भी यह कहते हैं कि 'तथाकथित प्रोत्साहन उलटा प्रभाव दिखा रहे हैं ।'

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या माननीय सदस्य उन कारखानों की सूची दे सकते हैं जिन्होंने कार्यारम्भ कर दिया है ? उन्हें नहीं मालूम पंजाब में क्या हो रहा है ....

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री प्र० चं० बरुआ ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या ये दो कार्यवाही करने से इस वर्ष ३३ लाख टन चीनी का लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है ?

†**श्री अ० म० थामस :** उत्पादन की गति उत्साहवर्धक है । अब तक, लगभग ८७ कारखानों ने कार्यारम्भ कर दिया है, और पिछले वर्ष इस समय जिन कारखानों ने कार्यारम्भ किया था, उनकी संख्या की अपेक्षा यह संख्या बहुत अधिक है । उत्पादन की गति ऐसी है कि शायद हम लक्ष्य प्राप्त कर सकें ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या यह सच है कि क्योंकि मिल-मालिक गन्ने के इन न्यूनतम मूल्यों के भी खिलाफ हैं जो निश्चय ही अपर्याप्त हैं, इस लिये सरकार ने उन्हें प्रतिकर के रूप में, जैसाकि मैं ने आज प्रात: अखबारों में पढ़ा है, चीनी के मूल्य में और भी वृद्धि की घोषणा की है, हालांकि चीनी चोर-बाजार को छोड़कर देश में प्राय: अनोपलब्ध हो गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस** : मेरा सविनय निवेदन है कि किसी को भी दोनों फायदे नहीं हो सकते . . . .(**अन्तर्बाधा**) गन्ने के मूल्य में वद्धि का तत्काल प्रभाव चीनी के कारखाने से निकलते समय के मूल्य पर पड़ेगा । यह स्वाभाविक है (**अन्तर्बाधा**) । उत्पादन-लागत की प्रशुल्क आयोग जैसे दक्ष निकाय ने एक से अधिक बार जांच की है और हमारा मूल्य ढ़ांचा उनकी सिफारिशों पर आधारित है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : आश्चर्य की बात है कि उन जैसे अनुभवी मंत्री ऐसा असन्तोषजनक उत्तर देते हैं ।

कुछ माननीय सदस्य उठे —

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी मैं उन सदस्यों को पुकारने का प्रय.न कर रहा हूं, जिनके यहां नाम हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : अगला प्रश्न भी ऐसा ही है ।

श्री मोहन स्वरूप : सरकार की तरफ से यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि तीन चौथाई किसान की गन्नेकी यील्ड का को उसे देना होगा । अब यह भी हो सकता है कि किसी मिल की क्रशिंग कैपेसिटी कम हो । मसलन छः लाख मन मान लीजिये उसकी क्रशिंग कैपेसिटी है और यील्ड वहां की बहुत ज्यादा है । मैं जानना चाहता हूं कि उस एरिया में जो गन्ना बचेगा उसका क्या होगा ? यह जो प्रश्न है, यह क्या सरकार के विचारधीन है ?

†**श्री शिन्दे** : फालतू गन्ना होने की कोई संभावना नहीं है और फिर, प्रतिबन्ध पूरे नहीं हैं । कुछ गन्ना गुड़ और खाण्डसारी बनाने के लिए प्रयोग होता है ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय**: हां, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परन्तु यह प्रश्नकाल के तत्काल बाद उठाया जा रहा है और मंत्री महोदय एक वक्तव्य देंगे । फिर शायद सभा विस्तृत बहस की भी मांग करे । अतः मैं अगला प्रश्न लेता हूं ।

†**श्री अ० म० थामस** : आपकी अनुमति से मैं अपने कथन में, जो मैंने पहिले कहा था, शुद्धि करना चाहता हूं । माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि पंजाब में सभी कारखानों ने पिराई आरम्भ कर दी है । २ रु० की दर पंजाब के सभी कारखानों पर लागू है परन्तु सभी कारखानों ने पिराई आरम्भ नहीं की है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : अब, कौन ठीक है, मैं या वह ?

कुछ माननीय सदस्य : दोनों ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

चीनी

†*३६. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री श्यामलाल सर्राफ़ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री गुलशन :
श्री हेम राज :
श्री दलजीत सिंह :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ अक्टूबर, १९६३ को मिलों के पास चीनी के स्टाक, देश के विभिन्न भागों में इसकी उपलब्धता और विभिन्न स्थानों पर, विशेष कर आसाम में, इस के मूल्य सम्बन्धी नवीनतम स्थिति क्या थी :

(ख) क्या गत छः माहों में चीनी के मूल्य चढ़ गये हैं ; और

(ग) क्या देश के कुछ भागों में चीनी के वितरण पर राशनिंग/नियंत्रण लागू कर दिया गया है और यदि हां तो किन भागों में और इस नियंत्रण प्रणाली की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे)**: (क) ३१ अक्टूबर, १९६३ को देश के विभिन्न भागों में कारखानों में चीनी के स्टाक और उपलब्धता की स्थिति और आसाम (गोहाटी मण्डी) सहित विभिन्न स्थानों पर मूल्य स्थिति का उल्लेख दो विवरणों में है जो पटल पर रखे जाते हैं । [**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०—१८२८/६३**]

(ख) जी नहीं ।

(ग) देश में चीनी का संभरण नियमित है । कुछ राज्यों में, अर्थात् उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, केरल और गोआ में कार्डों पर चीनी दी जाती है ?

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि चीनी के अन्तर्राज्यीय वहन को प्रतिबन्धित करने और गन्ने के न्यूनतम मूल्य बढ़ाने के सरकारी आदेशों की उद्घोषणा के शीघ्र बाद चीनी लापता हो गई और १८ से २० रु० तक प्रति मन अधिक मूल्य पर चोर-बाजार में बिकने लगी और बात यहां राजधानी में भी हुई है । इस बुराई को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: कारखानों में चीनी के स्टाक गायब नहीं हो सकते क्योंकि भारत सरकार सभी निवासियों का नियमन करती है । वास्तव में, अनेक राज्य सरकारों के कोटे निर्धारित हैं और केवल राज्य सरकारों के नामज़द व्यक्ति ही कोटा ले सकते हैं, ताकि यदि स्टाक गायब होता भी हैं तो उस समय होता है जब कि वह थोक या फुटकर व्यापार में आ जाता है । वस्तुतः हमने राज्य सरकारों को स्पष्ट अनुदेश दे दिये हैं कि वे इसका और अन्य संबंधित मामलों का नियमन कैसे करें ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि गुड़ का मूल्य भी गुड़ तथा खाण्डसारी के अन्तर्राज्यीय वहन पर प्रतिबन्ध लगाने के सरकारी आदेशों की उद्घोषणा के शीघ्र बाद, १०० प्रतिशत बढ़ गया ?

†**श्री अ० म० थामस**: मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य १७ अप्रैल, १९६३ के चीनी नियन्त्रण आदेश का उल्लेख कर रहेहैं । इस हालत में, चीनी पहले ही 'रिलीज़' की जा चुकी थी और व्यापारियों के पास थी । यह सच है अधिकतर चीनी बाजार से गायब हो गई थी परन्तु उसे न रोका जा सका ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : विवरण से विदित होता है कि उत्तर प्रदेश में ३१ अक्टूबर को ५७,३५४ मीट्रक टन चीनी उपलब्ध थी । क्या माननीय मंत्री को बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में दीपावली पर चोर बाजार को छोड़कर चीनी नहीं मिली और क्या राज्य सरकार के मार्गदर्शन के लिए कि वह आय के आधार पर चीनी का वितरण न करे कोई कार्यवाही की गई है क्योंकि फिर गरीब लोगों को चीनी नहीं मिलगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें वक्तव्य नहीं देना चाहिये । उन्होंने प्रश्न पूछा है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई निदेश जारी किया है ?

†**श्री अ० म० थामस** : मैं अपने वक्तव्य में इस पहलू का भी उल्लेख करूंगा । आय के आधार पर वितरण के बारे में जहां तक भारत सरकार का संबंध है, हमने कोई निदेश नहीं दिया है । किसी अमुक राज्य में वितरण की व्यवस्था पूर्णतया संबंधित राज्य सरकारों पर छोड़ दी गई है । यह राज्य सरकारों का काम है कि वे वितरण के लिए जो उचित समझें करें ।

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज़ करना चाहता हूं । मंत्री जी ने अभी बतलाया कि चीनी के वितरण का प्रबन्ध करना उनका काम है, यदि कोई पांच रुपए की चीनी का २५ रुपए लेता है तो उसके खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी । लेकिन आज तक हमने आमदनी के आधार पर चीनी के वितरण का कायदा कभी नहीं देखा । मंत्री जी कहते हैं कि इस बारे में राज्य सरकार को अधिकार है । इस बारे में मैं आपका निर्णय चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा निर्णय तो इस बारे में कुछ नहीं हो सकता । आप सवाल कीजिए और जवाब लीजिए । आप दो तीन दफा खड़े हुए पर आप को मौका नहीं मिला । तो इस तरह से आपने सप्लीमेंटरी कर लिया । इसमें मैं क्या निर्णय दे सकता हूं । इसका जवाब तो मिनिस्टर को देना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी :** उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री यहां आये थे और पता लगा था कि उन्होंने इस पर केन्द्र सरकार के साथ विचार विमर्श किया था और कहा गया था कि यह व्यवस्था एकदम गलत है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय कहते हैं कि केन्द्र ने कोई निदेश नहीं दिया और वह अपने वक्तव्य में इस विषय का भी उल्लेख करेंगे ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** पहिले कोई निदेश न था परन्तु हाल में जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री यहां आये थे, तब इस प्रश्न पर विचार विमर्श हुआ था ।

†**अध्यक्ष महोदय:** मैं नहीं जानता कि विचार विमर्श और निदेश देना एक ही बात है । मंत्री कहते हैं कि कोई निदेश नहीं दिया गया । श्री बनर्जी को मंत्री महोदय के शब्दों पर विश्वास करना चाहिये ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** विवरण में मैंने देखा है कि कलकत्ता में फिर चीनी का मूल्य सब से अधिक है । गोहाटी में मूल्य १.२४ रु० प्रति किलोग्राम क्यों हैं जबकि कलकत्ता में यही मूल्य १.२६ रु० है और यह भी राज्य सरकार ने निर्धारित किया है ?

†**श्री अ० म० थामस :** कारखाना मूल्य तथा परिवहन व्यय और थोक-व्यापारियों के लाभ के आधार पर मूल्य निर्धारित होते हैं । अधिकतम २.६८ रु० प्रति क्विन्टल निर्धारित किया गया है । इन बातों की गणना करके यह मूल्य निर्धारित किया गया है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** परन्तु परिवहन-व्यय आसाम तक ले जाने की अपेक्षा कलकत्ता ले जाने पर कम होता है ?

श्री यशपाल सिंह: क्या सरकार को यह पता है कि अगर उत्तर प्रदेश के ५२ जिलों में अगर चीनी का भाव ढाई रुपये सेर कर दिया जाए तो आज ही मिल मालिकान लाखों मन चीनी सप्लाई कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर । आपने पता दिया है, पूछा तो नहीं है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि ब्लैक मारकेट में चीनी मिल रही है ?

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, सन् १९४७–४८ में जब कि चीनी का भाव २७ या २८ रुपए मन था उस समय गन्ने का मूल्य दो रुपए होता था । लेकिन अब जब कि चीनी के भाव इतने बढ़ गए हैं, फिर भी गन्ने के मूल्य को कम किया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि इस अन्याय को दूर करने के लिए सरकार क्या उपाय सोच रही है ?

†**श्री अ० म० थामस :** वहां से काफी आगे बढ़ गये हैं क्योंकि कुछ मामलों में उत्पादन-शुल्क दुगना हो गया है गन्ना-शुल्क भी बढ़ गया है ।

श्री रामेश्वरानन्द : मेरे प्रश्न का उत्तर हिन्दी में दिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : वह इसका तरजुमा नहीं कर सकतें । उन्होंने कहा है कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती सावित्री निगम :** सभी स्थानों पर चीनी के प्रचलित अभाव, चोर-बाजारी और कुप्रशासन को ध्यान में रख कर क्या सरकार स्वयं सेवी एजेंसियों द्वारा वितरण करने पर विचार कर रही है जैसाकि पहिले किया गया था ?

†**श्री अ० म० थामस:** जहां कहीं सहकारी समितियां बन गई हैं, राज्य सरकारें उनसे काम ले रही हैं। हमने भी राज्य सरकारों को सलाह दी है कि यदि सहकारी समितियां बन जायें, तो वितरण के लिए उनकी सेवायें प्रयोग की जानी चाहियें ।

कई माननीय सदस्य उठे ——

†**अध्यक्ष महोदय:** यह निश्चय करना माननीय सदस्यों का काम है कि वे केवल इसी प्रश्न पर जमे रहना चाहते हैं और मैं इसे **जारी रखूं** । इस मामले पर हमें एक वक्तव्य दिया जायेगा और शायद इस पर चर्चा भी होगी । **(अन्तर्बाधा)** :

श्री रामेश्वरानन्द : इस प्रश्न पर विशेष रूप से विचार होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यही कह रहा था । लेकिन वह तो इसके बाद ही होगा । मैं यह कह रहा था कि सवालों से तो मतलब पूरा होगा नहीं और न सारे मेम्बर साहिबान को, जोकि सवाल पूछना चाहते हैं, मैं बुला सकता हूं । इसलिए अभी जो एक ब्यान होगा उस पर हम डिस्कशन रखेंगे और उसके लिए हाउस वक्त मुकर्रर करेगा । उस वक्त इसका फैसला हो सकता है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: कांग्रस के जयपुर अधिवेशन के लिए दो लाख मन चीनी भेजी गयी थी । क्या दूसरी संस्थाओं को भी इस प्रकार की सुविधा दी जाएगी ?

अध्यक्ष महोदय: उस वक्त मैं आपको यह सवाल करने की भी इजाजत दे दूंगा :

†**श्री बड़े :** मि० वालकॉट के भाग निकलने से संबंधित प्रश्न संख्या ५३ अभी लिया जा सकता है क्योंकि कुछ व्याख्या हो जायेंगी और इससे २.३० बजे होने वाली चर्चा पर अधिक प्रकाश पड़ेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जब तक सभा न चाहे तब तक मैं उसे नहीं ले सकता ।

†**श्री बड़े :** श्रीमान्, सभा सहमत हो जायेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जब तक सभी सदस्य सहमत न हों, तब तक मैं उसे नहीं ले सकता ।

एशिया और सुदूरपूर्व में कृषि

+

†*३७. **श्री भी० प्र० यादव :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री चतर सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशिया और सुदूरपूर्व की कृषि सम्बन्धी परियोजनायें बनाने वाले विशेषज्ञों की ३० सितम्बर, १९६३ को नई दिल्ली में बैठक हुई थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो बैठक में कितने देशों ने भाग लिया ;

(ग) किन-किन विषयों पर चर्चा हुई ; और

(ङ) क्या भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा भी कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) खाद्य तथा कृषि संगठन के तत्वावधान में कृषि वस्तुओं के उत्पादन और आवश्यकताओं के विशेषज्ञों की, ना कि कृषि परियोजनायें बनाने वाले विशेषज्ञों की, बैठक ३० सितम्बर से ११ अक्तूबर, १९६३ तक हुई ।

(ख) छः देशों के विशेषज्ञों ने बैठक में भाग लिया ।

(ग) बैठक की कार्य-सूची की प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है ।

विषय सूची

१. बैठक का आरम्भ और सभापति व उप-सभापति का चुनाव ।

२. कार्य-सूची की स्वीकृति ।

३. भाग लेने वालों के अपने कार्य सम्बन्धी संक्षेप वक्तव्य ।

४. आर्थिक उन्नति का ढांचा ।

५. मांग प्रोजेक्शन ।

६. उत्पादन प्रोजेक्शन

७. व्यापार प्रोजेक्शन ।

८. प्रोजेक्शनों की समूची संगति और उन की नीति संभावनायें ।

९. भावी कार्य के लिए सिफारिशें ।

१०. रिपोर्ट की स्वीकृति ।

(घ) किसी भी प्रस्ताव के रखे जाने की आशा न थी और कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया । चर्चा तकनीकी भी और प्रोजेक्शनों के निर्माण की तकनीकों में संभव सुधारों के बारे में थी जिस पर अनेक मत व्यक्त किये गये ।

श्री भो० प्र० यादव : क्या मैं जान सकता हूं कि जो विदेशों से विशेषज्ञ आए थे व किन देशों से आए थे, उन्होंने किन किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया और क्या सर्वेक्षण के बाद उन्होंने कोई प्रस्ताव भी रखा जो कृषि सुधार के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता हो ?

डा० राम सुभग सिंह : ये विशेषज्ञ आए थे सीलोन से, जापान से, मलयेशिया से, पाकिस्तान से और यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका से । और अपने देश के भी विशेषज्ञ थे । ये केवल २२ आदमी थे जिन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया । और जैसाकि मैंने मूल प्रश्न के जवाब में कहा, उस सम्मेलन ने कोई प्रस्ताव पास नहीं किया ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : विषय सूची की मद संख्या ६ "उत्पादन प्रोजेक्शन" के बारे में है । क्या इस कान्फरेंस में इस मद को या अन्य मद के अन्तर्गत कोई चर्चा हुई थी और देश में २.१५ प्रतिशत जैसे कम उत्पादन के लिए कोई सुधार सुझाया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह :** इस पर चर्चा हुई होगी परन्तु कोई संकल्प स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि विशेषज्ञों के बीच विचार विनिमय करने के लिए यह उनकी आन्तरिक बैठक थी। जब तक हमें उन से कोई रिपोर्ट या कोई संकल्प प्राप्त नहीं होता . . .

†**श्री भागवत झा आजाद :** उन के कहने का क्या यह अर्थ है कि सरकार को कोई जानकारी नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उन का कहना यही है ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** ठीक यही उत्तर है ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** मिले, खाये और बिखर गये ।

†**श्री विश्राम प्रसाद :** विषय सूची में उल्लेख है "बैठक का आरम्भ तथा सभापति और उप सभापति का चुनाव, विषय सूची की स्वीकृति, भाग लेने वालों के अपने कार्य के बारे में संक्षेप वक्तव्य, आर्थिक उन्नति का ढांचा" आदि। परन्तु इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि क्या कार्य हुआ और किन बातों पर चर्चा हुई। ११ दिन की इस चर्चा पर कितना व्यय हुआ ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** जैसाकि मैंने पहिले कहा था यह बैठक खाद्य तथा कृषि संगठन के तत्वावधान में हुई थी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या कुछ व्यय हुआ था ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** वह कान्फेंस भारत सरकार ने बुलाई थी और यह सच है कि उस पर व्यय हुआ था ।

†**श्री विश्राम प्रसाद :** कितना व्यय हुआ ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** मैं पूर्वसूचना चाहता हूं ।

†**श्री यशपाल सिंह :** क्या इस बैठक में इस चीज़ पर गौर किया गया था कि भारत में किसान की मर्जी के खिलाफ कंसालिडेशन करने से ३५ फी सदी तक प्रोडक्शन कम हो गया है ।

डा० राम सुभग सिंह : इन सारी चीजों को हम लोग अलग से विचार कर सकते हैं । उस सम्मेलन के मुंह से न उन सारी चीज़ों को हम कहलाना चाहते हैं और न उस सम्मेलन ने उन पर विचार किया है । वह सम्मेलन अलग से अपनी रिपोर्ट बाद में लिखेगा ।

†**श्री रंगा :** क्या हम यह समझें कि सरकार जानती थी कि कान्फ्रेंस के लिए कोई कार्य नहीं है और फिर भी उन्हों ने अधिकारियों को उस प्रमोद कान्फ्रेंस में भेजा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति : कोई आक्षेप नहीं किया जाना चाहिये ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** श्रीमान् मुझे आश्चर्य है क्योंकि डा० देशमुख और प्रो० रगा दोनों को आक्षेप करने की आदत है और वे सभी को अपनी दृष्टि से देखते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति . . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा :** श्रीमान, क्या मैं यह शिकायत कर सकता हूं कि मेरे बारे में उन्हें यह कहने का अधिकार नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं भी उनसे यही कह रहा हूं । मैं इस पर पहिले ही ध्यान दे चुका हूं परन्तु मैं ने उन आक्षेपों पर भी ध्यान दिया है जो माननीय सदस्य ने किये (**अन्तर्बाधा**) । प्रश्नों में ये बातें नहीं आनी चाहियें ; केवल तथ्य पूछ जाने और उत्तर दिये जाने चाहियें । जब माननीय सदस्य बहक कर वर्जित मार्ग अपना लेते हैं तो निश्चय ही उन के लिये भी कठिनाई उत्पन्न होती है परन्तु मेरे लिए अधिक कठिनाई होती है ।

†**श्री पु० र० पटेल :** बैठक में किस ने भाग लिया और क्या उन में देश में किसानों के संगठनों के प्रतिनिधि थे ; यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार है कि देश में कृषि में सुधार करने के लिए किसानों के ये संगठन आवश्यक नहीं है ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** यह विशेषज्ञों की बैठक थी और हमारे कुछ विशेषज्ञों ने इस कान्फ्रेंस में भाग लिया था । उन के साथ कृषि विभाग के सचिव सभापति चुने गये और उन्होंने उस का सभापतित्व किया । अतः किसी स्वयं सेवी संगठन या किसानों के संगठन के प्रतिनिधान का प्रश्न ही नहीं उठता ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** पटल पर रखे गये विवरण में भावी कार्य की सिफारिशों तथा रिपोर्ट की स्वीकृति की चर्चा है—मद संख्या ९ और १०—परन्तु मंत्री महोदय ने पहले कहा था कि कोई कार्यवाही नहीं हुई, कोई रिपोर्ट, आदि नहीं है । इस का क्या मतलब है ? फिर, क्या सिफारिशें की गई ? क्या रिपोर्ट स्वीकार हुई ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** बैठक ३० सितम्बर से ११ अक्टूबर तक हुई । यह उन की आन्तरिक बैठक थी और उन्हों ने इस विषय सूची के बारे में विचार विनिमय किया । परन्तु उन्होंने कोई संकल्प स्वीकार नहीं किया, और फलस्वरूप हमें कान्फ्रेंस के निश्चयों की ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है जिसमें उन्हें कान्फ्रेंस की सिफारिशों के अनुसार भारत में लागू करने के लिए कहा गया हो ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** हम आप का निश्चय चाहते हैं । बैठक १२ दिन चली और इतना व्यय हुआ । फिर भी सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं मिली । यह क्या बात है । (**अन्तर्बाधा**) ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** पहाड़ खोदने से चूहिया भी न निकली ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य सारा भार मेरे ऊपर डाल देते हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** आप सर्वोच्च हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** नहीं ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** सरकार कैसे . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** लोक तंत्र में यदि सरकार अपना कर्तव्य पूरा न करे तो संसद् को निश्चय करना पड़ता है ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** यह विवाद मंत्री और सदस्यों के बीच है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं तो खेलते हुए खिलाड़ियों के बीच खेल खिलाने वाला हूं, केवल खेल देखता हूं और यह सुनिश्चित करता हूं कि खेल नियमानुसार खेला जाये । श्री चतुर्वेदी ।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : कृषि सम्बन्धी इन सुप्रसिद्ध विशेषज्ञों का होस्ट बनने से सरकार को क्या लाभ हुआ या होगा, जिन्हों ने कोई सिफारिश नहीं की है ?

†**श्री त्यागी** : प्रचार ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : जब भी ऐसी कान्फ्रेंस होती है तो वह सरकार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होती है क्योंकि इस से कुछ कार्यक्रम बनाने में सहायता मिलती है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : परन्तु यहां कोई वास्तविक काम नहीं हुआ ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : जिन माननीय सदस्यों को इस प्रश्न पर ऐसा महसूस हुआ है, वे यदि इस कान्फ्रेंस के कार्य को देखें, तो उस से उन का भ्रम व चिन्ता दूर हो जायेगी । कान्फ्रेंस ने ऐसे अनेक विषयों पर अपना मत व्यक्त किया है जिन के सम्बन्ध सबंधित देशों से हैं । फिर, जिन प्रतिनिधियों ने इस कान्फ्रेंस में भाग लिया वे स्वभावतः अपनी प्रतिक्रियाओं के बारे में लिखेंगे जिस से संबंधित देशों को बड़ी सहायता मिलेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वास्तव में, मुझ आश्चर्य है कि सदस्यगण इतना चिन्तित हों कि एक बैठक हुई, वह हमारी प्रार्थना पर बुलाई गई, हम होस्ट बनें, इतना धन व्यय हुआ और इसका कोई परिणाम नहीं निकला, या कम से कम सरकार इस बारे में कुछ नहीं जानती । माननीय सदस्यों को यह अवश्य याद रखना चाहिये कि उनके अपने उपचार हैं । कोई भी सदस्य इस प्रश्न पर चर्चा करने के लिये प्रस्ताव की सूचना दे सकता है । यही बात बार बार क्यों कही जाये ?

†**श्री हेम बरुआ** : बारह दिन के परिश्रम के बाद उन्हें कुछ तो पैदा करना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उस में वह उनकी सहायता कर सकते हैं । अगला प्रश्न ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय , कभी इधर भी देख लिया करें ।

श्री त्यागी : यह क्या बात है कि आप सदैव उनपर कृपा दृष्टि रखते हैं ? उन्हें इसी से प्रोत्साहन मिलता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इससे उन्हें सन्तोष नहीं होता । अगला प्रश्न ।

ग्राम स्वयंसेवक दल[1]

†*३८. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री दे० द० पुरी :
श्री व० कु० दास :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच ह कि देश की जन शक्ति को अधिक अच्छ रूप में उपयोग में लाने की दष्टि से ग्राम स्वयंसेवक दल को प्रतिरक्षा श्रम बैंक में मिलाने के विषय में विचार किया जा रहा है ; और

†मूल अंग्रेजी में

[1]Village Volunteer Force.

(ख) यदि हां, तो इन दो संगठनों के विलय से क्या लाभ होने की संभावना है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब०सू० मूर्ति)**: (क) और (ख) ग्राम स्वयंसेवक दल में किसी ग्राम के वे सभी समर्थांग वयस्क होते हैं जो कि इसमें सम्मिलित होने के लिये अपनी सेवायें स्वेच्छा से अर्पित करते हैं। प्रतिरक्षा श्रम बैंक, जो कि प्रत्येक समर्थांग वयस्क से प्रति महीने १ दिन की दर पर निःशुल्क श्रम अथवा इसके बदले में आर्थिक अंशदान का स्वैच्छिक दान लेने पर आधारित है, ग्राम स्वयंसेवक दल का एक अविभाज्य अंग है। राज्यों को यह सुझाव दिया गया है कि यह शर्त लगा दी जाय कि ग्राम स्वयंसेवक दल में भरती होने से पूर्व वर्ष में कम से कम १२ दिन तक मुफ्त श्रमदान करना होगा। इससे लाभकारी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिये ग्राम स्वयंसेवक दल के प्रत्येक सदस्य से न्यूनतम श्रमदान का मिलना सुनिश्चित हो जायगा।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या माननीय मत्री को ऐसी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि यद्यपि स्वयंसेवक कार्य करने के लिये तैयार होते हैं, उन्हें ऐसी अच्छी अच्छी योजनाएं नहीं बताई जातीं जिन्हें कि वे कार्यान्वित कर सकें और यदि इसका उत्तर स्वीकारात्मक है तो इस मामले में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : यद्यपि ऐसी कोई शिकायतें तो नहीं मिली हैं, परन्तु हमारा अपना अनुमान है कि स्वयंसेवक दल का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है और इसका मुख्य दोष कृषि कार्यक्रमों को तैयार करने के लिये व्यवस्थात्मक प्रयत्न की कमी है। साथ ही साथ मैं माननीय सदस्य को यह भी बता दूं कि कुछ मामलों में स्वयंसेवकों द्वारा आदर्श कार्य किया गया है। उदाहरणार्थ, मद्रास के तंजोर जिले में, कोट्टूर खंड में एक दिन प्रातःकाल १५,००० लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने पांच-छः घन्टे में ही एक छः मील लम्बी सड़क को चौड़ा बना दिया, जिस कार्य की लागत २०,००० रुपये है।

†**श्री त्यागी** : उन्होंने चीन को भी मात कर दिया।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या सरकार का भ्रमणकारी सलाहकार दल बनाने का विचार है जो कि जगह जगह जायेंगे और योजनायें तैयार करने के सम्बन्ध में लोगों को सलाह देंगे जिससे कि स्वयंसेवक दल के लोगों को जो कि बेकार बैठे हैं उपयुक्त कार्य मिल सके ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : "ग्राम स्वयंसेवक दल" जो नाम है वह इस बात का द्योतक है कि यह दल गांव में होता है। वे योजनायें तैयार करते हैं और कार्यक्रमों को तैयार करने का और कृषि कार्यक्रमों के लिये इस दल को एक साधन के रूप में उपयोग करने का उत्तरदायित्व पंचायतों का है। इसलिये इन भ्रमणकारी दलों का कोई लाभ नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रेलों में सोने का स्थान[1]

†*३९. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेडा :
श्री रिशांग किशिंग :
श्री वे० जी० नायक :
श्री महेश्वर नायक :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सब रेलगाड़ियों में दूसरी श्रेणी के डिब्बों में सोने के स्थानों की व्यवस्था की जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) अतिरिक्त शुल्क क्या होगा ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). प्रयोग के रूप में, १० अक्तूबर, १९६३ और १ नवम्बर, १९६३ से क्रमश: दो गाड़ियों में, सं० २९/३० दिल्ली-लखनऊ मेल और ३७/३८ मद्रास-हावड़ा एक्सप्रेस, दूसरी श्रेणी के डिब्बों में सोने के स्थानों की व्यवस्था की गई है।

(ग) सोने के स्थान के लिये प्रतिरात्रि अथवा उसके किसी अंश के लिये प्रत्येक स्थान (बर्थ) के लिये पांच रुपये का अधिभार लगाया गया है।

रेलवे जोन

*†४०. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त रेल व्यवस्था को दस जोनों में विभाजित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या उक्त विभाजन में प्रत्येक जोन का मुख्यालय उसी राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें कि उस जोन विशेष की रेलवे लाइनों की मील दूरी सब से अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो नये रेलवे जोनों के नाम क्या हैं तथा उनके मुख्यालयों के कहां कहां स्थापित होने की संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Sleeping Berths.

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

अखिल भारतीय कृषि सेवायें

*४१. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री धवन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २० अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय कृषि सेवा की स्थापना के प्रश्न के बारे में अन्तिम निर्णय करने में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : ३० अगस्त, १९६३ को हुई राज्यों के कृषि मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में अखिल भारतीय कृषि सेवा स्थापित करने के विस्तृत प्रश्न पर चर्चा हुई थी। इसके पश्चात् राज्यों से सरकारी तौर पर मंजूरी लेने के लिये राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को लिखा गया। अभी तक सब राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

आगरा के निकट विमान दुर्घटना

†*४२. **श्री चतर सिंह :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री पू० चं० देवभंज :
श्री मुरारका :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **परिवहन** मंत्री आगरा के निकट हुई दुर्घटना के बारे में ११ सितम्बर, १९६३ को सभा में दिय गए वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच न्यायालय का प्रतिवेदन इस बीच सरकार को मिल गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या उपपत्तियां हैं ?

†**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विस्फोटक पदार्थों की चोरी

†*४३. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री कछवाय :
श्री बड़े :
श्री बूटा सिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री घवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री ओंकारलाल बैरवा
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :

क्या **रेलवे** मंत्री एक 'ध्यान दिलाने वाली सूचना' के उत्तर में २० सितम्बर, १९६३ को दिय गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल के एक बन्द डिब्बे में से विस्फोटक पदार्थों की चोरी की जांच इस बीच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**रेलवें मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) पुलिस अभी तक इस मामले की जांच कर रही है और उन्होंने तीन और बाहरी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जिससे कि कुल गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या ७ हो गई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कलकत्ते में वृत्ताकार रेलवे

*४४. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम ।

क्या रेलवे मंत्री १० सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के चारों ओर वृत्ताकार रेलवे बनाने के लिये निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कब से आरम्भ किया जायेगा तथा यह कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ग) इस पर अनुमानित व्यय क्या होगा ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठते ।

पैकेज प्रोग्राम

†*४५. श्री वारियर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री इम्बीचिबावा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा खाद्य उत्पादन के लिये पैकेज प्रोग्रामों की कार्यान्विति का पुन-विलोकन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें कि जिला सघन कृषि कार्यक्रम (पैकेज प्रोग्राम) की अब तक की प्रगति दिखाई गई है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १८२९/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

डाकखाने

†*४६. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय बचत सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने सरकार को परामर्श दिया है कि डाक और तार विभाग में बचत के लिये डाकखानों में एक अलग उपभाग खोला जाय ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**डाक और तार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) अभी तक इस विभाग को ऐसी कोई सिफारिश नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कानपुर में माल का बुकिंग

*४७. **श्री राम सेवक यादव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे द्वारा माल का बुकिंग रोक देने के फलस्वरूप कानपुर तेल उद्योग में कई हजार मन स्टाक जमा हो गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश तेल मिलसंघ ने पूर्वोत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर तथा अन्य अधिकारियों को उक्त संकट के सम्बन्ध में अभ्यावेदन भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो माल की निकास के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां) :(क) इस मंत्रालय को न तो इस बात की जानकारी है कि कानपुर तेल उद्योग में बहुत अधिक स्टाक जमा हो गया है और न रेलवे ने कानपुर से माल भेजने पर आम पाबन्दी लगायी है ।

(ख) इस सिलसिले में रेलवे से सिर्फ़ एक बार कहा गया है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में सिलीगुड़ी स्टेशन से पूर्व के स्टेशनों को माल भेजने के लिए इस समय जितना कोटा नियत है वह काफ़ी नहीं है ।

(ग) सिलीगुड़ी स्टेशन से पूर्व के स्टेशनों के लिए कोटा अभी हाल में काफ़ी बढ़ा दिया गया है और कानपुर से इन स्टेशनों के लिए अब जितना तेल बुक होता है उसके भेजने की पूरी व्यवस्था है ।

पर्यटकों के लिये शराब के परमिट

*†४८. श्री हेडा :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटकों के लिये शराब के परमिट जारी करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भारत में इस सम्बन्ध में लम्बी प्रक्रिया को हटाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या पर्यटक व्यापार पर इसके परिणामस्वरूप पड़ने वाले प्रभाव का कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). पर्यटकों को शीघ्र ही विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों से उनके पार पत्रों अथवा पर्यटक परिचय पत्रों के साथ ही शराब के परमिट मिलने लगेंगे जो कि समस्त भारत में मान्य होंगे । वे पर्यटक जो कि किसी भी कारण से भारत में बिना परमिट लिये ही पहुंच जायेंगे, इन परमिटों की दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास स्थित भारत सरकार के पर्यटक कार्यालयों से प्राप्त कर सकेंगे ।

(ग) ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । तथापि, दौरा करने वाले विदेशी यात्रा अभिकर्ताओं तथा यात्रा व्यापार से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा किये गये अवलोकनों से यह बात जानी गई है कि समय नष्ट करने वाली औपचारिकताओं को समाप्त कर देने का सामान्य प्रभाव पर्यटक यातायात की वृद्धि के अनुकूल होगा ।

जन्म-शताब्दी टिकटें

†*४९. **श्री स्वैल :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० एनी बेसेन्ट के जन्म-शताब्दी टिकट में एक बड़ा दोष पाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

†**डाक और तार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) और (ख). १ अक्टूबर, १९६३ को जारी किये गये एनी बेसेन्ट के जन्म-शताब्दी टिकट में जन्म का वर्ष गलती से १८४७ के स्थान पर १८३७ छप गया था ।

(ग) यह गलती इस कारण हुई कि अभिलेखों में गलत वर्ष लिख लिया गया था ।

इण्डियन एयर लाइंस कारपोरेशन के लिये एवरो-७४८ विमान

†*५०. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **परिवहन** मंत्री १३ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा कानपुर स्थित विमान निर्माण

---

†मूल अंग्रेजी में

डिपो से खरीदे जाने वाले एवरो-७४८ विमानों की संख्या के बारे में इस बीच क्या निर्णय किया गया है ?

†**परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन)** : अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

भारत-इंगलिस्तान यूरोप मार्ग पर नौवहन सेवा

†*५२. **श्री मुरारका :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री० रघुनाथ सिंह :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'अपीजै लाइन्ज़', पश्चिम को जाने वाले मालवाहक जहाजों पर बढ़ाये गये १२$^{1}/_{2}$ प्रतिशत भाड़े का प्रभाव कम करने के हेतु, करमाहोम कान्फ्रेंस के मुकाबले में भारत-इंगलिस्तान यूरोप मार्ग पर समानान्तर सेवा चालू करने का इरादा रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इस मार्ग पर कितने जहाज चलाये जायेंगे ; और

(ग) करमाहोम कान्फ्रेंस की किराया वृद्धि का मुकाबला करने के लिये इन लाइन्ज़ को सहायता देने के निमित्त सरकार क्या योगदान देगी ?

†**परिवहन मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जिन हालातों में 'अपीजै लाइन्ज़' ने यह प्रस्ताव किया कि वे अपरोक्ष रूप से भारत-इंगलैंड सम्मेलन के भाड़े की दरों को १२ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत बढ़ाने से ही सम्बन्धित हैं । सम्मेलन ने अब इस वृद्धि को घटा कर १० प्रतिशत कर दिया है जब कि समुद्री भाड़ा आयोग ने इसे ७$^{1}/_{2}$ प्रतिशत करने की सिफारिश की थी । निर्यात व्यापार में नाजुक पदार्थों के लिए संरक्षण की व्यवस्था करने के प्रश्न को भी संतोषजनक रूप से तय किया जाना है । "अपीजै लाइन्ज़" तथा अन्य कुछ नौवहन समवायों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

(ख) प्रारम्भ में चार नौवहन समवायों द्वारा ६ जहाज (अर्थात् अगले छः महीनों में प्रति महीने एक जहाज) चलाने का प्रस्ताव किया गया है ।

(ग) सरकार भारतीय अनेमी नौवहन को प्रत्येक सम्भव सहायता देगी जो कि उनके पिछले वायदों तथा हमारे राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री वाल्कॉट का निकल भागना

श्री हरि विष्णु कामत :
श्री कछवाय :
श्री बूटा सिंह :
श्री बड़े :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री यु० व० सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री चतर सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
†*५३. श्री महेश्वर नायक :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री वारियर :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री अ० व० राघवन् :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दे० द० पुरी :
श्री गो० महन्ती :
श्री कोया :

†मूल अंग्रेजी में

श्री बृजराज सिंह :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री राम सेवक यादव :
श्री हेडा :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री कृ० चं० पंत :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री बसुमतारी :
श्री ह० चं० सोय :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक अमरीकी नागरिक, श्री बाल्कॉट, अपने अवरुद्ध[1] विमान में बैठ कर भारत से निकल भागे ; और

(ख) यदि हां, तो जिन परिस्थितियों में यह घटना हुई, उसका ब्यौरा क्या है ?

†परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) और (ख). मैं एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है ।

विवरण

(क) और (ख). एसोसिएटड होटल्स आफ इंडिया तथा ट्रांस-एटलांटिक एयरलाइन्स और अन्य पक्षों के बीच चल रहे मुकदमे में वाणिज्यिक उप-न्यायाधीश, दिल्ली के दिनांक ३१ जनवरी, १९६३ के एक आदेश द्वारा श्री बालकॉट तथा अन्य लोगों पर विमान को भारत से बाहर ले जाने पर रोक लगा दी गई थी । केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता, नई दिल्ली ने भी एक आदेश जारी किया था कि बालकॉट के विमान को उस समय तक रोके रखा जाय जिस समय तक कि वह सीमा शुल्क विनियनों के उल्लंघन के कारण उस पर किये गये जुर्माने की राशि को अदा न कर दे । केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता के आदेश के अनुसरण में एक पुलिस प्रहरी की भी व्यवस्था की गई थी । सीमा शुल्क विनियमनों के उल्लंघन के लिये श्री बालकॉट पर किये गये जुर्माने की उसके द्वारा अदायगी

†मूल अंग्रेजी में

[1]Impounded planes

किये जाने पर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता का आदेश २४ सितम्बर, १९६३ को रद्द कर दिया गया। वाणिज्यिक उप-न्यायाधीश का आदेश भी २५ सितम्बर, १९६३ को रद्द कर दिया गया। उसी दिन, अर्थात् २५ सितम्बर, १९६३ को, श्री वालकॉट पर टाटा सन्ज (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा चलाये गये एक गैर-सरकारी मुकदमे में उप-न्यायाधीश, दिल्ली द्वारा इस आशय का आदेश जारी किया गया कि विमान सफदरजंग हवाई-अड्डे से न हटाने दिया जाय। इस आदेश की एक प्रतिलिपि २५ सितम्बर, १९६३ को हवाई-अड्डा अधिकारी को दे दी गई थी। २६ सितम्बर, १९६३ को जब श्री वालकॉट ने हवाई-अड्डे के प्राधिकारियों से विमान को उड़ा ले जाने की अनुमति देने की प्रार्थना की तो इस आदेश को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अनुमति नहीं दी। मनाही के बावजूद भी श्री वाल्कॉट २६ सितम्बर, १९६३ को १२ बज कर १७ मिनट पर अनधिकृत रूप से विमान को उड़ा ले गये। इस अनधिकृत उड़ान को भर कर श्री बाल्कॉट ने भारतीय विमान नियम, १९३७ के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया है :—

(१) नियम २५-क . . विमान में ईंधन डालना।

(२) नियम १५ . . विमान के उड़ान योग्य होने का प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता।

(३) अनुसूची ४, पैरा ३. ५. १. १ विमान यातायात नियंत्रण की अनुमति का पालन।

(४) अनुसूची ४, पैरा ३.२.६.२ . हवाई पट्टी पर चलने अथवा उड़ान भरने आदि से पूर्व या उससे सम्बन्धित गतिविधि के लिये हवाई-अड्डा नियंत्रण गृह द्वारा पहले से अधिकृत किया जाना।

(५) अनुसूची ४, पैरा ३.२.२.५ . उड़ान भरने से पहले टक्कर के स्पष्ट खतरे को दूर करने की आवश्यकता।

(६) अनुसूची ४, पैरा ३.२.६.१ हवाई अड्डे के समीपवर्ती क्षेत्र में और उसके ऊपर संचालन के लिये आवश्यकता।

(७) नियम ६ . कर्मचारी वर्ग को लाइसैंस देना।

(८) नियम २१ . . खतरनाक उड़ान को न भरना।

उसने सीमा शुल्क निकासी से सम्बन्धित नियमों तथा आप्रवर्जन निकासी से सम्बन्धित नियमों विशेष रूप से विदेशी व्यक्ति पंजीयन अधिनियम के अधीन नियमों का भी उल्लंघन किया है।

राजनयिक साधनों द्वारा अमरीकी प्राधिकारियों के साथ श्री वालकॉट तथा उनके पाइपर विमान को लौटाने की कार्यवाही की गई है।

कृषि के लिये अतिरिक्त धन

†*५४. श्री एणपाल सिंह :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री पं० वेंकटासुब्बया :
श्री दाजी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १० सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने कृषि कार्यक्रमों के लिये अतिरिक्त धन के आवंटन के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). चाल वर्ष (१९६३–६४) के लिये, राज्य सरकारों को कृषि उत्पादन कार्यक्रमों को तीव्र करने के लिये १९.१५ करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन मंजर किया गया है। जहां तक तृतीय योजना के शेष दो वर्षों का सम्बन्ध है, अभी तक योजना आयोग द्वारा कोई विशेष निर्णय नहीं किया गया है। तथापि, वार्षिक योजनाओं के माध्यम से, कृषि कार्यक्रमों के लिये पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था करने की दृष्टि से प्रत्येक प्रयत्न किया जायेगा।

सहकारी खेती

†*५५. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री एणपाल सिंह :
श्री पं० वेंकटासुब्बया :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री वारियर :
श्री हेडा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कोया :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों में सहकारी खेती का प्रयोग किया गया है और उसके क्या परिणाम निकले

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार योजना को लोकप्रिय बनाने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का क्या प्रेरणा और प्रोत्साहन देने का विचार है ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) सहकारी खेती के सभी राज्यों में प्रयोग किये जा रहे हैं । एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें संगठित हुई समितियों की संख्या बताई गई है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें वे प्रेरणा और प्रोत्साहन दिखाये गये हैं जो कि सरकार दे रही है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १८३०/६३]

खाद्यान्नों का मूल्य

†*५६. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ह० चं० सौय :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा सभी प्रयत्न किये जाने के बावजूद भी अक्टूबर, १९६३ में सारे देश में खाद्यान्नों के मूल्य में और वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो अगस्त और सितम्बर, १९६३ के मूल्यों की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है ?

†खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थॉमस) : (क) खाद्यान्नों के मूल्य में अक्टूबर, १९६३ के प्रथम तीन सप्ताहों में सामान्यतया वृद्धि ही होती रही, परन्तु अक्टूबर के चौथे सप्ताह में उनमें गिरावट देखी गई है ।

(ख) धान्य पदार्थों के थोक मूल्यों का अखिल भारतीय सूचकांक, जो कि अगस्त में ११५·३, सितम्बर में ११७·३ और अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में ११९·३ था, अक्टूबर के चौथे सप्ताह में ११८·२ तक गिर गया था ।

दिल्ली दुग्ध योजना

†*५७. श्री वारियर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ४ अक्टूबर, १९६३ के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित इस लेख की ओर आकर्षित किया गया है कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा संभरित किये जाने वाले दूध को खट्टा होने से बचाने के लिये दूध में सोडा और मिट्टी का तेल तक मिलाया जाता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जैसा कि उसी लेख में कहा गया है क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा कभी कभी गाय के दूध में भैंस का दूध मिलाया जाता है और वह दूध गाय का दूध कह कर बेचा जाता है ;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी क्या उपपत्तियां हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थॉमस)**: (क) जी, हां। लेख में लगाये गये आरोप को निराधार पाया गया है ।

(ख) से (घ). इस मामले में की गई जांच से पता चला है कि दिल्ली दुग्ध योजना को गाय के दूध में कुछ भैंस का दूध मिलाने के कार्य का आश्रय लेना पड़ा, विशेषरूप से इसलिये क्योंकि एक महीने में दो दिन, अर्थात् पूर्णिमा तथा अमावस्या को, बीकानेर से गाय के दूध का सम्भरण नहीं हुआ था और कुछ भैंस का दूध गाय के दूध के भण्डार में इस दृष्टि से मिलाया गया था कि उपभोक्ताओं को जो दूध के कार्ड जारी किये गये हैं उन पर उनकी पूरी मांग को पूरा कर दिया जाय। तदपि, यह प्रथा १३ जुलाई, १९६३ से पूरी तरह से बन्द कर दी गई है ।

पी० एल० ४८० करार

†*५८. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री राम सेवक यादव :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १३ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० एल० ४८० करार के अन्तर्गत गेहूं के जहाज़ों पर लदान की अवधि में वद्धि के उनके प्रस्ताव के सम्बन्ध में अमरीका सरकार की प्रतिक्रियायें प्राप्त हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) पी० एल० ४८० के अन्तर्गत किस वर्ष तक का आया हुआ चावल बेचा जा चुका है तथा कितनी मात्रा अभी भी सरकारी गोदामों में पड़ी हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थॉमस)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) विभिन्न वर्षों में सरकार को प्राप्त चावल के भण्डार अलग अलग नहीं रखे जाते हैं । १ अक्टूबर, १९६३ को सरकार के पास अमरीकी चावल का भण्डार लगभग ६२,००० टन था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे दुर्घटना समिति

†*५९. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री उमानाथ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या रेलवे मंत्री २० अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे दुर्घटना समिति ने अपना सम्पूर्ण प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की उपपत्तियां और सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इन सिफारिशों की कार्यान्विति के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) प्रतिवेदन के दूसरे भाग की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

बालाघाट में टेलीफोन सेवा

†*६० श्री हरि विष्णु कामत : क्या डाक और तार मंत्री बालाघाट में टेलीफोन सेवा के बारे में २१ सितम्बर, १९६३ के अल्पसूचना प्रश्न संख्या १७ के उत्तर के सम्बध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया गया है ; और

(ग) उसकी मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ?

†डाक और तार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) से (ग). मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त किये गये दण्डाधिकारी ने जांच पूरी कर ली है और अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को दे दिया है । राज्य सरकार प्रतिवेदन की जांच कर रही है । राज्य सरकार ने अभी तक अपने निर्णय अथवा दण्डाधिकारी की उपपत्तियों के सम्बन्ध में डाक और तार विभाग को सूचित नहीं किया है ।

फलों का परिरक्षण

६६. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युगोस्लाविया की एक फर्म की तकनीकी सहायता से शिलांग में फल परिरक्षण का एक कारखाना स्थापित करने का निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कब तक और कितनी लागत में बनकर तैयार होगा ;

(ग) क्या यह कारखाना निजी क्षेत्र में होगा या सरकारी क्षेत्र में ; और

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इस कारखाने की क्षमता क्या होगी तथा इसमें कौन-कौन से फल डिब्बों में बन्द किये जायेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

सामुदायिक विकास खंड

†६७. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार को १९६२-६३ में तथा १९६३-६४ में अब तक उस राज्य के सामुदायिक विकास खण्डों के लिये कुल कितनी धनराशि दी गई है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति)**: १९६२-६३—राज्य सरकार को ८७२ लाख २० हजार रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई थी (५४६ लाख ६७ हजार रुपये अनुदान के रूप में तथा ३२५ लाख ५३ हजार रुपये ऋण के रूप में)।

१९६३-६४ :—६२३ लाख ८० हजार रुपये की केन्द्रीय सहायता आवंटित की गई है (३७६ लाख रुपये अनुदान के रूप में तथा २४७ लाख ८० हजार रुपये ऋण के रूप में)।

उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन

६८. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में १९६१-६२ और १९६२-६३ में चीनी का उत्पादन कुल कितना था ; और

(ख) इसी अवधि में उत्तर प्रदेश से कुल कितनी चीनी निर्यात की गई ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) :

(क) शर्करा वर्ष	१९६१-६२	लाख मीट्रिक टन
	(नवम्बर से अक्तूबर)	१२.०४
	१९६२-६३	
	(नवम्बर से अक्तूबर)	८.५०

(ख) शर्करा निर्यात संवर्द्धन अधिनियम के अन्तर्गत १९६१-६२ के उत्पादन पर निर्यात कोटा १,९९,६०६ मीट्रिक टन और १९६२-६३ के उत्पादन पर अक्तूबर, १९६३ के अन्त तक, ७९,३८२ मीट्रिक टन था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सड़क निधि

९६. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२-६३ में केन्द्रीय सड़क निधि से अलग-अलग राज्यों को सड़क निर्माण योजना में कितनी-कितनी धन राशि दी गई है ?

परिवहन मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १८३१।६३]**

अनुसन्धान योजना

†७०. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) १९६२-६३ और १९६३-६४ में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा उत्तर प्रदेश में कुछ अनुसन्धान योजनायें मंजूर की गई थीं अथवा उनको मंजूर करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके क्या ब्यौरे हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १८३२/६३]**

उत्तर प्रदेश को सहायता

†७१. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :
श्री बालगोविन्द वर्मा :
श्री सरजू पाण्डेय : -

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२, १९६२-६३ और १९६३-६४ में अब तक पशु पालन, डेरी उद्योग तथा मीन क्षेत्रों के विकास के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्र द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) इसी अवधि में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वास्तव में कितनी धन राशि व्यय की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें पशु पालन, डेरी उद्योग तथा मीन क्षेत्रों की विकास योजनाओं के लिय उत्तर प्रदेश सरकार को १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में दी गई केन्द्रीय सहायता की धन राशि और १९६३-६४ के लिये आवंटित धन राशि के सम्बन्ध में जानकारी दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १८३४/६३]**।

---

†मूल अंग्रेजी में

पर्यटकों के लिये पश्चिमी ढंग का आवास स्थान

†७२. **श्री अ० व० राघवन्** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के मुख्य नगरों में पर्यटकों के लिये कम लागत वाले पश्चिमी ढंग के आवास स्थान की व्यवस्था करने के लिये राज सहायता की मंजूरी के लिये प्रत्येक राज्य से अब तक कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये चुनी गई संस्थाओं के नाम क्या हैं तथा कितना रुपया मंजूर किया है ; और

(ग) क्या व्यक्ति विशेषों द्वारा चलाये जाने वाले होटल भी इस अनुदान के पात्र हैं ?

†**परिवहन मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है —

तृतीय योजना में पर्यटकों के लिये सम्मिलित की गई योजना का उद्देश्य भारत के छः मुख्य नगरों, अर्थात् दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, आगरा और जयपुर में केवल मध्य तथा निम्न आय वर्ग के विदेशी पर्यटकों के लिये कम लागत वाले पश्चिमी ढंग के आवास स्थान की व्यवस्था करना है। मध्य तथा निम्न आय वर्ग के विदेशी पर्यटकों के लिये उपयुक्त कम व्यय वाले तथा साफ सुथरे आवास स्थान की व्यवस्था करने में अनुभवी ख्यातिप्राप्त संस्थाओं को उपर्युलिखित नगरों में इसी प्रकार के आवास स्थान की व्यवस्था करने के लिये राजसहायता देने का विचार था।

इस प्रकार के आवास स्थान की व्यवस्था करने के हेतु ९ संस्थाओं तथा ३ राज्य सरकारों से राजसहायता के लिये प्रार्थनापत्र आये थे, जैसाकि निम्न तालिका में दिखाया गया है :—

राज्य का नाम	संस्था	राज्य सरकार
दिल्ली	२	..
उत्तर प्रदेश	२	१
मद्रास	३	१
आंध्र प्रदेश	१	..
पश्चिम बंगाल	..	१
राजस्थान	१	..
	९	३

नई दिल्ली में पर्यटकों के लिए एक अतिथि भवन के निर्माण पर होने वाले व्यय को आंशिक रूप में पूरा करने के लिए वाई० डब्ल्यू० सी० ए० नई दिल्ली को ३ लाख ७५ हजार रुपये की राजसहायता मंजूर की गई थी अतिथि भवन चल रहा है। मद्रास में विदेशी पर्यटकों के लिए एक होस्टल का निर्माण करने के हेतु आंध्र महिला सभा, मद्रास को १ लाख ५० हजार रुपये की राज-सहायता मंजूर की गई थी। आशा है कि इस होस्टल का उद्घाटन दिसम्बर, १९६३ के अन्त तक हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

संस्थाओं को अर्थ सहायता देने के प्रश्न का पुनर्विलोकन किया गया था और अब विचार यह है कि संस्थाओं को अनुदान देने के बजाय उन्हें आसान शर्तों पर ऋण दिये जायें और जहां ऐसी संस्थायें ऋण लेने की इच्छुक न हों तो वहां सरकार स्वयं ही ऐसे आवास स्थान की व्यवस्था करे। वाई० डब्ल्यू० सी० ए०, नई दिल्ली को आसान शर्तों पर ८ लाख रुपये का ऋण दिया गया है।

इस योजना के अधीन व्यक्ति विशेषों द्वारा चलाये जाने वाले होटल ऐसे ऋणों के पात्र नहीं हैं।

विशेष टिकट

†७३. **श्री अ० ब० राघवन्** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के समाज सुधारकों तथा सुविख्यात संगीतज्ञों के नाम पर डाक टिकटों की एक विशेष श्रृंखला जारी करने का निश्चय किया गया है ;

(ख) क्या ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार कर ली गई है ; और

(ग) यदि हां, तो कौन कौन से नाम चुने गये हैं तथा किन किन तिथियों को टिकटें जारी की जायेंगी ?

†**डाक और तार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) जी, हां

(ख) और (ग) सूची तैयार की जा रही है।

डाक और तार भवन

†७४. **श्री अ० ब० राघवन्** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) केरल के मलाबार प्रदेश में डाक और तार कार्यालय तथा टेलीफोन ऐक्सचेन्जों के लिये नये भवनों का निर्माण करने के सम्बन्ध में १९६०-६१ से ले कर अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) जिन परियोजनाओं में अब प्रगति हो रही है उन के नाम क्या हैं तथा वे कब तक पूरी हो जायेंगी ?

†**डाक और तार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) और (ख) निम्नलिखित भवनों का निर्माण हो रहा है :—

१. कोजीकोर्ड मुख्य डाक घर भवन
२. क्विलेन्डी टेलीफोन एक्सचेंज
३. कालीकट मुख्य डाक घर तथा सुविधा खण्ड

निम्नलिखित भवनों के सम्बन्ध में भूमि खरीद ली गई है और योजनायें तथा प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं :

१. कन्नानोर . . .	टेलीफोन एक्सचेन्ज
२. कन्नानोर .	मुख्य डाक घर
३. पालघाट .	टेलीफोन एक्सचेन्ज
४. तेल्लिचेरी	डाक घर
५. कालीकट . . .	टेलीफोन एक्सचेन्ज
६. नेमाश	डाक घर

†मूल अंग्रेजी में

निम्नलिखित स्थानों पर भूमि अर्जित की जा रही है :—

१. बदासरा में टेलीफोन एक्सचेन्ज के लिये
२. पोन्नानी में टेलीफोन एक्सचेन्ज के लिये
३. परिन्थालमन्ना में डाक घर के लिये
४. तिरुर में टेलीफोन एक्सचेन्ज के लिये
५. कनहंगद में टलीफोन एक्सचेन्ज के लिये

अन्य निम्नलिखित मामले विचाराधीन हैं :—

१. मन्नानटोड्डी में डाक घर के लिये
२. वीथिरी में डाक घर के लिये
३. कल्लई में डाक घर के लिये

वाल्टेयर स्टेशन

†७५. **श्री पू० चं० देवगंज** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या तृतीय योजना काल में दक्षिण-पूर्व रेलवे पर वाल्टेयर रेलवे स्टेशन और उसके यार्ड के प्रसार तथा विकास के लिये कोई प्रस्ताव हैं ; और

(ख) उपरलिखित विकास तथा प्रसार योजना पर सरकार का कुल कितना रुपया व्यय करने का विचार है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख) ६ लाख २८ हजार रुपये की लागत पर वाल्टेयर के स्टेशन की इमारत को नये ढंग नसे बनाने और २ लाख ९६ हजार रुपये की लागत पर सवारी डिब्बों को खड़ा करने के लिये अतिरिक्त लाइनों की व्यवस्था करने का विचार है। कार्यों में प्रगति हो रही है ।

रेलवे लाइनों के साथ साथ कृषि योग्य भूमि

†७६. **डा० श्री निवासन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में रेलवे लाइनों के साथ साथ कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं ;

(ग) क्या इन भूमियों को खेती के लिये उपयोग में लाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां

(ख) इस प्रकार की रेलवे की भूमि का कुल क्षेत्र लगभग ७८,५९० एकड़ है

(ग) और (घ) खेती के लिये उपयुक्त रेलवे की सारी फालतू भूमि संबंधित राज्य सरकारों को कृषकों को आवंटित करने के लिये दे दी जाती है क्योंकि आबंटन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है अतः ब्यौरे ज्ञात नहीं हैं

---

†मूल अंग्रजी में

बाढ़ से फसलों को क्षति

†७७. श्री यशपाल सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में हाल में बाढ़ से हुई खड़ी फसलों की हानि का निर्धारण कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल अनुमानित हानि कितनी हुई ;

(ग) सब से अधिक बाढ़-ग्रस्त राज्य कौन कौन हैं ; और

(घ) केन्द्र द्वारा बाढ़-ग्रस्त राज्यों को किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग). हाल की बाढ़ों से खड़ी फसलों को हुई क्षति का तथ्यात्मक निर्धारण, कृषि वर्ष (जुलाई से जून तक) समाप्त होने पर समस्त फसलों के अन्तिम प्राक्कलन उपलब्ध होने के बाद ही किया जा सकता है।

(घ) दैवी आपदाओं से ग्रस्त राज्यों को सहायता देने के लिये केन्द्र द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार राज्य सरकारें अपने राजस्व से ऐसी दैवी आपदाओं के व्यय पूरा करने के लिये एक उचित राशि अलग रख लेती हैं। राज्य सरकारें केन्द्र से तभी सहायता मांग सकती हैं जब कुल प्राक्कलन व्यय एक करोड़ रुपये से अधिक हो जाये। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को नि:शुल्क सहायता के रूप में केवल उस राशि का आधा भाग देती है जो राज्य सरकारें दैवी आपदाओं के लिये अपनी अलग रखी गई राशि से अधिक व्यय करती हैं। कभी कभी केन्द्र द्वारा अनुदान तथा ऋण भी दिये जाते हैं।

चीनी की मिलों का बन्द होना

†७८. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में देश में बड़ी संख्या में चीनी की मिलें बन्द हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मलें बन्द हुई हैं तथा उन के बन्द होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) केन्द्र सरकार ने उन मिलों को फिर से चालू करने के लिये क्या विशेष कदम उठाये हैं;

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, नहीं

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते

उर्वरकों का मूल्य

†७९. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उर्वरकों का मूल्य घटाने का निर्णय किया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो मूल्य कम करने के बाद विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के मूल्य क्या होंगे ?

†खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख). इस विषय पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

ग्राम स्वयं सेवक दल

†८०. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक ग्राम स्वयं सेवक दल में भर्ती हुए व्यक्तियों की राज्यवार संख्या क्या है ; और

(ख) अब तक इस योजना पर कितना व्यय किया गया है ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति): (क) ब्योरा सल्लग्न विवरण में दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०१८३३/६३]

(ख) ग्राम स्वयं सेवक दल की योजना को कार्यान्वित करने के लिये विशेष रूप से कोई व्यय नहीं किया गया है । तथापि इस योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विभागीय कार्यक्रम और प्रशिक्षण की योजनायें अपनाई गई हैं ।

मनीआर्डर फार्म

†८१. श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बजत :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री धुजेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या डाक और तार मंत्री १७ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ७२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार कर लिया है कि गैर-सरकारी पार्टियों को मनीआर्डर के फार्म छापने की इजाजत दी जाय और इसके बदले में फार्मों पर उनके विज्ञापन निःशुल्क छापे जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम हुआ ?

†डाक और तार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) जी, हां ।

(ख) गैर-सरकारी पार्टियों से प्राप्त उत्तरों पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

धान के खेतों में पत्तियां सुखा देने वाली बीमारी

†८२. श्री रा० गि० दुबे :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री विभूति मिश्र :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के शाहाबाद जिले में कुछ धान के खेतों में फैली हुई पत्तियां सुखा देने वाली बीमारी को रोकने के लिये कोई आन्दोलन आरम्भ करने का निर्णय किया है ; और

(ख) इस दिशा में क्या उपाय किये गये हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) और (ख). शाहाबाद में खरीफ़ की फसल के समय धान के खेतों में पत्तियां सुखा देने वाली बीमारी के लक्षण दिखाई देने के तुरन्त पश्चात् केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के विशेषज्ञों ने बीमारी के फैलाव तथा इसके संभावित कारणों सम्बन्धी विस्तृत क्षेत्र-सर्वेक्षण किया. बीमारी के कारणों की अभी जांच की जा रही है । इस बीच उपचार के उपायों के रूप में कुछ निम्नलिखित उपाय सुझाये गये । तथा इनका विस्तृत रूप से प्रचार किया गया :

(१) धान की निराई करने वाले औजारों से मिट्टी की अच्छी तरह जताई करना ;

(२) खेतों से पानी बाहर निकालना ;

(३) ४० पौंड नाइट्रोजन, विशेष रूप से यूरिया, ४० पौंड फासफोरिक एसिड तथा २० पौंड यूरिएट आफ पोटाश का प्रयोग ; और

(४) खाद डालने के बाद खेतों की सिंचाई ।

उपरोक्त उपाय ग्रस्त क्षेत्रों में आन्दोलन के रूप में अपनाये गये । केन्द्र सरकार ने १९६३ की खरीफ की फसल में कृषकों को सहायता देने के लिये कीट-नाशक औषधि के हेतु दी जाने वाली राज सहायता को २५ प्रतिशत से बढ़ाकर ५० प्रतिशत करने की घोषणा कर दी है ।

बीमारी के नैमित्तिक कारणों का पता लगाने के लिये लगभग एक महीने से दो जापानी विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त की गई हैं । इस समय ये विशेषज्ञ देश में हैं तथा वे शाहाबाद भी जा चुके हैं । इन विशेषज्ञों के विस्तारपूर्वक छानबीन तथा केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श के बाद धान की बीमारी के कारणों तथा इसके उपचार के बारे में कार्य किया जायेगा ।

नौवहन निगम

†८३. श्री उमानाथ : क्या परिवहन मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के नौवहन निगम का विस्तार करने की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) तथा (ख). भारत के नौवहन निगम द्वारा नौवहन 'टनभार' के विस्तार के लिये अभी तक निर्मित प्रस्तावों में १६ समुद्र पार जहाजों, ३ तटीय कोयला वाहकों और २ समुद्र पार टकरों को प्राप्त करने की योजना है जिनका कुल पंजीबद्ध टनभार लगभग २,२३,००० है।

कानपुर के पास रेलों की टक्कर

†८४. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर के पास अजगांम रेलवे स्टेशन पर लखनऊ को जाने वाली १०८ डाउन पैसेन्जर गाड़ी एक खाली खड़ी गाड़ी के साथ भिड़ गई थी ।

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में जान और माल की कितनी हानि हुई ; और

(ग) दुर्घटना का कारण क्या था ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) से (ग). २१ सितम्बर, १९६३ को लगभग रात के १० बजकर २२ मिनट पर अजगाम स्टेशन पर जब गाड़ी नम्बर १०८ अप लखनऊ-झांसी पैसेन्जर, १ नम्बर लाइन से चल रही थी तो प्वाइन्ट के गलत लग जाने के कारण यह साइडिंग की ओर घुस गई तथा वहां खड़ें रेल के डिब्बे से टकरा गई ।

इसके फलस्वरूप ९ व्यक्तियों को मामूली चोटें आईं। रेलवे वालों की ६,४३० रूपये की सम्पत्ति की हानि होने का अनुमान है ।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

†८५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अधिकारियों का ध्यान पूर्वोत्तर-सीमा रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर जलपान-गृहों द्वारा असंतोष-जनक भोजन व्यवस्था तथा इसी रेलवे के अन्य स्टेशनों पर चाय की दुकानों के अभाव की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो दशा में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) आसाम में किन-किन स्टेशनों पर भोजन व्यवस्था का अभाव है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). पूर्वोत्तर-सीमा रेलवे के कुछ स्टेशनों पर भोजन व्यवस्था सम्बन्धी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं । छान-बीन करने के बाद जिन शिकायतों की पुष्टि हुई थी उनको दूर करने के लिये औपचारिक कदम उठाये गये हैं ।

जहां पर चाय की दुकानों की आवश्यकता है अथवा जहां पर यात्रियों ने मांग की है वहां पर या तो चाय की दुकानें खोली गई हैं या खोली जा रही हैं ।

(ग) एक विवरण संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–१८३५/६३**]

†मूल अंग्रेजी में

सिलिगुड़ी और जोगी घोपा के बीच रेलवे लाइन

†८६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर-सीमा रेलवे में सिलिगुड़ी और जोगीघोपा के बीच वैकल्पिक रेल सम्पर्क स्थापित करने के कार्य में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इसके कब तक पूर्ण होने की संभावना है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). सिलिगुड़ी से जोगी-घोपा तक ब्राड गेज के लिये प्राथमिक इन्जिनियरिंग तथा स्थान सम्बन्धी सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है । इस कार्य के लिये पर्याप्त टेंडर प्राप्त हुए तथा सितम्बर, १९६३ के अन्त तक टैन्डरों पर अन्तिम निर्णय लिया गया था । इस चालू कार्य-काल (अक्तूबर, १९६३) के आरम्भ से काम शुरू हो गया है । इस लाइन के कार्य को दो कार्य-कालों में पूरा करने के लिये पूर्ण प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

गोहाटी से अपर आसाम तक पैसेन्जर रेलगाड़ी

†८७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोहाटी से अपर आसाम तक रात के समय फिर पैसेन्जर गाड़ी चालू कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब से चालू की है ; और

(ग) यदि नहीं तो चालू न करने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). पूर्वोत्तर-सीमा रेलवे के लुमडिंग-मरियानी क्षेत्र में रात को सवारी ले जाने वाली गाड़ियां अभी तक बन्द हैं ।

(ग) ऐसा सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है ।

उत्तर रेलवे वर्कशाप

८८. **श्री विश्राम प्रसाद** :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री शं० ना० चतुर्वेदी :
श्री कर्णी सिंहजी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे की एक वर्कशाप से पुलिस ने २१ सितम्बर, १९६३ को या उसके लगभग १ लाख रुपये के चोरी के कल पुर्जे बरामद किये ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी नहीं। दरअसल बात यह है कि उत्तर रेलवे के वातानुकूलन कारखाने के बिजली के सामान के अनुरक्षण और निबटारे के सम्बन्ध में रेलवे सुरक्षा दल की अपराध आसूचना शाखा[1] ने कुछ अनियमितताओं का पता लगाया था।

(ख) और (ग). विशेष पुलिस सिब्बन्दी इस मामले की जांच कर रही है और उत्तर रेलवे की अपराध आसूचना शाखा विशेष पुलिस सिब्बन्दी की सहायता कर रही है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड

†८९. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापटनम में हिन्दुस्तान शिपयार्ड सम्बन्धी विस्तार योजना में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितना व्यय किया गया है ; और

(ग) योजना की कब तक पूर्ण हो जाने की आशा है ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह व्यवस्था की गई थी कि २ करोड़ ४४ लाख रुपये की अनुमानित लागत से हिन्दुस्तान शिपयार्ड का विस्तार किया जायेगा। इस राशि में से सरकार ने अब तक ९६.०८ लाख रुपये की लागत कार्य को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। इसमें से आपात काल के कारण २०.५० लाख रुपये की लागत का असैनिक कार्य निष्पादन स्थगित कर दिया गया है। योजना में स्वीकृत शेष राशि की लागत के अग्रेतर विकास कार्य के सम्बन्ध में शिपयार्ड कार्यक्रम तैयार कर रहा है। पूरी आशा है कि इस राशि का पूरा उपयोग किया जायेगा।

(ख) अब तक निम्नलिखित राशि व्यय की गई है :—

वर्ष	रुपये नये पैसे
१९६१–६२	८,७३,०००.००
१९६२–६३	६,६४,५००.००
१९६३–६४ . . .	२८,९४,०००.००
(आय-व्यय प्राक्कलन) कुल . . .	४४,३९,५००.००

(ग) योजना का कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

†मूल अंग्रेजी में

[1]Crime Intelligence Branch.

जहाजों को मौसम सम्बन्धी सूचना देने वाले केन्द्र

†९०. **श्री धवन :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री ओझा :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास में हाल ही में जहाजों को मौसम संबधी सूचना देने वाले प्रथम स्वचालित केन्द्र की स्थापना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह कहां से तथा कितनी लागत पर मंगाया गया है ; और

(ग) यह किस कार्य के लिए प्रयोग में लाया जायेगा ?

†**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी हां, यह केन्द्र २४ सितम्बर, १९६३ को स्थापित किया गया है ।

(ख) मौसम सम्बन्धी सूचना देने वाला स्वचालित केन्द्र संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना की सम्पत्ति है । उन्होंने इसे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर अभियान कार्याविधि के लिए भारतीय ऋतू विज्ञान सम्बन्धी विभाग को दिया है ।

(ग) यह एक नियत अवधि के बाद, मौसम का प्रेक्षण विशेष रूप से दबाव, हवा की गति तथा दिशा का ज्ञान आसमान तथा समुद्र के सतह के तापमान को दर्ज करेगा तथा उसका स्वयं संचार करेगा ।

भारतीय नौ सेना के लिये सर्वेक्षण पोत

†९१. **श्री भी० प्र० यादव :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री बड़े :
श्री बूटा सिंह :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा नियुक्त उच्चस्तीय समिति ने सुझाव दिया है कि भारतीय नौ सेना के लिये सर्वेक्षण पोत के कार्य में तीव्रता लानी चाहिये जिससे यह अक्तूबर, १९६४ तक तैयार हो सके ;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार पोत को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि पोत के निर्माण का कार्य बिना विदेशी परामर्शदाता की सहायता के पूरा किया जायेगा ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां ।

(ख) सर्वेक्षण पोत के कार्य का नश्चित समय पर पूरा करने के हेतु समिति के दिये गये सुझाव के अनुसार, काफी संख्या में तथा अर्हता प्राप्त कर्मचारियों के सहयोग से नौसेना के एक योग्य अधि-

† मूल अंग्रेजी में

कारी के अधीन कार्य की प्रगति को देखने के लिए एक दर्शक कार्यालय खोला गया है। यह कार्यालय पोत के निर्माण सम्बन्धी कार्य के लिये अग्रिम योजना तथा कार्य की अनुसूची बनाता है और कार्य स्थानों[1] में सनन्वय के आधार पर नक्शे भी तैयार करता है ।

(ग) जी हां ।

डेरी सहकारी समितियां

†९२. श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से डेरी सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के बारे में ठोस नीति अपनाने के लिये कहा है और इस प्रस्ताव को किन किन राज्यों ने स्वीकार किया है ;

(ख) देश में डेरी के विकास में इस से कहां तक सहायता मिलेगी ; और

(ग) क्या कोई ऐसी राज्य सरकार भी है जिस ने इसे स्वीकार न किया हो और यदि हां, तो क्या इसके लिये कोई कारण बताया गया है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) और (ग). जी हां। मद्रास बिहार, आंध्र प्रदेश, केरल,उत्तर प्रदेश, गुजरात और मैसूर की राज्य सरकारों ने प्रस्तावों को सामान्य रूप से मंजूर कर लिया है। अन्य राज्यों से उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) डेरी के कार्य को सहकारी प्रद्धति पर चलाने से उत्पादकों को अच्छे मूल्य और मंडी मिल जाने में सहायता मिलेगी, जिस से पशुओं का सुधार हो सकेगा और दूध की उत्पादन मात्रा में भी वृद्धि हो सकेगी। इस से डेरी संयंत्रों को अधिक दूध मिल सकेगा और अच्छी किस्म का दूध और इससे बनी वस्तुएं उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर मिल सकेंगी।

क्षारीय मिट्टी में गन्ने की खेती

†९३. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय गन्ना अनुसन्धान संस्था ने क्षारीय मिट्टी में गन्ना उगाने का नया ढंग निकाला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस नये तरीके की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और क्षारीय मिट्टी को गन्ना उपजाने के लिये उपयुक्त बनाने पर कितना खर्च होता है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Work Spot.

(ख) इस तरीके में गन्ना गहरे कूडों में लगाया जाता है और शीघ्र ही थोड़ा पानी दिया जाता है। गन्ने के अंकुरण के बाद काटे हुए गन्ने की छीलन की मोटी तह कूडों में लगा दी जाती है। उनमें फिर पानी दिया जाता है। साधारण तरीके से गन्ना उगाने की अपेक्षा इस तरीके से उगाने में ५० रुपये से १०० रुपये प्रति एकड़ तक अधिक खर्च होता है।

दिल्ली परिवहन [1]

†९४. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव है कि दिल्ली में और इसके आस पास ग़ैर-सरकारी बसों को चलाने की अनुमति दे दी जाये, जिस से कि जनता को सुविधा मिले;

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और यह योजना कब तक क्रियान्वित की जायेगी ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय भाडांगार निगम

†९५. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भाडांगार निगम के अन्तर्गत कलकत्ता में एक स्थानीय कार्यालय खोले जाने की आशा है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और किस प्रयोजन के लिये ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक और तार कर्मचारी

†९६. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री उ० [illegible] नाथ :

क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक और तार विभाग के उन कर्मचारियों के, जिन्होंने १९६० की हड़ताल में भाग लिया था, कम किये गये वेतन और रोकी गयी वेतन वृद्धि को पुनः बहाल करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि नहां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है। तथापि २२ नवम्बर, १९६२ को यह निर्णय किया गया कि उन सभी कर्मचारियों

†मूल अंग्रेजी में

[1] D. T. U.

को याचिकाओं को, जिन्होंने जुलाई, १९६० की हड़ताल में भाग लिया था और जिन मामलों में आरोपित दंड जारी था और दंड की अवधि २ वर्ष या इस से अधिक थी, राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विलोकन के लिये रखा जाये चाहे उन पर पहले गौर हो चुका हो अथवा नहीं, और तदनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

घुमक्कड़ पशुपालक

९७. श्री कछवाय :
श्री बूटा सिंह :
श्री बड़े :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में घुमक्कड़ पशुपालकों की कितनी संख्या है ;

(ख) क्या सरकार ने इन्हें बसाने का प्रबन्ध किया है : और

(ग) यदि हां, तो अब तक उनमें से कितने बसाये जा चुके हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) घुमक्कड़ पशुपालकों के बारे में १९६१ की जनगणना में कोई आंकड़े इकट्ठे नहीं किए गए ।

(ख) और (ग) : जानकारी राज्य सरकारों से इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा की पटल पर रख दी जाएगी ।

चर्चगेट और ग्रांट ट्रंक रोड स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन

†९८. **श्री श्री नारायण दास :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी रेलवे उपनगरीय क्षेत्र में चर्च गेट और ग्रांट ट्रंक सड़क स्टेशनों के बीच तीसरी रेलवे लाइन के बिछाने का मामला किस अवस्था में है जिसके बारे में कि बहुत समय हुआ एक निर्णय लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या सुझाव को क्रियान्वित करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग). पश्चिम रेलवे पर बढ़ते हुए उपनगरीय यातायात को ध्यान में रखते हुए तीसरी रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव है और अगले वर्षों में चौथी लाइन भी बिछाई जाने का विचार है । इस प्रयोजन के लिये लगभग ६ एकड़ भूमि १४३ लाख रुपये की लागत पर अर्जित करने का निश्चय किया गया है इसे १९६३–६४ के निर्माण कार्य में शामिल कर लिया गया है । भूमि अर्जन का कार्य किया जा रहा है । तीसरी लाइन के बिछाने का कार्य भूमि अर्जन के बाद आरम्भ होगा । इस कार्य के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि यह मुख्य रूप से भूमि अर्जन की प्रगति पर आधारित होगा ।

†मूल अंग्रेजी में

कलकत्ता हेलीकाप्टर सेवा

†९९. श्री श्रीनारायण दास :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता नगर और डम डम हवाई अड्डे के बीच तेज परिवहन के लिये हेलीकापटर सेवा चालू करने के प्रश्न पर जांच कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो वाणिज्यिक और संचालन सम्बन्धी दृष्टिकोण से इस योजना की क्या संभावनायें हैं ;

(ग) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

†**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (ग). कलकत्ता नगर और डम डम हवाई अड्डे के बीचहेलीकापटर सेवा चालू करने के आर्थिक प्रश्न पर महानिदेशक असैनिक उड्डयन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

गेहूं का किरणीयन[1]

†१००. **श्री श्री नारायण दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी अणुशक्ति आयोग और कृषि विभाग द्वारा गहन अनुसंधान के फलस्वरूप खाद्य परिष्करण की नई विधि खोज निकाली गई है जिससे गहूं का किरणीयन करने से सभी घुन के कीटाणु और उनके अन्डे नष्ट हो जाते हैं तथा अन्न पर इसका कोई प्रभाव नहीं रहता ;

(ख) यदि हां तो अमरीकी गेहूं को जो अब भारत आ रहा है, लदान होने से पहले इसी प्रकार परिष्कृत किया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) खाद्य पदार्थों में किरणीयन द्वारा कीटाणु नाश करने की पद्धति बहुत समय से ज्ञात है । सामान्यतः यह समझा जाता है कि खाद्यान्नों में घुन और इसके अण्डों को किरणीयन द्वारा मारा जा सकता है । हां, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस विधि से जो अवशेष रहता है उससे कोई हानि न हो ।

(ख) और (ग). अमरीका सरकार ने हाल ही में सभी संबंधित देशों से पूछा है कि उन्हें इस तरीके के बारे में कोई आपत्ति तो नहीं है और हमारे द्वारा इस पर अभी निर्णय करना बाकी है । भारत में जो गहूं आया था उसे इस तरीके से परिष्कृत नहीं किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

1Irradiation.

ऋषिकेश रेलवे स्टेशन

१०१. **श्री भक्त दर्शन :** क्या रेलवे मंत्री १७ सितम्बर, १९६३ के अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन पर जिन कुछ फौजी कर्मचारियों ने विगत ६ सितम्बर, १९६३ को उत्पात करके रेलवे के कर्मचारियों को पीटा था और रेलवे सम्पत्ति को हानि पहुंचाई थी, उन्हें दण्ड दिलाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीशाहनवाज खां) : सैनिक अधिकारी अभी इस मामले की जांच कर रहे हैं ।

दिल्ली में यमुना पर नावों का पुल

१०२. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **परिवहन** मंत्री १३ अगस्त, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या बरसात के बाद दिल्ली में यमुना नदी पर रेल के पुल के समीप नावों का एक पुल बना दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस देरी का क्या कारण है ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नावों के पुल का निर्माण नवम्बर के पहले सप्ताह में शुरू किया गया था और वह दिसम्बर के पहले सप्ताह में तैयार हो जायगा ।

(ख) दिल्ली निगम की योजना थी कि इस पुल का निर्माण नवम्बर के पहले सप्ताह में शुरू किया जाय और निर्धारित समय के अनुसार निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है । इस प्रकार इस कार्य में कोई देरी नहीं हुई है ।

दिल्ली में वजीराबाद पुल

१०३. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **परिवहन** मंत्री २७ अगस्त, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९६७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या इस बीच दिल्ली में यमुना नदी पर वजीराबाद का पुल यातायात के लिए पूरी तरह खोल दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे दिल्ली व यमुना पार के इलाके के यातायात की स्थिति में कहां तक सुधार हुआ है ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अगस्त १९६३ के अन्त में सड़क के पूरी तौर से बनने के पहले ही वजीराबाद का पुल नियंत्रित यातायात के लिए खोल दिया गया था । पिछली बरसात में पुल के पहुंच मार्ग कई जगहों पर टूट गये थे । इन पहुंच मार्गों में अब विटुमिन मिली रोड़ी बिछाई जा रही है । इसलिये इस समय पुल यातायात के लिए खुला नहीं है । रोड़ी बिछाने का काम संभवतः नवम्बर १९६३ तक पूरा हो जाएगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

तूफान एक्सप्रेस

१०४ श्री ओंकारलाल बैरवा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तूफान एक्सप्रैस में २२ सितम्बर, १९६३ को मथुरा स्टेशन पर ही २ डिब्बों में आग लग गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण था और कितनी जान तथा धन की हानि हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

रेडियो-फोटो सम्पर्क

†१०५. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनके साथ भारत का सीधा रेडियो फोटो सम्पर्क है ;

(ख) क्या इस देश में इस व्यवस्था से सम्वाददाता और गैर-सरकारी व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं ;

(ग) क्या इस प्रकार का भारत का चीन के साथ कोई सम्पर्क है ; और

(घ) क्या सरकार उसे बन्द करना चाहती है ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) हमारा सीधा रेडियो फोटो सम्पर्क साम्यवादी चीन, फ्रांस, जर्मनी के लोकतन्त्रीय गणराज्य, इटली, जापान, पोलड, ब्रिटन और रूस से है ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) इस सेवा को बन्द करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

दिल्ली में दूध का संकट

†१०६. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री ओंकार लाल बैरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञान है कि सितम्बर के पिछले तीन सप्ताह और अक्तूबर के तीसरे सप्ताह में दिल्ली में दूध की भारी कमी हो गई थी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की कमी को फिर से न होने देने के लिये क्या पूर्वोपाय किये गये हैं ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जिन क्षेत्रों से दिल्ली दूध योजना को दूध आता है उनमें १५–१६ सितम्बर को भारी वर्षा होने के फलस्वरूप बाढ़ आने से दिल्ली में दूध आने में अचानक भारी कमी हो गई । बाढ़ के कारण चारा नष्ट हो गया और पशुओं में छूत की और अन्य बीमारी फैल गई जिससे स्थिति और गंभीर हो गई । इसके अतिरिक्त त्योहारों आदि के कारण मांग बढ़ने से भी स्थिति बिगड़ गई ।

(ख) दूध की कमी की परिस्थितियां दिल्ली दूध योजना के वश से बाहर थीं । इसको छोड़ कर दूध संभरण की स्थिति में इस वर्ष सुधार हो रहा है । भविष्य के लिये पूर्वोपाय के तौर पर दिल्ली दूध योजना के पास १०० टन मक्खन जमा करने का प्रबन्ध है जिसे उक्त कमी के मौकों पर दूध बनाने के काम में इस्तेमाल किया जायेगा ।

सहकारी चावल मिलें

†**१०७. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न धान उगाने वाले क्षेत्रों में सरकार सहकारी चावल मिलों के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं कर रही है ;

(ख) क्या ऐसे बर्ताव से वर्तमान चावल मिलों और परिष्करण एककी के बीच भेदभाव हो रहा है और उन्हें नुक्सान पहुंच रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि केवल कुछ ही सहकारी समितियां चावल की मिलें खोल रही हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)**: (क) सहकारी समितियों द्वारा धान के विपणन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को मंत्रणा दी गई है कि हाथ से कूटे जाने वाले उद्योगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त क्षेत्रों में सहकारी समितियों को चावल की मिलें स्थापित करन में अधिमान दिया जाये ।

(ख) देश में कुल ४०,००० चावल की मिलें हैं । चूंकि तीसरी योजना में लगभग ३५० चावल की मिलें सहकारी समितियों द्वारा खोली जायेंगी इसलिये गैर सरकारी क्षेत्र की मिलों पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ग) यह मंत्रणा कि सहकारी समितियों को अधिमान दिया जाय, राज्य सरकारों को हाल ही में दी गई थी । ऐसी आशा की जाती है कि बहुत सी सहकारी विपणन समितियां जो सामान्यत: चावल की मिलें लगाती हैं इस सुविधा से लाभ उठायेंगी ।

केरल में पैकेज प्रोग्राम

†**१०८. श्री अ० क० गोपालन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में खाद्य उत्पादन के लिये पैकेज प्रोग्राम की क्रियान्विति में क्या प्रगति हुई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस बारे में राज्य सरकारों को अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १८३६/६३।]**

केरल में छोटे पत्तन

†**१०६. श्री अ० क० गोपालन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना में केरल राज्य में छोटे पत्तनों के विकास के लिये अब तक केरल सरकार को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) इस राशि में से अब तक कितना धन व्यय किया जा चुका है; और

(ग) जिन योजनाओं के लिये सहायता दी गई है उनकी क्रियान्विति में क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) केरल सरकार को अब तक २.६२ लाख रु० का ऋण दिया गया है।

(ख) केन्द्र द्वारा सहायता दी गई योजनाओं पर राज्य सरकार ने ६.१६ लाख रु० व्यय किया है।

(ग) इन योजनाओं की क्रियान्विति में जो प्रगति हुई है उसे संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १८३७/६३।]**

अमेरिका से खरीदा गया चावल

†११०. { **श्री अ० व० राघवन** :
श्री पोट्टेकाट :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १० सितम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी० एल० ४८० करार के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीदे गये चावल से भारत सरकार को कितनी क्षति हुई; और

(ख) भारत में विद्यमान दरों पर चावल खरीदने हेतु क्या पग उठाये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) पी एल० ४८२ करार के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात किये गये चावल पर भारत सरकार द्वारा १९५६–५७ की कालावधि में सहायता के रूप में १७.८३ करोड़ रुपये का भार उठाया गया।

(ख) चावल निम्नतम दरों वाले टेंडरों के द्वारा अमरीका में खुले बाजार में खरीदा जाता है। हमें यह चावल बेचने वाले देश में विद्यमान दरों पर खरीदना पड़ता है

---

†मूल अंग्रेज़ी में

लौह-अयस्क का परिवहन

†१११. { श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती सावित्री निगम : }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्रशासन द्वारा लौह-अयस्क के परिवहन के लिये रेलवे लाइनों के बारे में सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) किन विशेष क्षेत्रों का इस बारे में सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) क्या उन क्षेत्रों में रेलवे लाइनों के निर्माण सम्बन्धी लागत का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है; और

(घ) वास्तविक निर्माण-कार्य के कब तक प्रारम्भ होने की आशा है और यह किन क्षेत्रों में किया जायेगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** (क) से (घ). लौह-अयस्क परिवहन हेतू रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण, जैसे ही इन के लिये आवश्यकता महसूस होती है, किया जाता है निम्न लाइनों पर हाल के वर्षों में निर्माण-कार्य चल रहा है :

लाइन	मील दूरी	लाइन की निर्माण लागत
(१) सम्बलपुर–तितिलागढ़—बड़ी लाइन (१५-४-६३ को माल यातायात के लिये खोली गयी) .	११३	१४.५८ करोड़ रुपये
(२) बिमलागड़–किरिबूरू—बड़ी लाइन (१६-४-६३ को माल यातायात के लिये खोली गयी) .	२६	६.०७ करोड़ रुपये
(३) कोटवलसा–बेलाडीला—बड़ी लाइन (निर्माण-कार्य चल रहा है)	२७०	५५.३२ करोड़ रुपये
निम्न नई लाइनों की सर्वेक्षण की अभी हाल में स्वीकृति दी गई है :		
मंगलौर–हसन—(मीटर गेज) . .	१२८ मील	अन्तिम स्थाग सर्वेक्षण
(२) परादीप पत्तन से तोमका/दैतरी और नयागढ क्षेत्रों को मिलाने वाली रेलवे लाइन (बी० जी०)	लगभग २५० मील	प्रारम्भिक इंजीनियरिंग तथा यातायात सम्बन्धी सर्वेक्षण
(३) सीनो पेंटरासली और गोमहरिया असन बोनो से होकर न जाने वाली लाइनें (बी० जी०)	५० मील	,,

इन नई लाइनों के निर्माण की लागत का पता तभी चलेगा जब इनका सर्वेक्षण कार्य पूरा हो जायेगा और प्रतिवेदनों की जांच कर ली जायेगी।

पोर्ट ब्लेयर को भेजी जाने वाली डाक

†११२. { श्रीमती सावित्री निगम :
श्री महेश्वर नायक : }

क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्ट ब्लेयर के किसी समाचार एजेंट से इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि उनको भेजे गये पंजीबद्ध पैकट समुद्री डाक के आने के ५ से १० दिन बाद उनको दिये जाते हैं; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो डाक के जल्दी बांटे जाने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां । केवल एक समाचार एजेंट, अर्थात् श्रीमती किरण कुमारी, से एक शिकायत मिली थी ।

(ख) जहाजों के पोर्ट ब्लेयर कभी कभी जाने के कारण एक ही समय बहुत डाक प्राप्त होती है । तथापि अपंजीबद्ध पत्रों, जिन में समाचार पैकट, पत्रिकाएं आदि शामिल हैं, को पोर्ट ब्लेयर मुख्य कार्यालय द्वारा उनकी प्राप्ति के अगले दिन बांट दिया जाता है, तथा पंजीबद्ध डाक, जिस में समाचार-पत्र, पत्रिकाएं, आदि सम्मिलित हैं, को साधारणतया उनकी प्राप्ति के ३ या ४ दिन के अदर बांट दिया जाता है । केवल पंजीबद्ध समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं को अलग थैलों में बन्द करने तथा प्रेषिती[1] को उनके शीघ्र भेजे जाने की व्यवस्था करने सम्बंधी आदेश इस बीच जारी कर दिये गये हैं ।

भूख से मुक्ति

†११३. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में स्वयंसेवी संगठनों तथा भारत सरकार द्वारा भूख से मुक्ति आन्दोलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कोष के प्रारम्भ से इस में कितना अंशदान दिया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : जहां तक सरकार की जानकारी है, भारत में किसी स्वयंसेवी संगठन ने भूख से मुक्ति आन्दोलदन सम्बन्धी अतर्राष्ट्रीय कोष में कोई अंशदान नहीं दिया है । १९६०–६१ में भारत सरकार ने इस कोष में २,००,००० रुपये दिये । सरकार ने १५ नये पैसे के १५,००० रुपये के मूल्य के एक लाख विशेष संस्मरण डाक टिकट, जो २१ मार्च, १९६३ को जारी किये गये थे, दिये ।

पंचायती राज

११४. **श्री बाल्मीकी** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी कौन-कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पंचायती राज की स्थापना नहीं हुई ह; और

(ख) देरी के क्या कारण हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). केरल, जम्मू तथा काश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैंड और पश्चिमी बंगाल में अभी पंचायती राज लागू नहीं किया गया है । बिहार में बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद् अधिनियम १९६१ केवल राज्य के चार राजस्व प्रभागों के मुख्यालयों वाले जिलों में हाल ही में लागू किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Addressee

राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

बिहार] . इन चार जिलों में पंचायत समितियों और ज़िला परिषदों के चुनाव जनवरी, १९६४ तक कर दिये जाने हैं और निर्वाचित संस्थाएं २६-१-१९६४ से काम करना प्रारम्भ कर देंगी ।

जम्मू तथा काश्मीर] राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की गई लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण समिति राज्य में पंचायती राज लागू करने के प्रश्न पर विचार कर रही है । उम्मीद है कि समिति दिसम्बर, १९६३ तक अपना काम पूरा कर देगी ।

केरल . पंचायतीराज विधान का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और आशा है कि विधेयक शीघ्र ही राज्य की विधान सभा में पेश किया जायेगा ।

मध्य प्रदेश पंचायतीराज विधान बना लिया गया है । पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं ।

नागालैंड . राज्य में चल रही विशेष परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए यहां पंचायती राज लागू करने के प्रश्न पर अभी तक विचार नहीं किया गया है ।

पश्चिमी बंगाल पंचायती राज विधान को राज्य की विधान सभा ने पास कर दिया है और राष्ट्रपति की स्वीकृति का इन्तजार है ।

रेल दुर्घटनायें

†११५. द० ब० राजू : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, १९६३ में दक्षिण रेलवे में हुई दुर्घटनाओं की संख्या क्या है ; और

(ख) प्रत्येक दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) रेलों की भिड़न्त, पटरी से उतर जाना, गाड़ियों में आग लगना तथा गाड़ियों के समतल लंघनों पर सड़क यातायात से टकरा जाने की श्रेणियों के अन्तर्गत २९ दुर्घटनाएं हुईं ।

(ख) इन में से २ रेलवे कर्मचारियों की असफलता और १ एक मोटर चालक की असावधानता के कारण हुईं तथा एक आकस्मिक थी जिसके लिये किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सका । शेष मामलों में जांच हो रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में सूखे की स्थिति

†११६. श्री सुबोध हंसदा :
डा० पू० ना० खां :
श्री स० च० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री ह० च० सोय :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान और गुजरात में इस वर्ष सूखे के कारण बहुत संख्या में गायें मरीं ;

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा ;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में प्रायः वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी विपत्तियों से बचाव के लिये क्या पूर्वोपाय किये जाते हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (घ) सूचना राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पटसन

†११७. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० पू० न० खां :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या खाद्य तथा कृषि मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में पटसन का प्रति एकड़ उत्पादन बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार प्रति एकड़ उत्पादन किस प्रकार बढ़ाने का है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) भारत में पटसन का प्रति एकड़ औसत उत्पादन अन्य पटसन उगाने वाले देशों से कम है ।

(ख) कम उत्पादन का मुख्य कारण यह है कि भारत में पटसन उगाने वाले क्षेत्रों की भूमि जो किनारे की है, कम उर्वर है । जहां की भूमि अच्छी है वहां पर उत्पादन अन्य देशों के समान ही है ।

(ग) प्रति एकड़ उत्पादन विस्तृत कृषि उपायों के द्वारा बढ़ाने का विचार है जिसमें अच्छे बीज का वितरण, उर्वरक का इस्तेमाल, अच्छी कृषि प्रक्रियाओं का विस्तार तथा पौधा संस्क्षण उपाय अदि शामिल हैं । इस काम के लिए किसानों को मूल्य प्रोत्साहन तथा सहायता/ऋण दिए जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

टेलीफोन कनेक्शन

११८. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या डाक और तार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन व्यवस्था से लाभ उठाने और यन्त्रों की मांग करने वालों को सामान्यत: दस वर्ष से भी अधिक बाट जोहना पड़ता है ;

(ख) क्या यह भी सच है "अपना टेलीफोन लो" योजना के अन्तर्गत भी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता नहीं दी जाती ; और

(ग) टेलीफोन की इस आवश्यकता की पूर्ति की दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं और इसमें सन्तोषपूर्ण व्यवस्था कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) स्थान स्थान पर स्थिति भिन्न है। दिल्ली, बम्बई आदि जैसे स्थानों में कुछ ऐसे आवेदक हैं जो दस वर्ष से भी अधिक समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

(ख) 'अपना टेलीफोन योजना' बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, अमृतसर, कानपुर, नागपुर, बंगलौर, हैदराबाद तथा अहमदाबाद इन दस स्थानों पर लागू है । इन दस स्थानों पर ७० प्रतिशत आवेदकों को प्राथमिकता के क्रम से 'अपना टेलीफोन योजना' के अन्तर्गत टेलीफोन दिये जाते हैं । उपलब्ध ३० प्रतिशत क्षमता से 'अपना टेलीफोन योजना' की रकम जमा कराये बिना डाक्टरों, प्रेस, सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं, सार्वजनिक संस्थानों तथा छोटे उद्योगों को, जो छूट प्राप्त वर्गों के अन्तर्गत रजिस्टर किये गए आवेदक होते हैं, टेलीफोन दिये जाते हैं । 'अपना टेलीफोन योजना' के अन्तर्गत टेलीफोन क्रम से दिये जाते हैं ।

(ग) विभाग के पास उपलब्ध साधनों के अनुसार तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की पूर्ति करने और टेलीफोन सेवा का यथासम्भव अधिक से अधिक विस्तार करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है । अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के साथ किये गए एक ऋण समझौते के अन्तर्गत उपस्करों के आयात पर पूंजी लगाने के लिए ऋण प्राप्त किया गया है । फिर भी, चूंकि उपलब्ध साधन पर्याप्त नहीं है अत: टेलीफोनों की सूची मांगों की पूर्ति करने के लिए सन्तोषजनक व्यवस्था करना किस समय तक सम्भव हो सकेगा यह बताना कठिन है ।

कुमारी अन्तरीप[1] तथा तिरुनेलवेली के बीच रेलवे लाइन

†११९. **श्री कोया :**
श्री उमानाथ :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुमारी अन्तरीप तथा तिरुनेलवेली के बीच रेलवे लाइन का सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Cape Comorin

सूखी गोदी, विशाखापटनम

†१२०. श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापटनम में सूखी गोदी की व्यवस्था करने का निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्तावित फ्लोरिंग डाक (गोदी) के अतिरिक्त होगी ; और

(ग) इस परियोजना की क्या लागत होगी और यह कब चालू हो जायेगी ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) कुछ समय पूर्व परियोजना की लागत का मूलत: अनुमान २६९ लाख रुपये बताया गया था । परन्तु अब पूर्ण योजना का पुनरीक्षण किया जा रहा है जिससे भारतीय झंडे वाले बड़े जहाजों को भी प्रवेश मिल सके ।

चीनी मिल, देवरिया

१२१. **श्री सरजू पांडेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भटनी चीनी मिल, देवरिया, उत्तर प्रदेश बन्द हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त मिल के जिम्मे किसानों का बहुत अधिक पैसा बाकी है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार किसानों को पैसा दिलाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख) जी नहीं । यह कारखाना एक अधिकृत नियन्त्रक द्वारा चलाया जा रहा है ।

(ग) जी हां । लगभग १० लाख रुपये ।

(घ) अधिकृत नियंत्रक से कहा गया है कि यथासम्भव आगामी फसल में बकाया राशि का भुगतान कर दें ।

राजस्थान में पशु प्रजनन फार्म

†१२२. **श्री बी० चं० शर्मा** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में दो और पशु प्रजनन फार्म स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकार की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे डाक सेवा

†१२३. **श्री गो० महन्ती : क्या डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार दक्षिण–पूर्व रेलवे के हावड़ा-वाल्टेयर लाइन पर किन स्टेशनों पर इस वर्ष रेलवे डाक सेवा के कार्यालय खोलने का है ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : दक्षिण पूर्व रेलवे की हावड़ा-वाल्टेयर लाइन पर पंसकुरा तथा मुद्रक रेलवे स्टेशनों पर प्रस्तावित कार्यालयों के लिए उपयुक्त स्थान मिल जाने पर सार्टिंग डाक सेवा कार्यालय खोलने का निर्णय किया गया है ।

सहकारी समितियों द्वारा चावल का समाहार

†१२४. **श्री गो० महन्ती : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी विपणन समितियों के द्वारा चावल के समाहार की योजना चालू करने में क्या कठिनाइयां सामनें आई हैं ; और

(ख) क्या गेहूं का समाहार करने के लिए एजेण्टों के द्वारा खरीदने की योजना स्वीकार की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) मुख्यतः कठिनाई ऐसी समितियां कम होने के कारण तथा क्षेत्राधिकार कम होने के कारण, अनुभव कम होने के कारण, तथा वित्तीय स्थिति, प्रबन्ध अच्छा न होने के कारण तथा अन्य कारणों से होती है ।

(ख) जी हां । चालू वर्ष में गेहूं उगाने वाले तीन राज्यों जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में गेहूं की मूल्य समर्थक खरीददारी करने का प्रबन्ध किया गया है । उत्तर प्रदेश में सहकारी विपणन संघ, तथा मध्य प्रदेश में अपेक्स विपणन समिति गेहूं का समाहार करने के लिए सरकार ने एजेन्ट नियुक्त किया था । पंजाब में सहकारी समितियों के अतिरिक्त पक्के आढ़तियों की संस्थाओं तथा प्रसिद्ध व्यापारियों को एजेंट नियुक्त किया गया था ।

कनाडा से गेहूं का ऋण

†१२५. **श्री विश्वनाथ पांडेय: क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाडा सरकार ने पी० एल० ४८० करार के अनुसार भारत को गेहूं का ऋण देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का व्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख) जी नहीं । परन्तु कनाडा सरकार ने १९६३–६४ के लिए कोलम्बो योजना कार्यक्रम के अधीन गेहूं के लिए १५ लाख डालर का प्रस्ताव किया है ?

अहिल्यापुर स्टेशन

१२६. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहिल्यापुर स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) के पूर्वी सिगनल से टकरा कर एक वर्ष में कई मुसाफिरों की मृत्यु हो गई है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ३० सितम्बर, १६६३ तक कितने मुसाफिरों की मृत्यु हुई है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वं० रामस्वामी) : (क) पिछले एक वर्ष में अहिल्यापुर स्टेशन पर प्रस्थान-सिगनलों के पास चलती गाड़ी से आठ व्यक्ति गिरे। निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि वे लोग पायदान पर यात्रा करते हुए सिगनल के खम्भों से टकरा गये।

(ख) सात व्यक्ति ।

(ग) कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सिगनल सही जगह पर लगे हैं और उनसे मानक आयामों† का उल्लंघन नहीं होता ।

दिल्ली दुग्ध केन्द्र के दूध की शुद्धता

१२७. स्वामी रामेश्वरानन्द : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा जो दूध वितरित किया जाता है उसकी शुद्धता के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : दिल्ली दुग्ध योजना ने प्रत्येक मिल क्लेक्शन तथा चिलिंग सेन्टर और केन्द्रीय डेरी में क्वालिटी कण्ट्रोल लेबोरेटरी खोली हुई है जो प्राप्त किए हुए और वितरित किए जाने वाले दूध की शुद्धता की जांच करती है । आम तौर पर चिलिंग सेन्टरों में उस दूध को स्वीकार नहीं किया जाता जो वैध स्तरों पर पूरा नहीं उतरता । यह स्तर इस प्रकार है :—भैंस के दूध में ६.० प्रतिशत चर्बी और ६.० प्रतिशत चर्बी रहित पदार्थ और गाय के दूध में ३.५ प्रतिशत चर्बी और ८.५ प्रतिशत चर्बी रहित पदार्थ ।

केन्द्रीय डेरी में विभिन्न अवस्थाओं में दूध का दोबारा परीक्षण किया जाता है जैसे इकट्ठा करने के समय, संचयन के समय, प्रक्रिया के समय, बोतल में भरने के समय और बोतल में भरे दूध को शीत-भण्डार में रखने के समय । ऐसा कोई दूध स्वीकार नहीं किया जाता जो शुद्ध खाद्य पदार्थ सम्बन्धी नियमों के स्तर पर पूरा न उतरता हो । वास्तव में दिल्ली दुग्ध योजना ने अपने खास स्तर निर्धारित किए हुए हैं जो शुद्ध खाद्य पदार्थ सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत बने स्तरों से भी ऊंचे हैं । ये स्तर नीचे दिये गये हैं :—

	चर्बी प्रतिशत	चर्बी-रहित पदार्थ प्रतिशत
भैंस का दूध	६.१—६.३	६.१—६.२
टोंड दूध .	३.०—३.१	८.६—८.७
गाय का दूध . . .	३.५ से कम नहीं	८.६—८.७

ऊपर लिखे स्तरों पर पूरी तरह से अमल किया जाता है और ऐसा दूध बेचने की इजाजत नहीं होती जो इन स्तरों पर पूरा नहीं उतरता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

‡Standared dimensions.

परिवहन सहकारी समितियां

†१२८. श्री कपूर सिंह :
श्री कृष्ण पाल सिंह :
श्री गुलशन :

क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में पंजीबद्ध, परिवहन सहकारी समितियों की संख्या क्या है ;

(ख) इनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की समितियों की संख्या क्या है ;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों के लोगों को समितियों को कोई विशेष सुविधायें दी जा रही हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जून, १९६२ के अन्त में ८२६ ।

(ख) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी । तथापि, पिछले तीन वर्षों में ४ ऐसी समितियां पंजीबद्ध की गई थीं ।.

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कृषि समितियां

†१२९. श्री कपूर सिंह :
श्री गुलशन :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में पंजीबद्ध कृषि समितियों की संख्या क्या है ;

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों द्वारा चलाई जाने वाली ऐसी समितियों की संख्या क्या है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन समितियों को कोई वित्तीय या अन्य सहायता दी जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) ३० जून, १९६२ को देश के विभिन्न राज्यों में कृषि सहकारी समितियों की संख्या दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १८३८/६३ ।**]

(ख) सहकारी समितियां जाति के आधार पर वर्गीकृत नहीं की जाती हैं और इसलिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों द्वारा चलाई जाने वाली समितियों की संख्या उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जी हां, कुछ विशेष प्रकार की कृषि सहकारी समितियों को सहायता दी जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १५७५/६३।]

कोंकण नौघाट सेवा[1]

†१३०. **श्री रघूनाथ सिंह :**
श्री बड़े :
श्री कछवाय :
श्री नाथ पाई :

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कोंकण नौघाट सेवा इस वचन पर फिर शुरू कर दी गई है कि भाड़े में वृद्धि तथा मरम्मत की लागत के बदले १९६१–६२ के लिये महाराष्ट्र सरकार राज सहायता देगी और १९६२–६३ की अवधि के लिये इसे एक समिति द्वारा तय किया जायेगा ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : कोंकण तटीय स्टीमर सेवा इस समबबोध पर पुनः चालू कर दी गई है कि :

(१) १९६१–६२ के लिये :

(क) भाड़े में वृद्धि के बदले राज सहायता महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी जाएगी ;

(ख) जहाजों की मरम्मत की अतिरिक्त लागत के बदले राज सहायता महाराष्ट्र सरकार तथा भारत सरकार बराबर बराबर देगी ; और

(२) १९६२–६३ के बाद के लिये दी जाने वाली राज सहायता नियुक्त की जाने वाली एक समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी।

लंका स्टेशन

†१३१. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका स्टेशन (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) पर ९ अक्तूबर, १९६३ को या उसके लगभग एक उड्डयन स्प्रिट डिब्बे को आग लग गई थी जिससे कई व्यक्ति हताहत हुए ;

(ख) यदि हां, तो मृत तथा घायल व्यक्तियों की संख्या क्या है ; और

(ग) आग लगने का कारण क्या था ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां। परन्तु दुर्घटना ८ अक्तूबर, १९६३ को हुई थी।

(ख) १३ घायल व्यक्तियों में से ७ मर गये।

(ग) सरकारी रेलवे पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार आग इस कारण लगी कि एक व्यक्ति ने एक डिब्बे में से चूने वाली उड्डयन स्प्रिट से अपना सिगरेट लाइटर भर कर उसे जला कर देखा। उसमें से आग की लपट निकली जो सारी स्प्रिट गैस में लग गई।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Konkan Ferry Service.

खेती के योग्य बंजर भूमि

१३२. श्री राम सेवक यादव :
श्री सरजू पांडेय :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्यवार खेती लायक बंजर जमीन कितनी है ;

(ख) क्या प्रथम, द्वितीय तथा तीसरी योजना में अभी तक कुछ बंजर जमीन खेती के योग्य बनाई गई है ;

(ग) यदि हां, तो कितनी, कहां-कहां तथा खेती लायक पड़ी बंजर जमीन में और खेती के योग्य बनाई गई जमीन में क्या अनुपात है ; और

(घ) क्या सरकार बाकी खेती लायक बंजर जमीन पर खेती कर खाद्यान्न की कमी पूरा करने के लिये अन्न सेना के निर्माण पर विचार कर रही है और उसकी रूप रेखा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) (क) से (ग). पूछी हुई जानकारी राज्यों/संघ क्षेत्रों से इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) बाकी खेती योग्य बंजर भूमि पर खेती कर खाद्यान्न की कमी पूरा करने के लिये अन्न सेना के निर्माण के विषय में कोई प्रस्ताव है नहीं है। तकनीकी सलाह के केन्द्रीयकरण तथा उन्नत बीज, उर्वरक, वनस्पति रक्षा कार्य, सिंचाई तथा सन्निहित खर्च को पूरा करने के लिये ऋण आदि उत्पादन के तरीकों के माध्यम से चुने हुये क्षेत्रों में सघन प्रयत्नों पर जोर दिया जा रहा है।

बाराबंकी स्टेशन पर दुर्घटनायें

१३३. श्री राम सेवक यादव : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों में बाराबंकी रेलवे क्रासिंग पर कितनी दुर्घटनायें हुईं ;

(ख) क्या रेलवे क्रासिंग के अतिरिक्त बाराबंकी स्टेशन पर प्लेटफार्म को पार कर उस पार जाने के लिये ओवर ब्रिज न होने के कारण भी काफी दुर्घटनायें हुई हैं ;

(ग) यदि हां, तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या उपाय हो रहा है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) कोई नहीं।

(ख) जी नहीं। बाराबंकी स्टेशन पर पिछले दस वर्षों से एक ऊपरी पैदल पुल मौजूद है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

कृषि प्रयोजनों के लिये ऋण

†१३४. श्री केप्पन क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक केन्द्रीय सहकारी बैंकों को दिये जाने वाले कृषि प्रयोजनों के लिये रियायती वित्त की ऋण सीमा प्रति वर्ष निश्चित कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो ऋण सीमायें निश्चित करने का आधार क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र)** : (क) और (ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १८३९/६३।**]

द्वितीय वेतन आयोग

†**१३५. श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे अभ्यावेदन भेजे गये हैं कि तीसरी श्रेणी की पदालियों से राजपत्रित पदालियों में पदोन्नति तथा बड़े बड़े नगरों में वाहन भत्ते के बारे में द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश को बिना किसी विलम्ब के क्रियान्वित किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) और (ख) डाक और तार विभाग के कुछ अधिकारियों तथा एक सेवा संघ ने अभ्यावेदन भेजे हैं कि मंडली तथा प्रशासनिक कार्यालयों में राजपत्रित पद अराजपत्रित लिपिक सेविवर्ग के लिये रक्षित कर दिये जायें। ये अभ्यावेदन तथा बड़े बड़े नगरों में वाहन भत्ता देने का प्रश्न विचाराधीन है।

टुलीहल हवाई अड्डा

†**१३६. श्री रिशांग किशांग** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्फाल में टुलीहल हवाई अड्डे को सुधारने तथा उसका विस्तार करने की किसी विशेष योजना का सुझाव दिया गया है ;

(ख) इसके लिये कितने एकड़ भूमि प्राप्त की जायेगी और कितना प्रतिकर दिया जायेगा ; और

(ग) यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी तथा हवाई अड्डा इस्तेमाल के लिये कब तक तैयार हो जायेगा ?

†**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी हां। टुलीहल हवाई अड्डे का सुधार तथा विस्तार करने के एक प्रस्ताव की जांच हो रही है।

(ख) असैनिक उड्डयन विभाग के पास काफी भूमि क्योंकि पहले ही उपलब्ध है इसलिये भूमि का कोई अर्जन अथवा अधिग्रहण इसमें अन्तर्ग्रस्त नहीं होगा।

(ग) शुरू होने के बाद काम के पूरा होने में १२ महीने से अधिक लगेंगे।

रेलवे विभाग में अंग्रेजी का प्रयोग

१३७. श्री कछवाय : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विभाग में विभिन्न स्थानों पर अल्प वेतन पाने वाले कर्मचारियों से अंग्रेजी में ही कार्य करने के लिये जोर दिया जाता है ; और

(ख) सरकार रेल विभाग में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिये क्या कदम उठा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) रेल कार्यालयों में सरकारी काम आमतौर पर अंग्रेज़ी में किया जाता है, इसलिये किसी कर्मचारी को अंग्रेजी में सरकारी काम करने के लिये मजबूर करने का सवाल नहीं उठता। फिर भी, परीक्षण के तौर पर, हिन्दी-भाषी क्षेत्रों के रेल कार्यालयों के कुछ चुने हुये अनुभागों में, जहां ६० प्रतिशत या इससे अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान है, फाइलों पर हिन्दी में नोट लिखने की अनुमति दी गयी है। रेल कार्यालयों के ११६ अनुभागों में आंशिक रूप से हिन्दी में नोट लिखने का काम शुरू किया जा चुका है। जैसे-जैसे सभी स्तरों पर हिन्दी जानने वाले अफसरों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है, यह परीक्षण धीरे धीरे दूसरे अनुभागों में भी शुरू किया जा रहा है।

(ख) सरकार की सामान्य नीति के अनुसार रेल कार्यालयों में धीरे धीरे हिन्दी में काम शुरू करने के संबंध में कुछ कदम उठाये गये हैं। इस दिशा में अब तक जो कदम उठाये गये हैं उनका सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १८४०/६३।**]

उज्जैन में रेलवे कर्मचारियों के लिय क्वार्टर

१३८. श्री कछवाय : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उज्जैन में इस समय रेलवे कर्मचारियों के लिये कितने क्वार्टर बने हैं ;

(ख) वहां पर कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको अभी तक क्वार्टर नहीं मिल सके हैं ;

(ग) जिन क्वार्टरों में कर्मचारी रहते हैं उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जाति के हैं ; और

(घ) क्वार्टरों की कमी कब तक पूरी हो जायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) ५१५।

(ख) १,०४२ ।

(ग) ६० ।

(घ) कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने का कार्यक्रम हर साल निर्धारित किया जाता है और कार्यक्रम बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इस काम के लिये कितनी रकम उपलब्ध है और किन स्टेशनों पर क्वार्टरों की अपेक्षाकृत अधिक जरूरत है। इसलिये निश्चित रूप से यह नहीं बताया जा सकता कि क्वार्टरों की कमी कब तक पूरी हो जायेगी ?

सहकारी पैकेज प्रोग्राम जिले

†**१३९. श्री प० वेंकटासुब्बया** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैकेज प्रोग्राम जिलों में सहकारी समितियों के प्रभावी कार्यकरण के लिये क्या व्यवस्था की गई है ; और

(ख) विशेष कृषि कार्यक्रमों में लगे कृषकों को सहकारी समितियों से ऋण की सरल उपलब्धता के लिये क्या विशेष योजनायें प्रारम्भ की गई हैं ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) निम्नलिखित प्रबन्ध किये गये हैं :—

(१) कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र में सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य के लिय उत्पादन योजना तैयार की जा रही है। इन योजनाओं को तैयार करने के लिये इन क्षेत्रों में अतिरिक्त ग्राम स्तरीय कार्यकर्त्ता नियुक्त किये गये हैं। ये योजनायें किसान के व्यय, आय, पुनर्भुगतान क्षमता आदि के बारे में ब्यौरा दर्शाती हैं।

(२) सहकारी समितियां इन योजनाओं के आधार पर प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिये नकदी तथा जिन्स में जैसे कि उर्वरक, बीज इत्यादि, ऋण दिये जाते हैं।

(३) इन योजनाओं की प्रभावी क्रियान्विति के लिये आवश्यक होने पर सदस्यों की सामान्य ऋण सीमाओं को उदार बनाया जा रहा है।

(४) अधिक प्रभावी पर्यवेक्षण तथा ऋणों की वसूली के लिये इन क्षेत्रों में अतिरिक्त पर्यवेक्षक उपलब्ध कर दिये गये हैं।

(५) ऋण तथा विपणन में अधिक, प्रभावी सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है।

(ख) (१) उत्पादन योजनाओं में उल्लिखित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये रिजर्व बैंक कार्यक्रम के क्षेत्रों में कृषि उत्पादन के लिये अतिरिक्त रियायती वित्त देता है।

(२) सहकारी समितियों को योजनाओं के आधार पर पर्याप्त ऋण देने के हेतु प्रोत्साहित करने के लिये, विशेषतः समुदाय के निर्बल वर्गों को ऋण देने के लिये, बढ़ी हुई दरों पर उन्हें सीधे ही अनुदान दिये जा रहे हैं। उदाहरणार्थ प्राथमिक समितियों के संबंध में अन्य क्षेत्रों में ३ प्रतिशत के विरूद्ध अतिरिक्त ऋणों का ४ प्रतिशत तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अन्य क्षेत्रों में १ प्रतिशत के विरूद्ध २ प्रतिशत।

डिब्बों की मरम्मत करने वाला कारखाना

†१४०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री १० सितम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७४७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में रायपुर में डिब्बों की मरम्मत का कारखाना स्थापित करने का अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख) मामला विचाराधीन है और अन्तिम निर्णय योजना के संचालनात्मक तथा वित्तीय पहलुओं के उपयुक्त अध्ययन के बाद किया जायेगा।

वन्य पशुओं संबंधी डाक टिकटें

†१४१. **श्री स्वैल** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्य पशुओं संबंधी डाक टिकटें जारी की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन डाक टिकटों पर किन किन जानवरों के चित्र हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां ।

(ख) गौर (भारतीय बिसन), हिमालय का पंडा, चीता और गीर शेर ।

गोलथंमी घाट (बिहार) में पुल

†१४२. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार गोलथंमी घाट (बिहार) में छोटी गंडक पर एक पुल बनाने का विचार कर रही है जो बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों को मिलायेगा ;

(ख) यदि हां, तो निर्माण तथा अन्य कार्य कब आरम्भ होगा ; और

(ग) पुल की कुल लागत क्या होगी ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्तावित पुल का स्थान तथा डिजाइन बिहार तथा उत्तर प्रदेश सरकारों के परामर्श से निश्चित कर लिये गये हैं परन्तु केन्द्रीय, बिहार तथा उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच पुल की लागत के आवंटन का प्रश्न विचाराधीन है । वित्तीय पहलुओं के निश्चित हो जाने के शीघ्र बाद पुल का निर्माण आरम्भ कर दिया जायेगा ।

(ग) लगभग २५ लाख रुपये ।

फसलों को हानि

†१४३. **श्री बड़े** :
श्री कछवाय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में कीटों, मूषकों तथा अन्य पशु नाशिकीटों द्वारा फसलों को लगभग कितने मूल्य की हानि पहुंची है ;

(ख) इस प्रकार की हानि को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ग) १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में इस हानि को रोकने के लिये कितनी राशि व्यय की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) कोई ठीक ठीक निर्धारण तो नहीं किया गया है परन्तु अनुमान लगाया गया है कि कीटों, अन्य पशु नाशिकीटों तथा फसलों के रोगों से हुई सम्पूर्ण हानि फसलों के मूल्य का लगभग २० प्रतिशत बैठती है जो चालू मूल्यों के अनुसार लगभग १,००० करोड़ रुपये वार्षिक होती है । १९६१-६२ तथा १९६२-६३ के लिये अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) पौधों की रक्षा करना मुख्यत: राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । पौधों के रोगों तथा नाशिकीटों के विरुद्ध प्रभावी नियंत्रण उपायों के लिये सभी राज्यों में पौधा परिक्षण संगठन स्थापित किये गये हैं । जहां भी आवश्यकता होती है केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को तकनीकी सलाह तथा हवाई संचालन सुविधायें देकर भी सहायता करती है । कीटनाशक औषधियों तथा हाथ से चलने वाली छिड़काव की मशीनों के वितरण के लिये केन्द्रीय सरकार २५ प्रतिशत राज सहायता देती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में विभिन्न पौधा परिरक्षण उपायों पर राज्य सरकारों द्वारा किये गये कुल व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ऐसा अनुमान है कि कृषि क्षेत्र में प्रयोग के लिये भारत में १९६१ में ७ करोड़ रुपये की तथा १९६२ में ७·५ करोड़ रुपये की कीटनाशक औषधियां तैयार की गई थीं। प्रत्येक वर्ष इन कीटनाशक औषधियों का इस्तेमाल करने के लिये देश में एक करोड़ रुपये से अधिक के उपकरण बनाये गये तथा बेचे गये थे। १९६३ के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड

†१४४. **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री बड़े :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान जहाज निर्माण कारखाना, विशाखापटनम, में इस्पात की कमी का जहाजों के निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) जहाज निर्माण के लिये हिन्दुस्तान शिपयार्ड की इस्पात की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रबन्ध लोहा और इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता द्वारा देशीय संभरणकर्त्ताओं से यथा-संभव उच्च पूर्ववर्तिता देकर किया जाता है, शेष आवश्यकता के लिये आयात लाइसेंस दिये जाते हैं।

बीजक भेजने तथा शिपयार्ड की आवश्यकताओं के बारे में लोहा और इस्पात नियंत्रक/उत्पादकों को समय समय पर सूचित रखने के लिये हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा सामयिक कार्यवाही की जाती है। संभरण के कम होने का प्रश्न संबंधित विभागों के साथ उठाया गया है और वे इस पर ध्यान दे रहे हैं।

सड़क विकास

*१४५. **श्री महेश्वर नायक :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **परिवहन** मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सड़क विकास के योजना उपबन्ध मे संशोधन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो संशोधित आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) इन वर्षों में योजना पर कितना व्यय हुआ और क्या परिणाम प्राप्त हुये हैं ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) लगभग ४१६ करोड़ रु०।

---

†मूल अंग्रजी में

(ग) आशा है कि १९६३-६४ के अन्त तक चालू योजना काल के प्रथम तीन वर्षों में कुल लगभग २२० रु० व्यय होंगे। भौतिक रूप में मार्च, १९६३ के अन्त तक चालू योजना में लगभग १७,६०० किलोमीटर लम्बी सड़कें जोड़ी गईं।

तारघर

१४६. श्री कछवाय: क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एक तारघर दूसरे तारघर से कितनी दूरी पर होना चाहिये ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): दो तारघरों के बीच के फासलों की कोई सीमा निश्चित नहीं की गई है। उन सभी स्थानों में जहां तारघर खोलना लाभप्रद हो तारघर खोल दिये जाते हैं। प्राशासनिक केन्द्रों जैसे जिला, उपमंडल तथा तहसील मुख्यालयों में भी तारघर खोले जाते हैं बावजूद इसके कि निकट के तारघरों से उनकी दूरी चाहे जितनी हो। ५,००० जन संख्या वाले कस्बों में घाटे की कुछ सीमाओं के आधार पर तारघर खोले जाते हैं बशर्ते कि उस कस्बे की पांच मील की अरीय दूरी के भीतर कोई तारघर मौजूद न हो।

दिल्ली-बुलन्दशहर रेलवे सम्पर्क

†**१४७. श्री कछवाय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली को सीधे बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) से रेलवे लाइन द्वारा मिलाने का कोई प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : नहीं।

धान-बीज संबंधी अनुसंधान

†**१४८.** { **श्री ब० कु० दास** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियो धर्मिता अब तक हमारी अनुसंधान प्रयोगशालाओं में से किसी एक में धान-बीज या पौदों पर परखी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) हां। रेडियो सक्रिय साधनों का प्रयोग धान की फसल पर (१) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली, (२) बोस संस्था कलकत्ता, (३) अणु शक्ति संस्थान, ट्राम्बे (बम्बई) और (४) केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक में किया गया है।

(ख) कुछ अधिक पैदावार देने वाली, हवा से न गिरने वाली किस्में तैयार की गई हैं, और उन पर प्रयोग हो रहे हैं।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३७

†**१४९. श्री रा० बरुआ** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजपथ संख्या ३७ और उसके फर्शों के डिजाइन और निर्माण की वैज्ञानिक जांच पड़ताल होती है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस सड़क के फर्श के शीघ्रता से टूटने फूटने और उसमें लगातार नालियां बनने ने सदैव ही सरकार का ध्यान केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्था की सेवायें प्रयोग करने के लिये आकर्षित किया है।

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३७ द्वितीय महायुद्ध में जल्दी में बनाया गया था। फर्श की मोटाई केवल ३, ४ इंच थी। प्रतीत होता है कि फर्श डालने से पहिले कोई वैज्ञानिक जांच-पड़ताल नहीं की गई।

(ख) भारत सरकार को पहिले ही विदित है कि युद्ध काल में बनाया गया फर्श आजकल के यातायात के लिये अपर्याप्त है और इसलिये सड़क में नालियां बन गई हैं। वर्तमान यातायात की आवश्यकता पूर्ति के लिये कुछ भागों में फर्श की मोटाई बढ़ा कर लगभग १२ इंच कर दी गई है। अब इस समूचे राष्ट्रीय राजपथ का फर्श चौड़ा और मजबूत बनाने का विचार है।

फर्श को मजबूत बनाने का कार्य धन उपलब्ध होने पर किया जाता है। धनाभाव के कारण अनेक बार फर्श को उतना मोटा नहीं बनाया जाता जितना कि डिजाइन के विचारों के अनुसार अपेक्षित होता है। इस सड़क की समस्यायें सरल हैं और उनके लिये केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्था के साथ कोई विशेष परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है।

आसाम को विमान सेवायें

†**१५०. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स ने हाल में उत्तर लखीमपुर, आसाम को अपनी विमान सेवायें बन्द कर दी हैं और वहां एक गैर-सरकारी एयरलाइन्स को सेवा आरम्भ करने की अनुमति दी गई है ?

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार अगरतला हवाई अड्डे का तत्काल विकास करने का है ताकि वर्षाकाल में विमानों के सरलता से उतरने में सुविधा हो ?

†**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अगरतला हवाई अड्डे पर पहिले से ही दो बारहमासी धावनमार्ग हैं।

रेलगाड़ियों में प्रथम श्रेणी का स्थान

†**१५१. डा० श्री निवासन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ यात्री गाड़ियों में प्रथम श्रेणी का स्थान नहीं होता ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) हां।

(ख) कुछ यात्री गाड़ियों में प्रथम श्रेणी का स्थान नहीं रखा गया है क्योंकि उन गाड़ियों में इस श्रेणी के लिये यातायात की दृष्टि से कोई औचित्य नहीं है। नीति स्वरूप जनता रेलगाड़ियों में भी यह स्थान नहीं रखा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कानपुर के निकट गंगा पर पुल

१५२. **मोहन स्वरूप** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर के निकट रेलवे विभाग द्वारा गंगा पर निर्मित पुल में दरारें पड़ गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या पुल की मरम्मत संभव है ; और

(ग) मरम्मत पर कुल कितना रुपया व्यय होने का अनुमान है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठते ।

पंजाब का चीनी का कोटा

†१५३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पंजाब ने अपना चीनी का कोटा बढ़ाने की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, १९६३ में अलग अलग पंजाब को कुल कितनी चीनी दी गई ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां ।

(ख) चीनी की उपलब्धता की दृष्टि से अभी कोटा नहीं बढ़ाया जा सका है;

(ग) सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर १९६३ में पंजाब को चीनी निम्न मात्रा में दी गई :—

महीना	दी गई चीनी (मीट्रिक टन)
सितम्बर	१६,६३०*
अक्तूबर	१७,८१०
नवम्बर (७ ता० तक)	७,४१८

*सितम्बर के लिये ३० अगस्त को दी गई ।

उत्तर रेलवे में नियुक्तियां

†१५४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिये रक्षित श्रेणी, १, २, ३ और ४ के पदों को भरने के लिये उत्तर रेलवे के मुख्यालय में कितने प्रार्थनापत्र आये ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने उम्मीदवार मौखिक परीक्षा के लिये बुलाये गये और कितने चुने गये ; और

(ग) कितने उम्मीदवार नियुक्त किये गये और कितने तालिका (पैनल) पर रखे गये ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग) उत्तर रेलवे के मुख्यालय में श्रेणी १ और २ के पदों के लिये कोई भर्ती नहीं होती। जहां तक श्रेणी ३, ४ के पदों का प्रश्न है, जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जड़ी बूटियां[1]

†१५५. **श्री हेम राज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त पंजाब और काश्मीर की पहाड़ियों में दुर्लभ जड़ी बूटियां उगाई जा रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में उनके उत्पादन तथा विकास के लिये पंजाब तथा जम्मू और काश्मीर सरकारों को कितना अनुदान अथवा ऋण दिया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख) संबंधित राज्यों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कांगड़ा-घाटी रेलवे का पुनः मार्ग रेखानिर्धारण

†१५६. **श्री हेम राज**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री ३ सितम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३८९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कांगड़ा घाटी रेलवे का पुनः मार्ग रेखानिर्धारण के अनुमान तथा परियोजना प्रतिवेदन मिल गये हैं ;

(ख) इसके लिये कौन सा मार्ग प्रस्तावित किया गया है ; और

(ग) इसकी अनुमानित लागत क्या है तथा इसको कब आरम्भ किया जायेगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकार से उत्तर मिलने तथा लागत के लिये उनकी स्वीकृति मिलने के बाद रेलवे लाइन के पुनः रेखांकन का काम आरम्भ किया जा सकता है।

रामनगर तक बड़ी रेलवे लाइन

†१५७. **श्री कृ० चं० पन्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जिला नैनीताल में रामनगर तथा काठगोदाम तक बड़ी रेलवे लाइन को बढ़ाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Medicinal Herbs.

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

घनमंडल पर दुर्घटना

†१५८. **श्री रामचन्द्र मलिक :**
श्री (प्र०) चं० देवभंज :
श्री गो० महन्ती :
श्री विश्वनाथ पांडये :
श्री बालगोविन्द वर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घनमंडल (उड़ीसा) रेलवे स्टेंशन पर दुर्घटना के कारण १६ अक्तूबर, १९६३ को गाड़ियां नहीं चलाई जा सकीं ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण हैं तथा कितने व्यक्ति हताहत हुये तथा कैसी चोटें आईं ;

(ग) दुर्घटना में रेलवे को कितनी हानि हुई ; और

(घ) क्या कोई जांच की गई है ?

†**रेलव मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) दुर्घटना के कारण १६ अक्तूबर १९६३ को सीधी आने जाने वाली गाड़ियों का चलना रुक गया था ।

(ख) और (घ) दुर्घटना के कारणों की जांच हो रही है । तीन व्यक्तियों के हल्की चोटें आईं ।

(ग) १४५०० रुपये (अनुमानतः) ।

ग्रामीण समितियों का पुनर्गठन

†१५९. **श्री भी० प्र० यादव :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री चतर सिंह :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने राज्य सरकारों को परिपत्र भेजा है कि ग्रामीण समितियों के पुनर्गठन तथा सुधार के कार्यक्रम को उच्चतम प्राथमिकता दें ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) जी हां । १९६४–६५ की सहकारी योजना बनाने के बारे में अक्तूबर, १९६३ में राज्य सरकारों को भेजे गये परिपत्र में ग्रामीण समितियों के पुनर्गठन तथा, सुधार का महत्व पुनः बताया गया था तथा राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया था कि ग्रामीण स्तर पर समितियां बनाने को उच्चतम प्राथमिकता दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये कार्यक्रम पर नवम्बर–दिसम्बर, १९६३ में वार्षिक योजना पर चर्चा के समय राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से बातचीत होगी।

सिल्चर–इम्फाल शटल विमान सेवा

†१६०. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मनीपुर की जनता को प्राप्त संचार सुविधायें बहुत कम हैं और शीघ्र परिवहन केवल विमान द्वारा ही हो सकता है ;

(ख) क्या सरकार को सरकारी तथा गैर-सरकारी अभिकरणों से विमान परिवहन सुविधायें बढ़ाने के लगातार अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(ग) समस्या का स्थायी हल निकालने तक क्या सरकार का विचार इन अभ्यावेदनों में दिये गये सुझाव की सिलचर और इम्फाल के बीच शटल विमान सेवा की संख्या बढ़ा दी जाय, स्वीकार करने का है ?

†**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) से (ग) मनीपुर राज्य प्रशासन तथा अन्य व्यक्तियों से प्राप्त अभ्यावेदनों में इम्फाल के लिये अधिक स्थान की व्यवस्था करने को कहा गया है । इस समय निगम कलकत्ता/अगरतला–सिल्चर–इम्फाल मार्ग पर दैनिक डकोटा सेवा चलाती है तथा उसकी ऐसी योजना है की ज्यूं ही इम्फाल हवाई अड्डा विमान उतारने लायक हो जायगा उस पर मैत्री सेवा लाग कर दी जायगी। इस बीच निगम १–१–६४ से डकोटा सेवा की संख्या ७ से ११ कर दी गई है।

गोइलकेड़ा में डाकखाना

†१६१. **श्री ह० च० सोय** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पूर्व दक्षिण-पूर्व रेलवे पर गोइलकेड़ा में डाक और तार कार्यालय स्वीकृत हुई है परन्तु स्वीकृति को क्रियान्विति के लिये अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो मामले में शीघ्रता करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)**: (क) और (ख) गोइलकेड़ा में डाकखाना अभी भी है। गोइलकेड़ा में तार सुविधाओं के लिय स्वीकृति १९६२ में आरम्भ में देदी गई है परन्तु रेलवे लाइन के विद्युतीकरण के कारण काम नहीं किया जा सका था। जनवरी १९६४ तक तार सुविधाओं की व्यवस्था कर देने की आशा है।

बाक्स वैगन

†१६२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कोयला उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा में बाक्स वैगनों के रैकों में माल लादने में कठिनाई होती है ; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां। जबकि समय पांच घंटे था।

(ख) १–२–१९६३ से २० बाक्स वैगनों अथवा उससे अधिक के रैकों के लिये पांच घंटे के समय को बढ़ा कर १० घंटे कर दिया गया था।

स्थगन प्रस्ताव और कार्यवाही-वृत्तान्त में शुद्धि के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : ध्यान दिलाने की सूचना––श्री स० मो० बनर्जी।

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरी विनती है कि स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कुछ फ़ैसला देने के पहले आप अपने कल के निर्णय पर पुनर्विचार करें। कल आपने कहा था कि किसी भी ध्यानाकर्षण या स्थगन-प्रस्ताव को आप समय की कसौटी पर मानेंगे। मेरी आप से अर्ज़ है कि समय की कसौटी सिर्फ़ उन प्रस्तावों के लिए रखी जा सकती है, जो एक ही ढंग के हों। जो प्रस्ताव, चाहे वे स्थगन प्रस्ताव हों या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, बिल्कुल अलग अलग महत्व के हैं, उनके लिए कसौटियां दूसरी होनी चाहिए। मैं आपसे यह भी अर्ज करूं कि अभी नियमों में कोई नियम ऐसा नहीं है, जिसके द्वारा आप केवल समय की कसौटी को मानें। मेरी अर्ज़ आप से यह है कि आप ४४ करोड़ के व्यापक और तात्कालिक हितों को मानें। इसलिए कसौटियां दो हुईं: एक कसौटी—लोकहित की व्यापकता और दूसरी कसौटी––लोकहित की तात्कालिकता। यदि कई प्रस्ताव एक ही किस्म के आते हैं, तो वहां आप समय की कसौटी को मान सकते हैं, लेकिन जब अलग अलग ढंग के प्रस्ताव हैं, तो पिछले डेढ़ दो महीने में इन दोनों सत्रों के बीच में देश में जो कुछ भी घटनायें हुई हैं, उन को लोक-हित की व्यापकता और लोक-हित की तात्कालिकता की कसौटी पर जांचना चाहिए।

मैं समझता हूं कि पिछले डेढ़ दो महीनों में देश में भुखमरी और कमी की जो हालत रही है, उस को अगर इन दोनों कसौटियों पर जांचा जाये–मैं किसी प्रस्ताव पर नहीं बोल रहा हूं, मैं केवल इन कसौटियों पर बोल रहा हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मुझे तकलीफ़ है कि जब कोई प्रस्ताव सामने न हो, तो उस वक्त कोई मेम्बर नहीं बोल सकता। पहली बात डाक्टर साहब की ख़िदमत में मैंने यह कहनी है कि इस हाउस में हमने आर्डर आफ़ बिजिनेस के मुताबिक ही काम करना है और अगर कोई मेम्बर साहब ऐसी कोई चीज़ उठाना चाहते हैं, तो वह मुझे पहले सूचना दें और मुझ से मिल लें। आप ने कल मुझे एक चिट्ठी लिखी थी। मैं आप को बाद में वक्त देता और आप उस समय अपनी बात कह सकते थे। लेकिन क्या इस तरह काम चलेगा कि जिस वक्त आपका जी चाहे, जो आपका जी चाहे,वह इस हाउस में उठा लें? क्या इस तरह से काम चल सकेगा?

डा० राम मनोहर लोहिया : आपके जवाब से मैंने यही समझा था कि आप इस वक्त मुझे वक्त देंगे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य देख लें कि जब मैं कालिंग एटेन्शन नोटिस को ले रहा हूं, तो वह वगैर इन्तजार किये हुए अपनी बात को उठा देते हैं और चाहते हैं कि हाउस में जो काम चल रहा है, उसको बन्द कर दिया जाये और दूसरे माननीय सदस्य बैठ जायें। मैं डाक्टर साहब के सामने ही यह सवाल पेश करता हूं कि क्या इस तरह से काम चल सकेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० राम मनोहर लोहिया : दूसरे नियम के बारे में आप के हुक्म, और मेरे नेता ने जो सलाह दी थी, उसको मैंने मान लिया था । लेकिन आपने यह निर्णय दिया था । मैं किसी एक प्रस्ताव पर नहीं बोल रहा था । मैं यही समझा था कि आप इसको पहले लेंगे । मुझे श्री रामसेवक यादव से यही पता चला ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप ने यह समझा था, तो मुझे अफ़सोस है । या तो आप के लीडर साहब को समझाने में मेरी ग़लती हुई, या उन्होंने ग़लत समझा, मगर चूंकि आपने इस बात को उठाया है, इसलिए मैं इसको ले लेता हूं ।

आपने कहा है कि आपने पहली बात मान ली । आपने मुझे चिट्ठी लिखी कि वैसे तो आप मेरे पास आने के लिए खुश होंगे, लेकिन आप इन बातों के लिए ज्यादा आना पसन्द नहीं करते । आपने रिकार्ड को दुरुस्त करने का जो सवाल उठाया था, उसके दो ही तरीके हो सकते हैं । यह तो नहीं हो सकता कि मैं सब रिकार्ड उठा कर यहां पर पढ़ना शुरू कर दूं कि उसमें कोई ग़लती हुई या नहीं । या तो आप मुझे वक्त देते । आप जहां कहें,—मैं मज़ाक में नहीं टाल रहा हूं, लाइटली नहीं कह रहा हूं—मैं रिकार्ड लेकर आपके पास आने के लिए तैयार हूं, अगर आप आने के लिए तैयार नहीं हैं । मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं हमेशा तैयार हूं, लेकिन यह आपके कक्ष का मामला नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल भी कहा था । यहां पर इसका ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है । अगर प्रिंटिंग में कोई ग़लती है, तो उसको हाउस में लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाउस ने उस पर कोई फैसला नहीं करना है । जो प्रिंटिंग में ग़लती का मामला है, उसको मेरे पास लाया जाये, तो वह वहीं दुरुस्त हो सकता है । वह बात तो वहीं खत्म हो जाती है ।

दूसरी बात आपने यह कही कि कल मैंने जो कहा कि श्री नाथपाई का जो मोशन था, चूंकि वह अर्लिएस्ट नोटिस था, इसलिए मैं उसको लेता हूं, वह नियम ग़लत है और आपको उस पर ऐतराज़ है । आपका कहना है कि टाइम की जो प्रायर्टी है, उसका ख्याल नहीं रखना चाहिए, जिसका अर्लियर नोटिस है, वह नहीं लेना चाहिए, बल्कि स्पीकर को यह देखना चाहिए कि कौनसा मज़मून है, जो देश के लिए बहुत गम्भीर और महत्वपूर्ण है और उसको लेना चाहिए । क्या मैं आपको ठीक समझ रहा हूं ? यही बात है न ?

डा० राम मनोहर लोहिया : जी हां । व्यापक—४४ करोड़ का जिसमें हित है । केवल गम्भीर नहीं—वह तो तात्कालिकता में आयेगा ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप रूल्ज़ को पढ़ें, तो आप देखेंगे कि एजार्नमेंट मोशन के सम्बन्ध में स्पीकर का यह काम है कि जब उसने कन्सेन्ट देनी है, तो उसने देखना है कि आया वह **इन आर्डर** है । बाकी इस हाउस का काम है कि वह देखे कि उसकी कितनी एहमियत है, कितनी गम्भीरता है और वह उसको कितनी ज़रूरी समझता है और वह उसको सेंक्शन देता है या नहीं । जब मेरे पास नोटिस आते हैं और मैं देखता हूं कि एक से ज्यादा मोशन **इन आर्डर** हैं, तो मैं और कोई तरीका नहीं समझता सिवाये इसके कि जो पहले आया, उसको पहले लूं, जो उसके बाद आया, उसको दूसरे दर्जे पर लूं । मैंने सिर्फ़ इतना देखना है कि वह **इन आर्डर** है या नहीं । वैसे वह मोशन स्टेल हो चुका था, इतने दिनों का मामला था और नोटिस भी मेरे पास दस पन्द्रह दिन से आया हुआ था, मगर हमारा कायदा है कि फर्स्ट आपरटूनिटी पर उस मामले को लाया जाये और जो पहले नोटिस दिया गया है, उसके बारे में भी समझा जायेगा कि वह दस बजे नोटिस आया । चूंकि यह पहला दिन था और उनको इस मामले को

उठाने की पहली आपरचुनिटी थी, इसलिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने समझा कि वह **इन आर्डर** है, और इसलिए मैंने उसको पहले ले लिया। यह बात एडीशनल है कि जब एक से ज्यादा एजार्नमेंट मोशन्सज़ **इन आर्डर** हैं, तो जो पहले आया है, मैं उसको पहले लूं और अगर हाउस उस को रिजैक्ट कर दे, तो जो दूसरा हो उसको मैं आपके सामने पेश कर दूं।

इसलिए मैंने जो कल कहा, वह दुरुस्त कहा है, वह रूल्ज़ के मुताबिक है और उसमें कोई तबदीली करना मैं मुनासिब नहीं समझता।

कालिंग एटेंशन नोटिस।

श्री बागड़ी (हिसार) : इस बारे में आपने यह कहा है कि मेरे पास जो पहले आया था, समय के अनुसार मैं उसको पहले लेता और अगर हाउस उसको नामंजूर करता, तो दूसरे को लेता। मगर हालात इससे मुख्तलिफ हैं। हमारा जो कामरोको प्रस्ताव था, आपने पहले ही उसको नामंजूर कर दिया। आपको कैसे पता लगा कि हाउस उसको मंजूर करेगा या नहीं ? जो कामरोको प्रस्ताव एक गम्भीर परिस्थिति के सम्बन्ध में था, जो अकाल के सम्बन्ध में था, जिसका सम्बन्ध ४४ करोड़ लोगों से था, उसको आपने पहले रिजैक्ट कर दिया। फिर आप उसको विचाराधीन कैसे कहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने यही कहा है कि पहले मेरा काम है कि देखूं कि वह **इन आर्डर** है या नहीं। अगर मैंने आपके नोटिस को **इन आर्डर** ही नहीं पाया, तो सवाल ही नहीं था कि उसके टाइम का कोई निर्णय किया जाता। उसको आप गम्भीर और जरूरी समझते हों, मैं बेशक ग़लती पर हू, लेकिन मैंने जो फैसला देना है, आखिर उसी पर अमल होगा। जैसा कि आप कह रहे हैं, मैंने उसको इंकार कर दिया, रिजैक्ट कर दिया, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसको हाउस के सामने रखा जाता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। मैंने श्री इन्द्रजीत गुप्त को बुलाया है।

श्री रामेश्वरानन्द: मेरा थोड़ा निवेदन सुन लीजिए—एक मिनट के लिए मेरा निवेदन सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री इन्द्रजीत गुप्त को बुलाया है। माननीय सदस्य बैठ जायं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण-पश्चिम) : कल जब श्री नाथपाई का स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया गया था तब आपने कहा था कि अन्य स्थगन प्रस्तावों पर भी आज विचार किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि उनके विषय में क्या किया जा रहा है क्योंकि हमने भी पश्चिमी बंगाल में चावल के मूल्यों में असाधारण वृद्धि पर एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझ से कहा गया था कि माननीय मन्त्री एक वक्तव्य देंगे। निर्णय लेने के पूर्व, मैं माननीय मन्त्री से कहूंगा कि वे मुझे तथ्यों से अवगत करायें। सुनिश्चित तथ्यों पर ही स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत किया जा सकता है। अभी मैंने उसके बारे में निर्णय नहीं लिया है। वक्तव्य सुनने के बाद ही मैं उस पर निर्णय लूंगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : पहले ऐसी प्रक्रिया थी कि अध्यक्ष स्थगन प्रस्ताव को पढ़ कर सुनाते थे और तब मन्त्री से अथवा हम से वक्तव्य देने के लिये कहते थे। किन्तु आप केवल मंत्री का वक्तव्य ही सुन कर इसके बारे में निणय लेंगे। क्या मन्त्री महोदय के वक्तव्य देने के बाद भी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० मो० बनर्जी]

स्थगन प्रस्ताव बना रहेगा और हमें सरकार की निन्दा करने अथवा उससे त्यागपत्र देने की मांग करने का अधिकार होगा ?

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव में यद्यपि निन्दा का आभास होता है किन्तु प्रत्यक्षतः यह निन्दा प्रस्ताव नहीं है । यदि सदस्य सरकार की निन्दा करना चाहते हैं तो वे सीधा निन्दा प्रस्ताव क्यों नहीं प्रस्तुत करते ?

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : स्थगन प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव ही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : श्री मावलंकर ने कई अवसरों पर यह कहा था कि वे हमें स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देंगे क्योंकि इसमें निन्दा का कुछ आभास है । अविश्वास प्रस्ताव है और स्थगन प्रस्ताव है किन्तु निन्दा प्रस्ताव की व्यवस्था कहीं नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने भी यह कहा था कि स्थगन प्रस्ताव में निन्दा का आभास है, किन्तु यह निन्दा प्रस्ताव नहीं । निन्दा प्रस्ताव कोई भी सदस्य कभी भी प्रस्तुत कर सकता है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : नियमों में कहीं भी निन्दा प्रस्ताव की व्यवस्था नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी व्यवस्था है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : अविश्वास व्यक्त करने की ही व्यवस्था है । "निन्दा" शब्द का नियमों में कहीं भी उल्लेख नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं बता दूंगा कि कहां पर इसकी व्यवस्था है ।

जहां तक श्री बनर्जी के प्रश्न का सम्बन्ध है, वक्तव्य देने के बाद भी स्थगन प्रस्ताव बना रहेगा । किन्तु यह उस समय की परिस्थिति पर निर्भर है ।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : अन्य स्थगन प्रस्तावों के बारे में क्या होगा ?

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव भेजा था । आज मुझे बताया गया कि उसके सम्बन्ध में अनुमति नहीं दी गई क्योंकि एक अतारांकित प्रश्न भी है । किन्तु अतारांकित प्रश्न के आधार पर स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

श्री रामेश्वरानन्द : मझे भी एक निवेदन करना है और उस को भी आप सुन लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, मुझे एक जवाब दे लेने दीजिये ।

श्री बागड़ी : मैं एक बात कहना चाहता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे नहीं बोल सकते है । आप बैठ जाइये । उन से मैंने कहा है कि मुझे एक जबाव दे लेने दीजिये और आप खड़े हो गये हैं ।

श्री बागड़ी : मुझ को सुन लीजिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : क्या इस तरह से काम चलता रह सकता है । मेरा ख्याल है कि इस तरह से तो सारा दिन चला जायेगा और कोई काम नहीं हो सकेगा । एक के बाद एक खड़े होते जायेंगे तो कोई कार्यवाही नहीं कर सकेंगे ।

श्री हेम बरुआ ने कहा है कि उन को पता लग गया था कि मैंने एडजोर्नमेंट मोशन को कंसेन्ट विदहोल्ड की थी । मुझे अफसोस है कि बार बार खड़े हो कर उन्होंने उस पर आग्रह करना शुरू कर दिया । मैंने बहुत बार दरख्वास्त की है , बहुत बार कहा है और इतने डिस्टिंगुइश्ड और एक्सपीरियेंस्ड पार्लियामेंटेरियन . . . .

†**श्री हेम बरुआ** : क्या मैं इस का अंग्रेजी रूपान्तर सुन सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है कि श्री बरुआ जैसे प्रतिष्ठित और अनुभवी संसद्विज्ञ बार बार उस प्रश्न को उठा रहे हैं जबकि उन्हें पता है कि उस स्थगन प्रस्ताव पर अनुमति नहीं दी गई है ।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं केवल कार्यवाही के संबंध में जानना चाहता था ।

श्री बागड़ी : जनाब ने जो यह निर्णय दिया कि डा० राम मनोहर लोहिया के कहने के बाद कि जो काम रोको प्रस्ताव होता है वह तब ही आ सकता है जब कि स्पीकर हालात की रोशनी में, रूल्ज को देख कर उस की इजाजत देता है, जब वह यह फैसला दे देता है कि उसे हाउस में रखा जाये या न रखा जाए, वह रखे जाने के काबिल है या रखे जाने के काबिल नहीं है । कायदे कानून आदि जो हैं, उन सब को देख कर उस को रखे जाने की वह मंजूरी या नामंजूरी देता है । दूसरे आप ने बताया कि किस को पहले लिया जाए और किस को बाद में । मैं आदरपूवक निवेदन करूंगा कि अगर देश में भुखमरी है, अकाल है, लोग भूखों मर रहे हैं और इस को मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं तो. . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से दरख्वास्त करूंगा कि आप बैठ जायें . . . . .

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय . . . .

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुन लीजिये । मैं खड़ा हो गया तो आप का बैठना लाजिमी है । **(अन्तर्बाधायें)** जब मैं खड़ा हुआ हूं तो आप का बैठना लाजिमी है । बातें यहां सब कही जा सकती हैं, लेकिन उन को कहने के लिये कायदे हैं । हर एक बात एडजोर्नमेंट मोशन से नहीं हो सकती है । आप उस के बारे में सवाल दे सकतें हैं, शार्ट नोटिस क्वैश्चयन दे सकते हैं, और कोई चीज कर सकते हैं, और कोई कार्यवाही कर सकते हैं। जब आप ने एक कार्यवाही की है और मैंने उसे नामंजर कर दिया है, तो उस के बावजूद अगर आप खड़े हो कर बोलते चले जायेंगे और जिद्द करेंगे तो यह बात दुरुस्त नहीं है ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है . . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप दोहरा नहीं सकते हैं, बार बार एक ही बात को नहीं कह सकते हैं । आप बार बार नहीं कह सकते हैं कि वहां भूखों मर रहे हैं और इतना नुकसान हुआ है । जो मैंने किया है वह अगर गलत है तो आप बैठ कर मुझ से बात कर सकते हैं । **(अन्तर्बाधाएं)** इस तरह से मैं इस की इजाजत नहीं दे सकता हूं ।

श्री रामेश्वरानन्द : जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं वे जितना आप को खराब करते हैं, उस को मैं स्वयं देखता हूं । उन के सामने आप बैठ जाते हैं और वे बोलते रहते हैं । हम सभ्य भाषा में बोलते हैं और आप जब कहते हैं तब बैठ जाते हैं । लेकिन फिर भी हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने भी आप को एक काम रोको प्रस्ताव दिया है। उस पर आप ने क्या निर्णय दिया है, क्या वह आप के विचाराधीन है या क्या उसका हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : आपको उस की इत्तिला दे दी जायेगी ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों की जासूसी की गतिविधियां

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और उन से निवेदन करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें ।

"नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों की हाल ही की जासूसी की गतिविधियां ।"

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : आठ नवम्बर को शाम के ७ बजे दिल्ली पुलिस ने अब्दुल मजीद को और उस के साथ ही एक विजय कुमार भट्टाचार्य को जो प्रतिरक्षा मंत्रालय के उपवित्तीय सलाहकार के कार्यालय में असिस्टेंट था, पकड़ लिया । दोनों को पास ही के एक पुलिस स्टेशन पर ले जाया गया जहां अब्दुल मजीद ने बताया कि वह श्री भट्टाचार्य से मार्च, १९५९ से ही परिचित है जब वह पाकिस्तान उच्चायोग के द्वितीय सचिव मोहम्मद लतीफ मलिक के साथ राम लीला ग्राउन्ड जाया करता था जहां वे भट्टाचार्य से मिला करते थे । अब्दुल मजीद ने यह भी बताया कि भट्टाचार्य पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यालय में भी आया करता था और उसे पाकिस्तान उच्चायोग के गुलाम हैदर से भी परिचित कराया गया था । अब्दुल मजीद ने बताया कि वह फरवरी, १९६३ से भट्टाचार्य से अक्सर मिलता रहा है । इन भेंटों के दौरन भट्टाचार्य ने उसे कागजात और दूसरी जानकारी दी है जिस के बदले में उसे नकद रुपया दिया गया है ।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से जारी किये गये एक परिचय पत्र (आइडेन्टीटीकार्ड) के आधार पर यह प्रमाणित होते ही कि वह पाकिस्तानी राष्ट्रजन है और पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यालय में ड्राइवर का कार्य कर रहा है उसे पुलिस स्टेशन से चला जानें दिया गया ।

प्रारम्भिक पूछताछ के दौरान भट्टाचार्य ने इस बात की पुष्टि की कि पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ निरन्तर उस का सम्पर्क रहा है। उसने इस बात की भी पुष्टि की कि उसे पाकिस्तानी अधिकारियों को वर्गीकृत जानकारी देने के बदले में नकद और वस्तु के रूप में निर्धारित मासिक पुरस्कार तथा तदर्थ भुगतान मिला करता था । उस ने पाकिस्तान उच्चायोग के अपने प्रमुख परिचितों के रूप में विशेषकर ड्राइवर अब्दुल मजीद, गुलाम हैदर और द्वितीय सचिव मोहम्मद लतीफ मलिक का नाम लिया । उस ने यह भी बताया कि उस ने पाकिस्तानी अधिकारियों को किस प्रकार की जानकारी दी थी ।

९ नवम्बर को पाकिस्तान उच्चायुक्त ने वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के पास एक पत्र भेजा जिस में इस बात की शिकायत की गई थी कि ८ नवम्बर की शाम को दिल्ली पुलिस ने ड्राइवर अब्दुल मजीद के साथ दुर्व्यवहार किया है । पाकिस्तानी पत्र में यह आरोप लगाया गया था कि पुलिस स्टेशन पर ले जाने के पहले ड्राइवर को पीटा गया था और बाद में पुलिस स्टेशन पर उस के कपड़े उतार दिये गये और उस की तलाशी ली गई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

१२ नवम्बर को कामनवैल्थ सेक्रेटरी ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को बुलाया और उन्हें उस परिस्थिति से अवगत कराया जिसमें उच्चायुक्त के ड्राइवर को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था। उच्चायुक्त से कहा गया कि श्री भट्टाचार्य ने मजिस्ट्रेट के सामने की गई स्वीकारोक्ति में विशेष रूप से उच्चायुक्त के तीन व्यक्तियों का नाम लिया है इसलिये भारत सरकार को यह निवेदन करना पड़ रहा है कि ४८ घंटों के अन्दर इन व्यक्तियों को दिल्ली से हटा दिया जाये। कामनवैल्थ सेक्रेटरी ने इस आरोप का खंडन किया कि अब्दुल मजीद को पीटा गया था अथवा उस के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। ड्राइवर पर किसी भी बात को बताने के लिये किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला गया और जैसे ही उस ने अपना परिचय दिया उसे चला जाने दिया गया।

१५ नवम्बर को पाकिस्तान विदेशी कार्यालय ने कराची स्थित हमारे उच्चायुक्त से प्रार्थना की कि ४८ घंटे के अन्दर तीन अधिकारियों को जो लगभग उसी श्रेणी के थे, वापिस बुला लिया जाये। उन पर यह आरोप लगाया गया था कि ये अधिकारी "जासूसी के संगठित कार्यों और तोड़ फोड़ की कार्यवाहियों" में अन्तर्ग्रस्त थे। हमारे उच्चायुक्त को एक पत्र दिया गया जिस में इन अधिकारियों के नाम दिये गये थे और यह कहा गया था कि हमारे उच्चायोग के द्वितीय सचिव श्री जी० आर० आयंगर, "जून, १९६२ से तोड़ फोड़ के कार्य और जासूसी के कार्य" में लगे हुए थे। हमारे उच्चायुक्त ने पत्र ले लिया किन्तु यह कहा कि उस में लगाये गये आरोप निराधार और निस्सार हैं और कहा कि पाकिस्तान सरकार द्वारा की गई कार्यवाही स्पष्टतः प्रतिकारात्मक है। पाकिस्तान अधिकारी ने, जिस ने उच्चायुक्त से भेंट की थी, कहा कि कराची में भारतीय अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का दिल्ली में जो कुछ किया गया है उससे कोई संबंध नहीं है।

याद रखने की बात है कि सितम्बर, १९६३ में भारत सरकार ने भारतीय वायुबल के पाइलट आफिसर शर्मा द्वारा कुछ बातों का रहस्योद्घाटन करने के परिणाम स्वरूप नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के वायु सलाहकार और अन्य तीन व्यक्तियों को वापिस बुलाने की प्रार्थना की थी। पाकिस्तानी वायु सलाहकार और अन्य व्यक्तियों के इस घटना में अन्तग्रस्त होने के पूरे एक सप्ताह बाद पाकिस्तान सरकार की ओर से प्रतिकारात्मक कार्यवाही की गई। प्रस्तुत मामले में भी पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों के जासूसी कार्यों में अन्तर्ग्रस्त होने का पता लगाने के बाद फिर पाकिस्तान की सरकार ने प्रतिकारात्मक कार्यवाही की है।

पाकिस्तान से निकाले जाने वाले अधिकारियों की संख्या, उनकी श्रेणी और समय को देखते हुए यह स्पष्ट है कि इन दोनों मामलों में पाकिस्तान की सरकार ने जो प्रतिकार की भावना से ही कार्यवाही की है और इन दोनों अवसरों पर उनको कार्यवाही कराची स्थित हमारे उच्चायोग के कर्मचारियों की गैर कानूनी कार्यवाहियों का पता लगाने के आधार पर नहीं की गई थी।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इन बातों का पता लगने के बाद कि भारतीय वायु बल और मंत्रालय में पाकिस्तान के जासूस हैं सरकार ने उनकी पड़ताल करने के विषय में क्या कदम उठाये हैं और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : अधिकारियों की तलाशी आदि के सम्बन्ध में समुचित सुरक्षा उपाय अपनाने के बाद भी ऐसी बातें होती हैं। इस मामले में जैसा कि कहा जा चुका है कुछ समय से ऐसा हो रहा है। सुरक्षा उपायों के कारण ही हम ऐसे मामलों की खोज करने में सफल हुए हैं।

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : एक के बाद दूसरे ऐसे मामले होने के बाद क्या सरकार के विचार में यह एक इक्की-दुक्की घटना है अथवा पाकिस्तानी जासूसों का कोई जाल है और इस जाल को समाप्त करने के लिये पाइलट आफिसर शर्मा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? क्या उसे कोर्ट मार्शल के लिये भेज दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं नहीं जानती कि श्री शर्मा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शेष प्रश्न का उत्तर दिया जाये ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : ऐसी घटना का पता लगते ही हमारी व्यवस्था कार्य करने लगती है और इस बात का पता लगाने का भरसक प्रयत्न किया जाता है कि जासूसी के कार्य में किसी गिरोह का हाथ है या नहीं । यथा समय इस का परिणाम ज्ञात होगा ।

†**श्री दाजी** : मेरा प्रश्न यह था कि इस सम्बन्ध में सरकार का क्या निष्कर्ष है और इसे रोकने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : हमें किसी गिरोह के सम्बन्ध में निश्चित प्रमाण नहीं मिले हैं—गिरोह का अर्थ है परस्पर संबंधित व्यक्ति । यह दूसरी बात है कि इन कामों के पीछे एक ही व्यक्ति हो । किन्तु जहां तक हम देख सकते हैं ये इक्की-दुक्की घटनायें हैं, केवल इनका उद्देश्य एक ही है ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : श्री शर्मा का कोर्ट मार्शल किया जा रहा है ।

†**श्री बड़े** (खारगोन) : समाचार पत्रों में यह निकला है कि पहले अवसर के समान इस बार भी पाकिस्तान सरकार ने इस विषय को गुप्त रखने की प्रार्थना की थी और इसके बाद प्रतिकार किया । जब पाकिस्तान सरकार इन प्रथाओं का पालन नहीं करती तो हम क्यों ऐसा करके उन्हें प्रतिकार करने के लिये उकसाते हैं ? साथ ही ड्राइवर को क्यों जाने दिया जब कि ड्राइवर दूतावास का सदस्य नहीं होता ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह बात ठीक नहीं है कि पाकिस्तान ने हम से इसे गुप्त रखने की प्रार्थना की थी । ऐसे मामलों के लिये निश्चित प्रतिक्रिया निर्धारित है । जब ऐसे मामले उस देश के उच्चायोग के ध्यान में लाये जाते हैं तो भेजने वाली सरकार के उच्चायोग से उन व्यक्तियों को वहां से हटाने के लिये कहा जाता है ।

†**श्रीमती रेणुचक्रवर्ती** (बैरकपुर) : तारीख के विषय में ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : राजनयिक उन्मुक्ति की प्रथा के अनुसार हम उन्हें समुचित समय देत हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक मैं समझता हूं माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी शिकायत पहले कैसे रखी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : नहीं । वे लोग १४ को चले गये । पाकिस्तान ने अपनी शिकायत उसके बाद रखी ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता–मध्य) : प्रश्न का दूसरा भाग यह था कि ड्राइवर को राजनयिक उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है । क्या सरकार की यह नीति है कि ऐसे लोगों को भी बाहर चला जाने दें ?

†**श्री त्यागी** : क्या वह पाकिस्तानी राष्ट्रजन था ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हां ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री बड़े** : किन्तु उसे उन्मुक्ति प्राप्त नहीं थी ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हमने मिशन से काहा था कि उन लोगों को वापिस बुला लिया जाय और वे चले गये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह था कि जब ड्राइवर को राजनयिक उन्मुक्ति प्राप्त नहीं थी तो क्या हम उसे जाने से रोक सकते थे ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : समस्त राजनयिक कर्मचारियों को न्यायालय की कार्यवाहियों से अथवा कानून की प्रक्रिया से उन्मुक्ति प्राप्त है ।

†**श्री दाजी** : ड्राइवर को भी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता कि संविधानिक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रिया क्या है । राजनयिक कर्मचारियों और राजनयिक उन्मुक्ति में अन्तर है । यह एक सामान्य प्रथा है कि कर्मचारियों को—उन्हें भी जो राजनयिक कर्मचारियों के अन्तर्गत नहीं समझे जाते—कुछ राजनयिक उन्मुक्ति दी जाये । यह किस सीमा तक हो और कब इसका पालन नहीं किया जाये मैं अभी नहीं कह सकता । किन्तु उस समय मैंने इसके संबंध में पूछता की भी और मझे बताया गया कि सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार ऐसा ही किया जाता है और इन लोगों को, ड्राइवर को भी, जाने के लिये कहा जाता है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : एक औचित्य का प्रश्न है । गत बजट सत्र में राज्य मंत्री ने कहा था कि खानसामा, ड्राइवर आदि को राजनयिक उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है । प्रधान मंत्री और राज्य मंत्री में से कौन ठीक है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : समस्त राजनयिक कमचारियों को कानूनी प्रक्रिया से पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री ब्रजराज सिंह ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं .....

†**श्री बागड़ी**: अध्यक्ष महोदय, मैं ....

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री ब्रजराज सिंह को बुलाया है और वे बोल रहे हैं ।

श्री बागड़ी : बुलाया आप ने ब्रजराज सिंह को था लेकिन मंत्री महोदय बोल गये तो अगर मैं अब उठ खड़ा हुआ तो क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मंत्री महोदय के बराबर होने की अभी से कोशिश क्यों कर रहे हैं । सब्र से चलिये शायद वक्त आ जाय ।

श्री ब्रजराज सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि जब जब भी इस तरह की कोई सुरक्षा कार्यवाही हमारी सरकार ने की, पाकिस्तान को बहुत जल्दी उस की खबर लग गयी, तो क्या सरकार ने इस बात का प्रयत्न किया है कि वह किस प्रकार से खबर पा जात हैं? क्या ऐसा कोई ट्रांसमीटर हमारे देश में काम कर रहा है जिससे कि हमारी कार्यवाही का पता उनको इतनी जल्दी चल जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस मामले में कोई गैर मामूली इत्तिला उनको नहीं हुई। शाम को सात बजे एक तारीख को, तारीख मैं भूल गया शायद २० तारीख रही होगी, नहीं ८ तारीख को वह गिरफ्तार हुए भट्टाचार्य और उन के साथ अब्दुल मजीद। फिर उसके बाद छोड़ दिये गये अब्दुल मजीद वगैरह। वह छूट कर अपने हाई कमिशन में गये। उन को इस से इत्तिला होगयी और इस तरह से उसी रोज़ रात को इत्तिला उनको हो गई। दूसरे रोज सुबह वह तार दे सकते हैं, टेलीफोन से बात कर सकते हैं। मामूली तरीके से कंटैक्ट कर सकते हैं और ऐसा उन्होंने किया ही होगा। इसके बाद हमारा पाकिस्तान गवर्नमेंट को उन तीनों को यहां से हटाने का मैसेज मिला।

श्रीराम सेवक यादव : मैं जानना चाहूंगा कि शर्मा और भट्टाचार्य ने पाकिस्तानी दूतावास को जो भेद दिये वह किस चीज़ से सम्बन्धित थे, क्या वे काफी महत्वपूर्ण थे, यदि हां, तो वे किस बारे में थे ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : प्रतिरक्षा अनुदान, अधिकारियों की पदस्थापना आदि से संबंधित वे कुछ वर्गीकृत कागज़ात थे ?

†**श्री बड़े** : क्या वर्गीकृत कागज़ात गोपनीय नहीं होते ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : होते हैं।

श्री किशन पटनायक : इस में कोई शक नहीं है कि प्रचार के स्तर पर हिंद-पाक झगड़ों को ज्यादा महत्व देना पाकिस्तानी सरकार की एक नीति है तो क्या चीन और हिन्दुस्तान की लड़ाई से लोक ध्यान हटाने के लिये हिन्दुस्तान की सरकार ने भी ऐसी नीति अपना ली है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सवाल इससे कैसे होगा।

†**श्री हेम बरुआ** : इन दो मामलों को देखते हुए जिनमें भारतीयों का भी हाथ था यह प्रतीत होता है कि यहां जासूसों का गिरोह है। इस बात की और पाकिस्तान के शत्रुतापूर्ण रुख को देखते हुए क्या सरकार देश द्रोह के कार्य करने वालों के लिये प्राण दण्ड की व्यवस्था कर रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : सरकार ने इसके विषय में विचार नहीं किया। सरकार अन्य मामलों में भी प्राणदण्ड को बिल्कुल हटाने पर विचार कर रही है।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : क्या सरकार बतला सकती है कि इस सिलसिले में पाकिस्तान से जो हमारे तीन निर्दोष आदमी निकाले गये हैं उन के लिये सरकार क्या कर रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वे यहां वापिस आ गये हैं और सर्विस में हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : (केन्द्रपाड़ा) : क्या इस बात का पता लगाने का प्रयत्न किया गया है कि मुहम्मद शमशेर नाम का एक व्यक्ति जो पाकिस्तान के गुप्तचर्या विभाग का डिप्टी डाइरेक्टर है कई दिनों तक बुद्ध बिहार, लद्दाख में रहा और जासूसी करता रहा और क्या यह सच नहीं है कि यह बुद्ध बिहार विदेशी यात्रियों का, जो यहां जासूसी का कार्य करते हैं, आश्रय है ? क्या यह व्यक्ति लामा के भेष में आया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** : आप अपने विवेक का प्रयोग करके प्रश्न का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं जब कि वह महत्वपूर्ण है और हर कोई उसके विषय में चिन्तित है। सरकार यह तो कह ही सकती है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है अथवा वह जांच-पड़ताल करेंगे ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इसके विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। समय-समय पर हमें ऐसे व्यक्तियों के विषय में जिन पर जासूसी आदि का सन्देह होता है रिपोर्ट मिलती रहती है। कुछ कार्यवाही की जाती है और आगे जांच पड़ताल की जाती है। किन्तु माननीय सदस्य ने जिस मामले का उल्लेख किया उस के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या प्रधान मंत्री इसकी जांच करेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं भी यही पूछना चाहता था। चूंकि सभा इस बारे में चिन्तित है, और जैसा कि एक दल के नेता ने कहा है यह मामला भावोत्तेजक एवं महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, इसलिये वह चाहते हैं कि इसकी जांच की जानी चाहिये ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ऐसा करना स्वाभाविक ही है ।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा)** : यदि सभा इस विषय में चिन्तित न भी हो तो भी यदि किसी भी पक्ष से कोई भी विषय ध्यान में लाया जाता है तो उसकी ओर समझदारी और उचित जोश के साथ ध्यान देना होता है। मैं नहीं समझता कि इस बारे में किसी आश्वासन के लिये दिये जाने की आवश्यकता है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : संकट काल में भारत के इस प्रकार के महत्वपूर्ण कूटनीतिक रहस्यों का किसी शत्रु-देश को पता लगना निन्दा को विषय है, यह कहने के साथ मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि आये-दिन इस प्रकार की घटनाओं के घटने के बाद क्या सरकार ने सुरक्षा मंत्रालय और वैदेशिक मंत्रालय में इस प्रकार की जांच की है कि कहीं इस प्रकार के और कर्मचारी तो छिपे हुए नहीं हैं और क्या यह भी जांच की है कि कितने स्त्री-पुरुष आये-दिन पाकिस्तानी दूतावास में आते-जाते हैं—खास तौर से जो औरतें बुर्का ओढ़ कर पाकिस्तानी दूतावास जाती हैं, क्या उनकी भी जानकारी रखने का यत्न किया है अथवा नहीं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : ज़ाहिर है कि इसकी जांच जारी रहती है। हर एक की निस्बत तो मैं नहीं कह सकता कि हर एक हर वक्त निगाह के सामने है, लेकिन एक्सटर्नल एफेयर्ज और खास तौर से डिफेंस मिनिस्ट्री वगैरह में यह कोशिश की जाती है—हमारे हज़ारों आदमी दुनिया में फैले हुए हैं—कि उन पर कुछ न कुछ निगाह रहे ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा सवाल यह था कि इस घटना के घटने के बाद सरकार ने जांच करने का कोई विशेष प्रोसीड्यर एडाप्ट किया है या नहीं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : पिछले पांच रोज में तो कोई विशेष प्रोसीड्यर एडाप्ट नहीं किया है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यह पांच रोज की बात नहीं है। पहले शर्मा की घटना घटी थी। उसको तो महीनों हो गए ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस वक्त तो माननीय सदस्य ने इस घटना का कहा है। इसको दो हफ्ता भर हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति इस घटना में अन्तर्ग्रस्त थे क्या उनके विरुद्ध पाकिस्तान सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है और क्या उस घटना में अन्तर्ग्रस्त व्यक्ति के विरुद्ध, जिसके साथ श्री शर्मा का भी सम्बन्ध था, कोई कार्यवाही की गयी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे मालूम नहीं है । मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता । मैं नहीं समझता कि वह कोई कार्यवाही करेंगे ।

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब इस तरह के वाकयात होते हैं और इम्पार्टेंट फाइलें और कागजात ले जाये जाते हैं, तो क्या सरकार इम्पार्टेंट पेपर्ज़ को सुरक्षित और गुप्त रखने के लिए अधिक कड़ाई से कोई व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कायदे-कानून बहुत हैं । सीक्रेट पेपर्ज़ होते हैं, टाप सीक्रेट पेपर्ज़ होते हैं, टाप टाप सीक्रेट होते हैं, वैरी वैरी सीक्रेट होते हैं । वे बड़े बड़े कुफ्ल और तालों में रखे जाते हैं । लेकिन कभी कभी दिक्कत यह होती है कि टाइपिंग वगैरह में उनकी नकलें उतार सकते हैं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : और बहुत से गुप्त न होते हुए भी गुप्त होते हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही कहा है कि बाज़ जो पेपर्ज़ गुप्त नहीं होते हैं, उन पर भी गुप्त की मोहर पड़ जाती है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : ये कागज वैसे ही तो नहीं हैं ?

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत पत्र

†**रेलव मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : मैं श्री मनुभाई शाह की ओर से (१) प्रशुल्क आयोग अधिनियम १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) रंग उद्योग के संरक्षण के पुनरावलोकन के बारे में प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट (१९६२) ।

(दो) दिनांक १३ नवम्बर, १९६३ का सरकारी संकल्प संख्या ५२(१)-टार/६२ ।

(तीन) एक विवरण जिसमें इसके कारण बताये गये हैं कि उपरोक्त (एक) और (दो) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा में निर्धारित अवधि के भीतर टेबल पर क्यों नहीं रखी जा सकी ।

[पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल० टी० १८२५/६३ ।]

समुद्र यात्री नियम, १९६३ के लिये राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं (२) वणिक् नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४५८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक १३ जुलाई, १९६३ की, अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११८७ में प्रकाशित समुद्री यात्रियों के लिये राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड नियम, १९६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० १६२५/६३ ।]

---

†मूल अंग्रेजी में

चावल कूटना उद्योग (विनियमन तथा लाइसेंसिंग) संशोधन नियम, १९६३

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं (३) चावल कूटना उद्योग (विनियमन) अधिनियम, १९५८ की धारा २२ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १७ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४६९ में प्रकाशित चावल कूटना उद्योग (विनियमन तथा लाइसेंस देना) संशोधन नियम, १९६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० १५६१/६३ ।]

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) आठवां संशोधन नियम, १९६३

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० श० नास्कर)** : मैं (४) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १२ अक्टूबर, १९६३ की अधिसूचना संख्या १६३४ में प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) आठवां संशोधन नियम, १९६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० १५६२ /६३]

रेलवे दुर्घटना के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : : सर्व श्री प्र० चं० बरुआ, मनीराम बागड़ी, राम सेवक यादव, दाजी, यशपाल सिंह, विश्राम प्रसाद, हरि विष्णु कामत तथा अन्य सदस्यों की ओर से एक रेलवे दुर्घटना के विषय में सूचना प्राप्त हुई है । क्या माननीय मंत्री वक्तव्य देने की स्थिति में हैं ?

श्री शाहनवाज खां खड़े हुए —

अध्यक्ष महोदय : चूंकि एक ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव को हम पहले ही ले चुके हैं इसलिये वह यह वक्तव्य ५ बजे दें ।

देश में चावल संबंधी स्थिति के बारे में वक्तव्य

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले अर्ज कर देता हूं कि या तो मिनिस्टर साहब पहले हिन्दी में स्टेटमेंट पढ़ कर फिर अंग्रेजी पढ़ें, वर्ना अंग्रेजी के बाद उस का हिन्दी अनुवाद जरूर करें ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: वक्तव्य का हिन्दी अनुवाद माननीय सदस्य को उपलब्ध कर दिया जायगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मूल्य कल से बढ़ाये गये जबकि हमें इस बारे में सूचना आज दी गयी है । मेरा एक औचित्य प्रश्न है । क्या माननीय मंत्री को यह अधिकार है कि वह मूल्यों में वृद्धि की घोषणा पहले सभा से बाहर करें जबकि संसद् का सत्र हो रहा है और इस विषय के ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव तथा स्थगन प्रस्ताव लम्बित है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस** : इस बारे में घोषणा राज्य सभा में प्रश्नों के उत्तर देते समय की गयी थी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : परन्तु इस विषय पर आज भी इस सदन में चर्चा होने वाली थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु वह राज्य सभा में उत्तर देने से कैसे इन्कार कर सकते थे ।

†**श्री अ० म० थामस** : सभा को विदित ह कि पहले वर्ष की तुलना में वर्ष १९६२ की चावल की खरीफ फसल बहुत कम हुई है, विशेष कर मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, जिन में से मध्य प्रदेश और उड़ीसा आम तौर पर फालतू चावल उत्पन्न करने वाले हैं । पश्चिम बंगाल में, अनुमान के अनुसार, ३.९ लाख टन चावल का कम उत्पादन हुआ । उड़ीसा सरकार के अनुसार वहां पर उत्पादन ३,००,००० टन कम हुआ । मध्य प्रदेश में उत्पादन दस लाख टन से भी अधिक कम हुआ है ।

उत्पादन में हुई इस कमी के अतिरिक्त, सिवाय पी एल ४८० के अन्तर्गत हुए आयातों के, विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाई के कारण आयात भी कम हुआ, विशेष कर आपात के पश्चात् । देश में चावल प्राप्त करने के प्रयास काफी सीमा तक सफल हुए और पहले वर्ष की तुलना में वर्ष १९६२-६३ में अधिक मात्रा में चावल प्राप्त किया गया । परन्तु मौसम की स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश में चावल कम प्राप्त हुआ और पंजाब जहां से आम तौर पर काफी चावल प्राप्त होता है वहां से साधारण मात्रा से भी कम प्राप्त किया गया । उड़ीसा और आसाम में राज्य सरकारों की आशा को देखते हुए आधा चावल ही प्राप्त हुआ । प्रथम बार आंध्र प्रदेश और मद्रास राज्यों से स्वच्छिक आधार पर २,२५,००० टन से भी अधिक चावल प्राप्त हुआ । उड़ीसा से पश्चिम बंगाल में चावल का निर्यात आधे से भी कम हुआ और वास्तव में मई के अन्त से सितम्बर के अन्त तक वह निर्यात बिल्कुल समाप्त कर दिया गया जिस के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल में विकट स्थिति उत्पन्न हुई । इसी प्रकार मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और गुजरात को निर्यात आधा ही हुआ । केवल दक्षिणी क्षेत्र में चावल की स्थिति सारा वर्ष सन्तोषजनक रही ।

इस स्थिति का संचयी परिणाम यह हुआ कि दक्षिण में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में चावल की मूल्य स्थिति सन्तोषननक रही ; महाराष्ट्र और गुजरात में राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये उपायों के कारण मूल्य स्थिति नियंत्रण नहीं रही ; मध्य प्रदेश में जुलाई से स्थिति चिन्ताजनक हो गई जिस के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र और गुजरात को चावल कम भेजा जाने लगा । बिहार में कुछ सप्ताहों के लिये मूल्य काफी बढ़ गए, आसाम में मूल्य कमोवेश स्थिर रहे और उड़ीसा में कुछ समय के पश्चात् मई में स्थिर हो गये । पश्चिम बंगाल में स्थिति सब से बुरी रही । मार्च, १९६३ तक मूल्यों के निरन्तर गिरते रहने के पश्चात् उस राज्य में मूल्य बढ़ने लगे । उड़ीसा से चावल का निर्यात समाप्त होने से स्थिति और भी खराब हो गई, परन्तु केन्द्र की ओर से अतिरिक्त चावल सम्भरित किये जाने पर, आंध्र प्रदेश से और नेपाल से आयात करने पर स्थिति पर नियंत्रण रखा गया । वास्तव में, जुलाई और अगस्त के छः सप्ताहों में मूल्य असाधारण तौर पर स्थिर रहे और इस में कमी भी हुई । यह आशा की जाती थी कि औस की फसल से स्थिति में सुधार हो जायगा परन्तु प्राप्त सूचनाओं से विदित होता है कि बड़े बड़े उत्पादकों ने माल रोक रखा है और व्यापार में माल के निग्रहण की प्रवृत्ति है, जिस के परिणामस्वरूप उचित मूल्य वाली दुकानों द्वारा चावल उपलब्ध किये जाने के बावजूद भी मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है । प्रेस में कुछ डराने वाली खबरों के छपने से उचित मूल्य वाली दुकानों पर और व्यापार पर बोझ पड़ा है । इस बीच में, चूंकि

†मूल अंग्रेजी में

चीनी के राशन के लिए पहचान-पत्र वितरित किये गये हैं और उन का प्रयोग चावल और गन्दम प्राप्त करने के लिए करने की अनुमति भी दे दी गई है, इसलिए उचित मूल्य वाली दुकानों पर बोझ और भी बढ़ गया है । यद्यपि समय समय पर अतिरिक्त सम्भरण किया जाता है, फिर भी स्थिति में बिगाड़ होता जा रहा है ।

इसलिए यह निर्णय किया गया कि खाद्य सचिव और मैं राज्य में जायें । तदनुसार हम वहां गये ।

राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यापारियों से तय किये गये प्रबन्ध, केन्द्र द्वारा किये गये अतिरिक्त सम्भरण तथा उचित मूल्य वाली दुकानों से, विशेषकर कलकत्ता में, अधिक माल का वितरण करने के परिणामस्वरूप स्थिति पर नियन्त्रण पा लिया गया और मूल्य घट कर ३२ रुपये से ३५ रुपये प्रतिमन तक आ गये हैं । औस की फसल के आने से और अमन की फसल की बहुत अच्छी सम्भावना होने से तब से मूल्यों में कमी की प्रवृत्ति निरन्तर बनाई रखी गई है । उड़ीसा, मद्रास, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में समय पर वर्षा न होने के बावजद भी सारे देश में फसल अच्छी होने की सम्भावना है और इस सम्भावना के परिणामस्वरूप गत दो, तीन सप्ताहों में आंध्र प्रदेश के सिवाय सभी स्थानों में मूल्यों में कमी की प्रवृत्ति पाई गई । फसल की स्थिति उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आसाम, पश्चिम बगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विशेष कर उत्साहवर्द्धक है ।

यह और कहना चाहता हूं कि वर्ष हूं १९६२-६३ में, केन्द्र एवं कुछ राज्य सरकारों द्वारा व्यापार के लिए अधिक विनियमनकारी कार्यवाहियां करने के अतिरिक्त, उचित मूल्य वाली दुकानों से चावल के वितरण में वृद्धि की गई । गत वर्ष इसी कालावधि की तुलना में वर्ष १९६३ में १९ अक्टूबर तक उचित मूल्य वाली दुकानों से चावल का वितरण ७.२ लाख टन से बढ़ कर ९.१ लाख टन हुआ । केन्द्रीय संग्रहालयों से भी चावल का सम्भरण साधारण से अधिक किया गया, विशेष कर आसाम, पश्चिम बगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में । पश्चिम बंगाल को विशेष कर वर्ष १९६२ की तुलना में एक लाख टन चावल और २ लाख टन गेहुं अधिक प्राप्त हुआ । इस से चावल के उत्पादन की कमी तो पूरी हो गई परन्तु उड़ीसा से चावल के निर्यात की कमी को नेपाल और आंध्र प्रदेश से किये गये निर्यात से पूर्णतः पूरा नहीं किया जा सका । कलकत्ता और उस के आस पास के क्षेत्रों में, जहां की कुल जनसंख्या ५८ लाख है, पहले लगभग २७ लाख और बाद में लगभग ४० लाख व्यक्ति १६ से १८ रुपया प्रति मन की दर से उचित मूल्य वाली दुकानों से राशन लेते रहे हैं, और कलकत्ता से बाहर इन की संख्या लगभग ५६ लाख है । (**अन्तर्बाधायें**)

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : उचित मूल्य वाली दुकानों पर भी इस मूल्य पर चावल उपलब्ध नहीं है । उनका यह कथन सर्वथा गलत है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : वह मुझे इस मूल्य पर उचित मूल्य वाली दुकान से एक मन चावल ही ले कर दिखा दें ।

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : मैं समझता हूं कि यह दर "६०" से "१६" और "८०" से "१८" कर दी गयी है ।

श्री अ० म० थामस : जिस कठिन काल से पश्चिम बंगाल गुज़रा है उस के बारे में यह कहना उचित ही है कि प्रभावित जनसंख्या के लिए पूरी तरह से सुविधा उपलब्ध की गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० म० थामस]

वर्तमान फसल की स्थिति तथा मूल्यों को समक्ष रखते हुए आगामी वर्ष के लिए क्या खाद्य नीति अपनाई जाये इस बात पर सरकार विचार कर रही है। आरम्भिक निरीक्षण के अनुसार हम फसल की सम्भावनाओं को देखते हुए अधिक चावल प्राप्त कर सकेंगे। राज्य सरकारों ने पहले ही उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया दिखाई है और ऐसी आशा की जाती है कि यदि कोई अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न न हुई तो हम १० लाख टन से भी अधिक खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। आयात किये जाने वाले खाद्यान्नों को मिला कर, आगामी वर्ष में उचित मूल्य वाली दुकानों द्वारा चावल वितरित करने और आगामी दो अथवा ३ वर्षों में २० लाख टन तक का रक्षित भण्डार रखने के लिए यह मात्रा पर्याप्त होगी। यह स्पष्ट है कि न केवल राज्यों में खाद्य नीति के प्रशासन सम्बन्धी त्रुटियों के बारे में, बल्कि इस बात का ध्यान रखते हुए भी कि कुछ राज्यों में यह उपाय कुछ सफलता के साथ लागू किये गये हैं, गत वर्ष के अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए हम प्रशासनिक एवं विनियमनकारी ऐसी व्यवस्था ला सकेंगे जिस से मूल्य व्यवस्था, खाद्यान्न के परिवहन तथा भण्डार, फसल से पहले और वर्ष के अन्त के मूल्यों में असमानता में कमी, आदि विषयों पर अधिक अच्छी प्रकार नियंत्रण रखने योग्य हो सकेंगे। जिन क्षेत्रों में उत्पादक वर्तमान मूल्यों से लाभ उठाने में अयोग्य होंगे वहां धान प्राप्त करने के लिये हम अग्रेतर कार्यवाही करेंगे और समय समय पर मूल्यों के बारे में अधिक सतर्कता बरतने के लिए उपबन्ध करेंगे।

†**श्री मुहम्मद इलियास** (हावड़ा) : एक औचित्य का प्रश्न है।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : चूंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है इसलिए मेरा अनुरोध है कि सभा में इस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं आप की बात सुनूंगा, परन्तु पहले मुझे औचित्य के प्रश्न के बारे में सुनने दीजिये।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : मुझे ठीक से खण्ड, उपखंड तथा प्रक्रिया नियम तो याद नहीं। और इस मामले में ब्रिटिश परम्परा को हमें मानना चाहिए। वह यह कि जो भी मंत्री सदन को गलत और झूठी जानकारी दे उसे सदन से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय** : शब्द "झूठ" का प्रयोग किसी माननीय सदस्य तथा मंत्री के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। उन्हें 'झूठ' शब्द को वापिस लेना चाहिए। यह असंसदीय भाषा है।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : अच्छा यदि आप कहते हैं तो मैं वापिस ले लेता हूं।

†**श्री बागड़ी** : भिवानी तहसील में चावल तीस रुपया मन बिक रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा।

†**श्री बागड़ी** : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है....

†**अध्यक्ष महोदय** : एकका तो जवाब मुझे दे लेने दीजिये।

†**श्री बागड़ी** : इस सवाल और जवाब के सिलसिले में ही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे लिये यह बड़ी मुश्किल है कि मैं क्या करूं। मैं जब लीडर्ज़ से अपील करता हूं तो वे कहते हैं कि आप खुद ही डील करें। एक व्यवस्था का प्रश्न है उस पर अभी मैं जवाब दे रहा हूं। एक और साहब खड़े हो जाते हैं कि मेरे व्यवस्था के प्रश्न को पहले ले लीजिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : यह अंग्रेजी हिन्दी वाला बड़ा विचित्र मामला है और इसके सुलझे बिना कुछ हो नहीं सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस में कोई औचित्य प्रश्न नहीं है । यदि मंत्री महोदय ने कोई बात कही है और माननीय सदस्य का कहना उसके विपरीत है तो उस पर चर्चा हो सकती है । पर चर्चा से स्थगन प्रस्ताव के राह में रुकावट हो सकती है । परन्तु यदि सिद्ध हो जाय कि मंत्री महोदय ने बात गलत कही है तो सरकार के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हो सकता है । यदि मंत्री महोदय चाहे तो स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दे दी जाये, परन्तु पहिले स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : स्थगन प्रस्ताव को विचार करने के प्रस्ताव में बदल दिया जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : विचार का प्रस्ताव :

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : यदि आप इसमें चीनी को भी शामिल कर लें ।

†**श्री बागड़ी** : चीनी का क्या फैसला हुआ ?

चीनी की समस्या के बारे में वक्तव्य

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : चीनी के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : इस सम्बन्ध में आज अथवा कल अपना वक्तव्य दूंगा । वक्तव्य लम्बा है ।

†**श्री अ० च० गुह** (बारसाट) : उसे सभा पटल पर ही क्यों नहीं रख दिया जाता ।

†**श्री अ० म० थामस** : हां, मैं ऐसा कर सकता हूं :

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री वक्तव्य सभा पटल पर रख सकते हैं ।

†**श्री अ० म० थामस** : श्रीमान् जी, मैं वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिय संख्या एल० टी०—१८४६/६३]** :

अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : श्रीमान् जी, श्री मेहरचन्द खन्ना की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अचल सम्पत्ति की अधिग्रहण तथा अर्जन ही अधिनियम १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कि अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

†**श्री पू० श० नास्कर** : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति वाले प्रस्ताव पर विचार करेंगे । श्री हेडा

श्री हेडा (निजामाबाद) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं इस समिति के अधिकारों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कर रहा था । मेरा यह निवदन है कि इस समिति को निस्सन्देह प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति के समान अधिकार होने चाहिएं । परन्तु फिर भी सरकार का जो यह प्रस्ताव आया है उसमें बाधा नहीं होती । एक बात और कह दूं और वह यह कि अधिकार समिति को सारे प्राप्त हो जायेंगे और वह समिति इतनी महत्वपूर्ण रहेगी कि यह समिति जो कहेगी उसका विरोध करना या उसको टालने की बात सरकार के लिए करना बड़ा मुश्किल होगा । आज पब्लिक सैक्टर के सम्बन्ध में चर्चा होती है और उस के बारे में लोगों को इस प्रकार की चिन्ता है कि इस समिति का जो भी निवेदन होगा उस निवेदन का अत्यन्त महत्व रहेगा । इसलिए मुझे विश्वास है कि प्रोसीज्योर में, कार्यवाही में कुछ भी अधिकार दिये जायें, लेकिन उसके अधिकार प्राक्कलन समिति या लोक लेखा समिति से किसी भी प्रकार कम नहीं रहेंगे ।

उस के बाद मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह समिति १० लोक सभा और ५ राज्य सभा के मैम्बर्स को लेकर बनाई जा रही है, १५ मैम्बर्स की यह कमेटी जो बनाई जा रही है वह काफ़ी नहीं होगी । पबलिक सैक्टर जिस प्रकार से बढ़ रहा है, नई नई कम्पनियां आ रही हैं, सैकड़ों करोड़ों रुपया इस के अन्दर लग रहा है, उस को देखत हुए इस समिति का कार्य वास्तव में लोकलेखा समिति या प्राक्कलन समिति से बड़ा है न कि कम ।

कुछ सदस्यों ने २० लोक सभा के और १० राज्य सभा के मैम्बर्स को लेकर यानी ३० मैम्बर्स की संख्या रखने की जो बात कही है, मैं समझता हूं ३० की संख्या ठीक होगी वैसे मैं खुश होता अगर उसकी संख्या और भी बढ़ाई जाती ।

एक बात और निवदन करूं । आज ही एक वक्तव्य अख़बारों के अन्दर पढ़न को मिला । उस की वजह से एक बड़ा प्रकाश पड़ता है कि पबलिक सैक्टर के जो हमारे बड़े बड़े काम चल रहे हैं उन की किस प्रकार की परिस्थिति है । श्री राज बहादुर ने एक वक्तव्य देते हुए श्री जे० आर० डी० टाटा की बहुत प्रशंसा की । एयर इंडिया इंटरनेशनल के अन्दर ६६ लाख और कुछ हजार रुपय बतौर पांच परसेंट डिवीडैंड के उनका होता है । सरकार की जिसमें इतनी पूंजी लगी है उस मूलधन के ऊपर ५ फ़ीसदी जो उनको डिवीडैंड दिया है उसके वास्ते विशेष धन्यवाद दिया । श्री टाटा ने जो उसका जवाब दिया उससे जो आंकड़े मिलते हैं उनसे मालूम होता है कि इस कम्पनी ने तक़रीबन ३३ प्रतिशत: मुनाफ़ा किया है । हमारे कुछ पब्लिक सैक्टर प्राजक्टस ऐसे हैं, जिन के मैनेजमेंट का, काम चलाने का अधिकार हम ने एक अच्छे परखे हुए और इस काम में प्रवीण व्यक्ति को सौंपा और उस का लाभ उठाया । मैं आन्ध्र प्रदेश से आता हूं और वहां मुझे एक दूसरी ही बात दिखाई दे रही है । आप को याद होगा कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के चीफ़ मिनिस्टर ने इस बात का उल्लेख किया कि वह आंध्र पेपर मिल को, जो कि राजमहेन्द्री में है, जो पूर्णतया सरकारी कम्पनी है, जिस को गत कई वर्षों से सरकार चलाती आ रही है और जिस को बढ़ाने की कार्यवाही सरकार ने की है, कुछ प्राइवेट व्यक्तियों के हाथों में सौंप देना चाहते हैं । कुछ वर्ष पहले आंध्र के कुछ पार्लियामेंट के सदस्यों को ले कर मैं उस मिल को देखने गया था और हम ने देखा कि वह मिल अच्छा काम कर रही थी, उस की प्रगति बहुत संतोष-जनक थी और वह मुनाफ़ा भी हासिल कर रही थी । इस के बावजूद चीफ़ मिनिस्टर साहब ने यह

†मूल अंग्रेजी में

घोषणा की कि वह उस मिल को प्राईवट व्यक्तियों के हाथों में सौंप देना चाहते हैं । मालूम यह होता है कि सरकार के पास जो पांच छः और कम्पनियां हैं, उन को भी वह इसी प्रकार प्राईवट हाथों में सौंप देना चाहते हैं । यह क्यों हो रहा है ? मैं चीफ़ मिनिस्टर साहब को अच्छी तरह से जानता हूं । वह बड़े उन्नतिशील विचारों के हैं । वह कोई प्रतिगामी विचारों के नहीं हैं । लेकिन इस प्रकार का एक प्रतिगामी कदम उठाने के लिए वह क्यों मजबूर हुए ? मेरे ख़याल से एक ही कारण हो सकता है कि उन्होंने देखा कि इन मिलों को चलाने के लिए जिस प्रकार के व्यवस्थापकों और मैनेजर्ज़ की ज़रूरत है, उस प्रकार के व्यवस्थापक उन को पबलिक सैक्टर के वर्तमान तरीके के तहत नहीं मिल पाते हैं और यही कारण है कि उन्होंने इस प्रकार का कदम उठाने की बात सोची ।

माननीय मंत्री, श्री राज बहादुर, के आज के वक्तव्य में मैं यह दृष्टिकोण देखता हूं, कि जब पबलिक सैक्टर में कोई प्राजेक्ट ठीक तौर पर न चलता हो, तो उस को राष्ट्र के किसी अच्छे परखे हुए व्यक्ति के हवाले किया जा सकता है और उस को कामयाब बनाया जा सकता है । हिन्दुस्तान में पेपर मिलें कई चल रही हैं और कई तो बहुत कामयाबी के साथ चल रही हैं । खुद आंध्र प्रदेश में एक पेपर मिल को मैं जानता हूं, जो कुछ वर्ष पूर्व १४ टन प्रतिदिन का उत्पादन नहीं करती थी, लेकिन आज वहां १०० टन से ज्यादा उत्पादन हो रहा है और बाहर से और कोई पूंजी लिये बग़ैर जो पूंजी उन्होंने कमाई है, उस से वह एक और प्लांट विजयवाड़ा में लगा रही है । हम देखव हैं कि हिन्दुस्तान में एक दो नहीं, कई पेपर मिलें ऐसी हैं, जो कामयाबी के साथ, सफलता के साथ, चल रही हैं । इस लिए मैं समझता हूं कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के लिए यह आसान होगा—मुश्किल नहीं होना चाहिए—कि वह किसी अच्छे व्यवस्थापक की सेवायें हासिल कर के अपनी पेपर मिल को चलाए, जैसे कि हम ने श्री जे० आर० डी० टाटा की सेवायें एयर इंडिया इन्टरनैशनल के लिए हासिल की हैं ।

वास्तव में पबलिक सेक्टर की जो खराबी है, उस में जो दिक्कत पड़ रही है, अगर थोड़े शब्दों में मैं कहना चाहूं, तो एक तो यह है कि वहां पर जिस प्रकार के काम करने वाले अधिकारीगण हमें चाहिए, वे वहां उपलब्ध नहीं हैं । आज जो लोग वहां जाते हैं, वे आई० ए० एस० मनोवृत्ति के होते हैं और उन की ट्रेनिंग और प्रशिक्षण पूणतया ठीक नहीं है । वे फ़ाइलों में अपने आप को डुबो लेने वाले होते हैं । लेकिन वहां पर हम को ऐसे टेक्निकल आदमी चाहिए, जो कि उस विषय की अच्छी तरह जानकारी रखते हों ।

एक तरफ़ हम कहते हैं कि हमें इंजीनियर्ज़ की बड़ी ज़रूरत है, लेकिन दूसरी तरफ़ वास्तव में क्या होता है ? एक विद्यार्थी आई० ए० एस० की तरफ़ जाता है और दूसरा विद्यार्थी इंजीनियरी की तरफ़ जाता है । आगे चल कर दोनों काफ़ी अच्छी उन्नति कर के कहीं पास में आ जाते हैं, तो इंजीनियर को आई० ए० एस० के नीचे काम करना पड़ता ह । भले ही देश में इंजीनियरों की आवश्यकता अधिक है और कारख़ाने की कामयाबी और नाकामयाबी की असली वजह इंजीनियर ही होगा, लेकिन इस के बावजूद होता यह है कि इंजीनियर्ज़ को आई० ए० एस० के तहत काम करना पड़ता है । मैं आप को एक आश्चय की बात बतलाऊं कि फ़ारेन एफ़ेयर्ज़ मिनिस्ट्री के एक सज्जन से मेरी मुलाकात हुई, जो आई० एफ० एस० थे । मैं ने उन को पूछा कि उन के क्या विषय थे । उन्होंने कहा कि मैं तो इंजीनियर था । इस पर मुझे बड़ा आश्चय हुआ और मैं ने उन को पूछा कि जब आप इंजीनियर थे, तो आप आई० एफ० एस० की तरफ़ क्यों गये । उन्होंने कहा, "मैं इंजीनियर हो कर क्या करता ? आख़िर किसी आई० ए० एस० के नीचे काम करना

†मूल अंग्रेजी में

पड़ता । अब मेरे आई० एफ० एस० होने पर इंजीनियर्ज़ को मेरे नीचे काम करना पड़ेगा ।" वास्तव में यह सही बात है । और सरकार तो एक कदम और आगे चली गई है—इंजीनियर्ज़ को अब आई० ए० एस० के इम्तहान में नहीं बैठने दिया जाता, उन को बार कर दिया गया है, रोक दिया गया है कि वे आई० ए० एस० की परीक्षा में नहीं बैठ सकते । एक तरफ़ हम कहते हैं कि देश का औद्योगीकरण करना चाहिए, यह युग विज्ञान का युग है और टैक्नालोजी और टैक्निकल प्रशिक्षण का सर्वोपरि महत्व है, लेकिन दूसरी तरफ़ हम इंजीनियर्ज़ के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं । हाल ही में कुछ मिनिस्टर्ज़ महोदय के ये वक्तव्य आये हैं कि टैक्निकल हैंड का जो भी ख़याल होगा, वह ख़याल चलेगा, न कि आई० ए० एस० आदमियों की मनोवृत्ति । इस के बावजूद आज हम क्या देखते हैं ? जितने भी बड़े बड़े पबलिक सैक्टर प्रोजेक्ट्स हैं, जिन के बारे में राष्ट्र में बड़ी चिन्ता ज़ाहिर की जाती है, जिन की कामयाबी के बारे में शंका प्रकट की जाती है, वहां पर ठीक तौर से काम करने वाले आदमियों को नहीं लगाया जाता है ।

अगर आप पबलिक सैक्टर के जेनेरेल मैनेजर और प्राईवेट सैक्टर के जेनेरेल मैनेजर की जीवन-चर्या को देखें, तो बड़ा स्पष्ट अन्तर दिखाई देता है । प्राईवेट सैक्टर का आदमी सुबह आठ, साढ़े आठ बजे घर से चला जायेगा । एक बजे तक वह अपने दफ़तर नहीं जाता है । वह फ़ैक्ट्री के अलग अलग विभागों में जायेगा । वह वहां पर खड़ा हो कर किसी से बात न करते हुए देखता रहेगा कि कौन किस तरह काम करता है, कौन सा मिस्त्री कुशलता के साथ काम कर रहा है, कौन सा इंजीनियर कैसा काम कर रहा है, कौन सी मशीन ठीक हालत में है । वह सारी बातें देखता रहेगा और अपने दिल में आंकता रहेगा कि किस आदमी को प्रोमोशन देने की आवश्यकता है, कौन आदमी ठीक काम कर रहा है, किस आदमी की वजह से फ़ैक्ट्री ठीक काम कर रही है और किस की वजह से नुक्सान या बाधा हो रही है । इस के बाद वह डेढ़ दो बजे अपने दफ़तर आता है और टेबल पर रखी फ़ाइलों को देखता है ।

इस के मुकाबले में पबलिक सक्टर के जेनेरेल मैनेजर का क्या हाल है ? वह सुबह जल्दी नहीं उठ पाता है, क्योंकि किसी काकटेल पार्टी या डिनर में रात थोड़ी ज्यादा चली जाती है । इसलिए सुबह शरीर कुछ अलसाया हुआ रहता है, पेट साफ़ नहीं रहता है । वह मुश्किल से ग्यारह बजे आफ़िस पहुंच पाता है और उस के बाद वह फ़ाइल्ज़ में अपने आप को खपा देता है । परिणाम यह होता है कि वह केवल काग़ज़ी काम ही कर पाता है । वह व्यावहारिक तौर से नहीं देख सकता कि कौन सा काम ठीक चल रहा है और कौन सा ठीक नहीं चल रहा है ।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : क्या वह व्यवहार जानता है ?

श्री हेडा : वही मैं निवेदन कर रहा हूं । इसलिए पबलिक सैक्टर में हम को जितनी सफलता मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है ।

मैं समझता हूं कि जब हम ने समाजवाद को मान लिया है और पबलिक सैक्टर को ले कर हम ने आगे बढ़ना है, तो इस बारे में कोई रास्ता हम को निकालना पड़ेगा । जो समिति स्थापित होने जा रही है, उस के विचार बहुत काम आयेंगे । मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे इस समिति को पूरे तौर पर अधिकार दिये जायें या न दिये जायें, यह समिति जो भी कार्य करेगी, जो भी अपने विचार ज़ाहिर करेगी, सरकार को उन की कद्र करनी पड़ेगी । बल्कि एक हद तक मैं यह कहूंगा कि प्राक्कलन समिति और लोक-लेखा समिति के जो विचार आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण और अच्छे

†मूल अंग्रेजी में

विचार आते हैं, गवर्नमेंट उन को एक हद तक दरगुजर कर सकती है, एक तरफ़ रख सकती है, यह भी हो सकता है कि यह हाउस भी उन का नोटिस न ले । लेकिन इस कमेटी के जो भी विचार होंगे और उस की तरफ़ से जो भी सुझाव आयेंगे, उन पर न सिर्फ़ सरकार को अमल करना पड़ेगा, न सिर्फ़ यह सदन उन पर ध्यान देगा, बल्कि उन पर कामयाबी के साथ अमल होगा । राष्ट्र इस समिति के कार्यों की तरफ़ बड़ी आशा और आतुरता के साथ देखता रहेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : इस प्रस्ताव की वैधानिक स्थिति क्या है, इसके बारे में अपने विचार प्रकट करूंगा, क्योंकि इस बारे में कुछ प्रश्न माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं । विशेष रूप से श्री ही० ना० मुकर्जी द्वारा कुछ बातें कही गयी हैं । कहा गया है कि उद्योग मंत्रालय द्वारा इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में सरकार के कानूनी परामर्शदाताओं से कोई सलाह नहीं की गयी । मेरा निवेदन है कि यह गलत बात है, विधि मंत्रालय को इस सम्बन्ध में पूरी सूचना मिलती रही है । पिछली बार भी और इस बार भी इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने में मेरा काफी हाथ रहा है ।

प्रश्न यह था कि इस प्रस्ताव द्वारा कार्यपालिका लोक सभा के वित्तीय अधिकारों का अतिक्रमण तो नहीं कर रही । कार्यपालिका के वित्तीय अधिकार संविधान के १०९ और ११० अनुच्छेद में हैं । अनुच्छेद ११३ भी इस के ही सम्बन्ध में है । सभी धन विधेयक लोक सभा में ही सब से पहिले प्रस्तुत होते हैं । तत्सम्बन्धी संशोधन भी लोक सभा में ही आते हैं । राज्य सभा इस मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती ।

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : माननीय मंत्री अनुच्छेद ११७ पर भी कुछ प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा ।

†**श्री अ० कु० सेन** : आज जो स्थिति हमारे सामने है उससे अनुच्छेद ११७ का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं । अनुच्छेद ११० में धन विधेयक की परिभाषा की है और कहा है कि यह विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत नहीं हो सकता । अनुच्छेद ११३(२) में कहा है :

> "उक्त प्राक्कलनों में से जितनी अन्य व्यय से सम्बद्ध हैं वे लोक-सभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखी जायेंगी तथा लोक-सभा को शक्ति होगी कि किसी मांग को स्वीकार या अस्वीकार करे अथवा किसी मांग को, उस में उल्लिखित राशि को कम कर के स्वीकार करे ।"

अनुच्छेद ११७ में केवल राष्ट्रपति की अनुमति की व्यवस्था है । धन विधेयक को लेने से पूर्व यह शर्त है जो लोक-सभा को पूरी करनी होती है । यह ठीक है कि धन सम्बन्धी सभी विधेयक लोक-सभा में ही प्रस्तुत होंगे, परन्तु उन पर विचार करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति बहुत ही आवश्यक है । परन्तु आज हम जिस बात पर विचार कर रहे हैं वह बात इससे बिलकुल भिन्न है, जिस पर कि हम अब विचार कर रहे हैं । यदि हम कोई ऐसी बात करते हैं जो कि इन १०९ तथा ११३ अनुच्छेद के उपबन्धों के विरुद्ध होगी तो यह शक्ति अतीत वाली बात होगी । कोई ऐसी शक्ति नहीं है जोकि लोक-सभा से यह शक्ति केवल इसके अपने प्रस्ताव से ही छीन ले । यह तय हुआ विधि का सिद्धान्त है, इसे बदला नहीं जा सकता ।

जब हम समिति के कामों की ओर आयेंगे तो इस के अधिकारों की भी चर्चा करेंगे । अब तो सरकार इस नयी समिति को वही काम सौंपना चाहती है जिसका उल्लेख प्रस्ताव की कंडिका २ में किया गया है । और वे ऐसे काम हैं जिन को पूर्णतया लोक-सभा के ही सुपुर्द नहीं किया गया हुआ ।

इस में सरकारी उपक्रमों के लेखे जोखे का तथा प्रतिवेदनों का निरीक्षण, और सरकारी उपक्रमों को दिये गये स्वशासन का अधिकार तथा उनकी योग्यता का परीक्षण इत्यादि काम हैं जो कि समिति को सौंपे गये हैं, तथा इसके साथ और भी काम होंगे जो कि प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत आते हैं ।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : अनुच्छेद ११३(२) के अन्तर्गत जो कुछ कहा गया है उसके बावजूद तो सदन कई बार किसी समिति को इस विषय के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए कह सकता है, परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह समिति पूर्ण रूप से इसी सदन के सदस्यों में निर्मित होगी ?

†**श्री अ० कु० सेन** : सदन अपने किसी भी अभिकरण को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है । यह सदन विशेषज्ञों का परामर्श ले सकता है और सदन के बाहर के व्यक्तियों की भी समिति बना सकता है जोकि उसे किसी विषय पर अपेक्षित जानकारी दे । इस में किसी भी मांग को स्वीकार करने तथा अस्वीकार करने का प्रश्न नहीं है । इस अधिकार को तो केवल संविधान का संशोधन करके ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं ।

†**श्री मुरारका** (झुंझनू) : मैं यह पूछना चाहता हूं कि यदि प्राक्कलन समिति में केवल लोक-सभा के सदस्य लिये जाते हैं तो इस समिति में इस सदन के बाहर के व्यक्ति क्यों लिये जा रहे हैं, जबकि इस को लगभग वैसा ही कार्य सौंपा जा रहा है, जैसा कि प्राक्कलन समिति का है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : पिछली बार मैंने भी इसी तरह की बात पूछी थी और जानना चाहा था कि इस बारे में सरकार का क्या मत है ।

†**श्री अ० कु० सेन** : इनमें कोई बात वैज्ञानिक आवश्यकताओं की नहीं, परन्तु नीति तथा काम को चलाने वाली बात है । दोनों सदनों के परस्पर विरोधी दावों को दृष्टि में रखते हुये सरकार ने इस प्रस्ताव को वर्तमान रूप में तैयार किया है । ताकि यह संभव हो सके कि संसद के दोनों सदन इसे स्वीकार कर लें । इन विधेयकों को पारित करने के बारे में समिति का कोई कर्त्तव्य नहीं है । इसका मुख्य उद्देश्य तो यह होगा कि यह सरकारी उपक्रमों के कार्यों एवं व्यापार संबंधी गति विधियों पर नजर रखे । संविधान के उपबन्धों के विरूद्ध कोई बात करने का इरादा नहीं है ।

मेरा निवेदन है कि जब तक अनुच्छेद ३१० का संशोधन नहीं किया जाता, और प्राक्कलन समिति के पास नीति संबंधी प्रश्नों का विश्लेषण करने और निरीक्षण जारी रखने की शक्ति रहती है, तब तक उसके इस प्रस्ताव द्वारा किसी भी प्रकार से प्रभावित कर लेने का कोई प्रश्न नहीं रहता । जहां तक सरकारी उपक्रमों संबंधी प्राक्कलन समिति के कृत्यों का संबंध है वह काम हम इस समिति को सौंप रहे हैं । इसके अतिरिक्त नीति संबंधी जो भी मामलें हैं, वे सब प्राक्कलन समिति के क्षेत्राधिकार में रहेंगे ।

†**श्री अ० चं० गुह** : प्रधान मंत्री ने १९५३ में कहा था कि प्राक्कलन समिति में केवल लोक सभा के सदस्य ही होंगे । क्या इस बारे में विधि मंत्री कोई फर बदल कर सकते हैं ?

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : मुझे इस बात पर आपत्ति है कि प्रस्तावित समिति में प्राक्कलन समिति का कार्य करने के लिये राज्य सभा के सदस्य लिय जा रहे हैं । पैरा (घ) में यह कहा गया है कि प्रस्तावित समिति के कार्यों में ये कार्य भी शामिल है.....

> "अनुसूची में वर्णित सरकारी उपक्रमों के संबंध में लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति के एसे कृत्य....."

---

†मूल अंग्रेजी में ।

विधि मंत्री के वक्तव्य के अनुसार यदि नई समिति के कृत्य प्राक्कलन समिति के कृत्यों से अलग नहीं होंगें तो प्राक्कलन समिति के विशेष अन्य कार्य क्या होंगे ? जैसा कि श्री गुह ने कहा है कि प्राक्कलन समिति तक लोक लेखा के कार्यों में कैसे अन्तर किया जायेगा ? बराबर इस बात पर क्यों विचार किया जा रहा है कि प्राक्कलन समिति के कार्य लोक लेखा समिति नहीं करेगी ? यदि विधि मंत्री का निर्वचन मान लिया जाय तो क्या इस समिति में राज्य सभा के सदस्य भी सम्मिलित करने पड़ेंगे ।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : सरकारी उपक्रमों पर प्राक्कलन समिति तथा इस समिति के कृत्यों का कोई अतिछादन हो जायगा तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के अतिरिक्त क्या प्राक्कलन समिति भी इन उपक्रमों के प्राक्कलनों की जांच करेगी ?

†**श्री मुरारका** : विधि मंत्री जी ने त्यागी जी के प्रश्न का उत्तर देते समय कहा था कि प्राक्कलन समिति सरकारी उपक्रमों संबंधी सरकार की नीति का निरीक्षण करेगी, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि इन उपक्रमों का कार्य प्राक्कलन समिति तथा प्रस्तावित समिति दोनों ही देखा करेंगी ? विधि मंत्री जी ने कहा है कि यदि दोनों सदनों की पृथक-पृथक समितियां बनाई जायें तो यह उपक्रमों के लिये कठिनाई की बात होगी । क्या सरकार चाहती है कि प्राक्कलन समिति अपना वर्तमान कार्य करती रहे या ये कार्य भी नई समिति को सौंप दिए जायेंगे ?

†**श्री अ० कु० सेन** : प्राक्कलन समिति की स्थापना लोक सभा के संकल्प द्वारा की गई थी और इससे संबंधित नियम संख्या ३१० और ३११ हमारे प्रक्रिया संबंधी नियमों के अन्तर्गत आ जाते हैं इसमें कहा गया है कि इसके ये कृत्य होंगे :—

> "यह बताना कि किस प्रकार की मितव्ययता, संस्था में सुधार, कार्य कुशलता अथवा प्रशासन में सुधार, प्राक्कलनों में अन्तर्निहित संगत नीति किस प्रकार कार्यान्वित होनी चाहिये ;
>
> "प्रशासन में कार्य कुशलता और मितव्ययता लाने के लिए विकल्प नीतियां सुझाना ;
>
> "इस बात का निरीक्षण करना कि प्राक्कलनों में अन्तर्निहित धन का निर्धारित नीति की सीमाओं के अन्तर्गत क्या उचित उपयोग हो रहा है ;
>
> "यह सुझाना कि प्राक्कलनों को सदन में किस रूप में उपस्थापित किया जाये ।"

नियम संख्या ३१० में सरकारी उपक्रमों का विशष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है यद्यपि इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है तथा इसके अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों का कार्य क्षेत्र भी आ जाता है ।

†**श्री अ० चं० गुह** : क्या आप नियम संख्या ३०६ की ओर निर्देशन करेंगे ?

†**श्री अ० कु० सेन** : वैधानिकता का प्रश्न तभी उठता है जबकि हम इस निकाय को कुछ ऐसे कृत्य करने के लिये शक्ति दें जिससे लोक-सभा की महान शक्तियों पर किसी प्रकार का दबाव पड़े । मैं इस प्रश्न पर विचार कर चुका हूं ।

दूसरी बात जो डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ने पूछी है कि क्या हम इस समिति को प्राक्कलन समिति के कृत्य नहीं दे रहे हैं ? जहां तक सरकारी उपक्रमों से संबंधित प्राक्कलन समिति का प्रश्न है हम उन्हें ये कृत्य इस शर्त के साथ दे रहे हैं कि नीति संबंधी तथा अन्य कुछ मामले इस समिति के कार्य क्षेत्र में नहीं होने चाहियें । जहां तक बड़े उपक्रमों की नीति तथा अन्य विषयों का संबंध है

---

†मूल अंग्रेजी में

वे प्राक्कलन समिति के अन्तर्गत ही रहेंगें । जैसा कि प्रचलन है साधारणतया इस प्रकार की समितियां विशेष रूप से दोनों सदनों की संयुक्त समितियां एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती हैं, इसी प्रकार ऐसी आशा की जाती है कि प्राक्कलन समिति भी प्रस्तावित समिति के कृत्यों, विशेष रूप से सरकारी उपक्रमों की मितव्ययता, उपक्रमों के कार्य तथा लेखे आदि के मामलों में हस्तक्षप नहीं करेगी । प्राक्कलन समिति केवल नीति संबंधी प्रश्नों, प्रशासकीय सुधार, विकल्प मितव्ययता संबंधी विषयों को ही अपना कार्य-क्षेत्र बनायेंगी । यह वैधानिकता का नहीं वरन् प्रचलन का प्रश्न है । उठाये गये अन्य सब मामलों के गुण तथा दोषों के मामले में माननीय उद्योग मंत्री ही स्पष्ट रूप से उत्तर दे सकते हैं । मैंने इस विषय में केवल इस स्पष्टीकरण के लिये हस्तक्षेप किया है कि हम संयुक्त समिति को कोई ऐसा अधिकार नहीं दे रहे हैं जो केवल एक मात्र लोक सभा का विशेषाधिकार है । मैंने स्पष्टीकरण दे दिया है शेष बातों के बारे में माननीय उद्योग मंत्री जी सदन को बतायेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री उ० मू० त्रिवेदी ।

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : श्री त्रिवेदी के आरम्भ करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि माननीय विधि मंत्री ने पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण नहीं किया है । हमारे मन में बहुत से विषयों पर सन्देह बना हुआ है । कल से चल रही इस चर्चा से अभी तक कोई उचित हल निकलने की आशा नहीं दिखाई दे रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले माननीय सदस्यों को बोलने दीजियें, श्री उ० मू० त्रिवेदी ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मन्दसौर) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में जब यह प्रस्ताव सदन के सम्मुख चर्चा के लिये रखा गया तो मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति के होते हुये इस समिति की विशेष उपयोगिता क्या है । लोक लेखा समिति के कृत्यों का उल्लेख नियम ३०८ के उप-नियम (२) में इस प्रकार किया गया है :

"समिति का यह भी कर्त्तव्य होगा :

(क) नियमों, व्यापार तथा सामान बनाने वाली योजनाओं में संलग्न संगठनों तथा परियोजनाओं के साथ साथ संतुलन विवरण तथा लाभ और हानि के लेखों का विवरण जिन्हें कि राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा तैयार किया गया हो अथवा किसी विशेष निगम की वित्त स्थिति को विनियमित करने के लिये संविहित नियमों के आधीन तैयार किया गया हो, की जांच करना...."

प्राक्कलन समिति के लिये ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है । नियम ३१० में सरकारी उपक्रमों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है । सत्ता से बाहर लोगों को भुलावे में डालने के लिये यह प्रस्ताव शांत करने वाली औषधि का काम करता है ।

(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये)

†**श्री अ० चं० गुह** : इसमें विरोधी दल के सदस्य भी शामिल हैं ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : उनकी तो कहीं गिनती ही नहीं है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : मुझें इस बात पर आश्चर्य है कि ऐसा करने से दोहरे काम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । यह कार्य नियम ३१० में थोड़ा संशोधन करने पर प्राक्कलन समिति कर सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय विधि मंत्री जी ने यह तो कहा है कि प्राक्कलन समिति सरकारी उपक्रमों संबंधी कार्य करेगी किन्तु उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है ।

अब हमें देखना यह है कि इसकी सीमायें क्यों निर्धारित की जा रही हैं । प्रस्ताव के पद (२) (ग) में कहा गया है :

"सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता तथा कार्य कुशलता के संदर्भ में इस बात का निरीक्षण करना कि क्या इन उपक्रमों का प्रबन्ध कार्य सुस्थित कारबार के सिद्धांतों, व्यवहार कुशल वाणिज्यिक कार्य प्रणाली के अनुसार चल रहा है या नहीं ;"

इसमें यह तो कहा गया है कि समिति यह देखेगी कि उपक्रम कुशल वाणिज्यिक अपना रहे हैं या नहीं किन्तु उन्हें उपक्रमों के दैनिक कार्यों में देखभाल करने के अधिकार नहीं दिये गये हैं । इसे पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि जो यह कार्य की लम्बी सूची दी गई है उसका कोई विशेष महत्व नहीं है । आज बारह साल से हम यह देखते आ रहे हैं कि संबंधित मंत्रीगण तथा संसद सदस्य प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति के प्रतिवदनों को नहीं पढ़ते हैं तथा उनमें बताई गई कमियों की ओर ध्यान नहीं देते हैं । इस प्रस्तावित समिति के साथ भी ऐसा होगा तथा यह भी अनुपयोगी ही सिद्ध होगी । नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवदन देखने से मालूम ऐसा होता है कि विभागों से प्रश्न कुछ पूछ जाते हैं और उत्तर कुछ मिलता है । इसलिये नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भी चुप रह जाना पड़ता है । ऐसी ही स्थिति का सामना इस समिति की भी करना पड़ेगा । मंत्री महोदय का सिर हिलाना उचित ही है ।

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : ऐसा करने का कोई अर्थ नहीं है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : मैंने सिर हिलाने का अर्थ "नहीं" लगाया ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : उन्हें केवल देख लेना चाहिये इसके बारे में कहना नहीं चाहिये ।

†**श्री कृ० चं० शर्मा** (सरधना) : देखी हुई बात कही जाती है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : प्रस्ताव में लिखा है कि समिति के ये कृत्य होंगे :

"सरकारी उपक्रमों संबंधी लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति को सौंपे गये ऐसे अन्य कार्य ..."

मैं श्री त्यागी जी से आदर सहित कहता हूं कि सरकार लोक लेखा समिति को कोई महत्व नहीं देती है ।

†**श्री त्यागी** : मंत्री महोदय इस बात का स्पष्टीकरण करेंगे कि यह समिति प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करेगी या मंत्री महोदय को ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मैं श्री त्यागी जी की सहायता करूंगा । नियमों संबंधी प्रक्रिया नियम ३१० में लिखा है कि समिति के कृत्य यह होंगे ।

"(क) यह बताना कि किस प्रकार मितव्ययता, संस्था में सुधार, कार्य-कुशलता अथवा प्रशासन में सुधार तथा प्राक्कलनों में अन्तर्निहित संगत नीति किस प्रकार कार्यान्वित होनी चाहिये ;

"(ख) प्रशासन में कार्य कुशलता और मितव्ययता लाने के लिये विकल्प नीतियों का सुझाना ;

---

†मूल अंग्रेजी में

"(ग) इस बात का निरीक्षण करना कि प्राक्कलनों में अन्तर्निहित धन का निर्धारित नीति के अन्तर्गत किस प्रकार उपयोग होना चाहिये . . ."

समिति के अध्यक्ष इस बात को बतायें कि नियम ३०८ का उपबन्ध नियम ३१० पर भी लागू होता है या नहीं ? संकल्प में कहा गया है :

"सरकारी उपक्रमों संबंधी, लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति को सौंपे गये ऐसे अन्य कार्य . . ."

अभी तक सरकारी उपक्रमों संबंधी कोई ऐसा कृत्य प्रक्कलन समिति को नहीं सौंपा गया है ।

†**श्री अ० चं० गुह** : सरकारी उपक्रम प्राक्कलन समिति के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत हैं । प्रतिवर्ष समिति इन उपक्रमों से संबंधित अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करती है । यदि माननीय सदस्य इस ओर ध्यान नहीं देते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : मैं इस विषय में बहुत सतर्क हूं । नियम ३०९ (३) में लोक लेखा समिति के कृत्यों से संबंधित उपबन्ध नियम ३१० पर लागू नहीं होता है । यह इस पर लागू होना चाहिये ।

†**श्री अ० चं० गुह** : प्राक्कलन समिति के प्राधिकार का कोई प्रश्न नहीं है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : यदि दोनों समितियां अपना अपना सुझाव देंगी तो इनमें आपस में मतभेद होगा । प्रस्तावित समिति सरकारी उपक्रमों तक ही सीमित है इसलिये सरकारी उपक्रमों को प्राक्कलन समिति के क्षेत्र से अलग कर देना चाहिये, जिससे मतभेद दूर हो जायेगा ।

सरकारी उपक्रमों में काफी धन बर्बाद हो रहा है । इन उपक्रमों में १,७०१ करोड़ रुपया लगाया गया है और लाभ केवल १.९ करोड़ रुपया हुआ है । इस राशि का अधिकांश भाग कुछ सालों से ब्याज रहित था । इससे सबकी आंखें खुलनीं चाहियें । इन उपक्रमों के मामले में अधिक जांच किये जाने की आवश्यकता है ।

चार प्रतिरक्षा उपक्रमों जैसे हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट, भारत इलैक्ट्रोनिक्स, मांजगांव डाक्स और गार्डन रीच वर्कशाप को कथित समिति के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं रखना चाहिये ।

†**श्री कानूनगो** : प्रस्ताव में इस समिति द्वारा इन चारों समवायों के कार्यों को देखने के लिये व्यवस्था की गई है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या कोई और प्रस्ताव है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्हें ले लिया गया है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या भाग ३ को छोड़ दिया गया है ?

†**श्री कानूनगो** : मैंने अपने भाषण में यह बात स्पष्ट कर दी है कि समितियां स्वयं अपने कार्य-क्षेत्रों में विभेद कर लेंगीं ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या आपका आशय है कि यदि वे चाहें तो उन्हें ऐसा करने का अधिकार होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** जी, हां ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : बहुत अच्छा । मैं इस हद तक सही हूं क्योंकि मुझे अभी तक केवल यही संकल्प मिला है ।

†**श्री मुरारका** : जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है, इसमें संशोधन की आवश्यकता होगी।

†**श्री बड़े** (खारगोन) : उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह उत्तर देते समय इसका स्पष्टीकरण करेंगे ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : मैंने गलत आरोप नहीं लगाये हैं । मैं सदन में अपनी स्थिति जानना चाहता हूं ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : स्पष्ट अर्थ जानने के लिये इसमें संशोधन करना पड़ेगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसमें इन विषयों को छोड़ा ही कहां गया है ?

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : इसमें कहा गया है कि :

> "इसके तृतीय भाग में उल्लिखित सरकारी उपक्रमों के अतिरिक्त प्रत्येक सरकारी समवाय का वार्षिक प्रतिवेदन, समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९(क) की उपधारा (१) के अन्तर्गत संसद के सदनों के सामने रखी जायेगी ।"

†**श्री त्यागी** : वास्तविकता यह है कि उन्हें छोड़ा गया है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : कम से कम मैं इसका यही अर्थ निकाल सकता हूं ।

†**श्री कृ० चं० शर्मा** : इसमें उपक्रमों को शामिल करने के स्पष्ट रूप से उपबन्ध होना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को अब समाप्त करना चाहिये ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : मैं थोड़ा और समय लूंगा क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आप २० मिनट ले चुके हैं ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : मुझे थोड़ा समय और चाहिये ।

†**श्री वारियर** : क्या मंत्री महोदय इस पर प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

†**श्री कानूनगो** : मैं केवल एक संशोधन, जिसकी मैंने कल सूचना दी थी, प्रस्तुत करूंगा ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या आप इस विषय पर संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं ।

†**श्री कानूनगो** : जी, नहीं ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : तब तो स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : हमें संशोधन प्रस्तुत करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** चाहे विधि मंत्री कुछ भी स्पष्टीकरण दें किन्तु राज्य सभा को सरकार के व्यय पर नियंत्रण रखने का अधिकार नहीं होना चाहिये । संविधान के अन्तर्गत लोक-सभा या इसकी किसी समिति को ही सरकार के व्यय पर निगरानी रखने का अधिकार है । इस संवैधानिक व्यवस्था को हटाने का और इस प्रस्तावित समिति में राज्य सभा के सदस्य रखने का कोई कारण नहीं है । इस प्रस्ताव में इस प्रकार की व्यवस्था करने का भी कोई औचित्य नहीं है । यदि सरकार चाहती है कि व्यय पर उचित निगरानी रखी जाये तथा व्यय की मदों में सुधार किया जाये तो यह प्रस्ताव उपयोगी नहीं होगा ।

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय , एक घंटे से कमेटी पर बहस चल रही है । उससे हम सभों को एक बात लगी होगी कि लोक सभा में रूप पर ज्यादा बहस होती है, सार पर कम । अगर हम लोग इस पर ध्यान रखें कि सार पर ज्यादा बहस किया करें तो उससे देश को ज्यादा अच्छा फल मिले ।

मैंने कल श्री दाजी के भाषण को ध्यान से सुना यह समझने के लिये कि कम्युनिस्टों या उनके समर्थकों का क्या रुख है । उन्होंने लोक दायरे के कारखानों की आरती तो जरूरी उतारी लेकिन अपने सभी तर्कों से साबित किया कि जितनी जल्दी यह लोक दायण खत्म हो जाये उतना अच्छा है । यह कैसे होता है, यह जानने की जब मैंने कोशिश की तो फिर मुझे एकाएक कानूनगो साहब के भी भाषण की याद पड़ी । उन्होंने अपने भाषण में जो कुछ उदाहरण दिये, इंग्लिस्तान के दिये और वहां की लोक सभा के दिये । जबकि बहस हो रही थी लोक दायरे पर, सरकारी कारखानों पर, तो उन्हें ज्यादा सोचना चाहिये था सोवियत रूस के उदाहरणों और बातों पर । लेकिन कुछ हम लोगों का तरीका ही ऐसा हो गया है कि हम बहुत ज्यादा लोक दायरा और निजी दायरा मिला जुला करके सोचा करते हैं और किसी परिणाम पर नहीं निकल पाते । यह भी हो सकता है कि रूस की बातें अगर ज्यादा यहां होतीं तो शायद रूस के और भी नतीजे निकले । और भी बातें सामने आतीं । वहां अत्याचार जरूर है और मैं उसको कतई पसन्द नहीं करता हूं । लेकिन जिस ढंग से सरकारी कारखाने यहां चलाये जा रहे हैं उस ढंग से अगर वहां चलाये गये होते तो क्या होता इन मंत्रियों और इन मैनेजरों का, यह कहना बड़ा कठिन है । कुछ थोड़ा बहुत जो मैं प्रधान मंत्री के सुकर्मों या कुकर्मों के बारे में बोलूंगा तो बताने की कोशिश करूंगा कि उनका क्या भाग्य होता रूस में । अभी खाली मैं इतना बता देता हूं कि हमारी हमेशा की आदत के मुताबिक हम ने लोक दायरे और निजी दायरे को एक दूसरे से बहुत सिखाया पढ़ाया है । दुनिया भर में निजी दायरा इंतिजाम के मामले में ज्यादा अच्छा होता है लेकिन लालच के मामले में ज्यादा खराब होता है और सार्वजनिक दायरा सरकारी कारखाने बदइन्तिजामी बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन उनमें कर्त्तव्य की भावना ज्यादा होती है । यह दुनिया भर का फर्क है । लेकिन हम हिन्दुस्तानी तो समन्वय किया करते हैं । इस लिय हमारे यहां के निजी दायरे के कारखाने, करोड़ पतियों के कारखाने, इन्तिजाम में भी बिगड़ते चले जा रहे हैं, और नफा और लूट तो करते ही हैं, और इसी तरह से सार्वजनिक दायरे के कारखाने, जहां एक तरफ इन्तिजाम में बहुत बिगड़ हुये हैं, वहां दूसरी तरफ करोड़पतियों के कारखानों की लूट करने की आदत भी सीखते चले जा रहे हैं । यह एक बड़ा जबरदस्त समन्वय अपने देश में चल पड़ा है । और जबतक हम इस बुनियादी तथ्य को नहीं समझेंगे कि लोक दायरे के कारखाने तभी अच्छे चल सकते हैं जब लोक भावना हो और जो हमारे सभी जीवन के लक्ष्य हैं वे बदल जाते हैं, तब तक ये कारखाने कुछ फायदा नहीं पहुंचायेंगे ।

अब मैं यह मान कर चलता हूं कि जो हमारी समन्वयी चीज है यहां सरकारी कारखानों के बारे में उसको छोड़ करके सरकार ध्यान देगी कि ये लोक कारखाने निजी कारखानों से अलाहिदा

चलाये जाने चाहिये। अगर उसी ढंग पर चलाना है तो इनकी क्या जरूरत पड़ी हुई है। और मैंने इस बहस में यह भी देखा कि करीब करीब एक ही तरह की कसौटी रख कर दोनों को जांचा जाता है। लोक कारखानों के लिये कसौटियां भी अलाहिदा होनी चाहिय, और मैं कुछ बुनियादी कसौटियां आपके सामने रखता हूं।

पहली कसौटी यह है कि औद्योगीकरण के फैलाव में सरकारी कारखानों की ज्यादा मदद हो सकती ह बनिस्बत करोड़पतियों के कारखानों के। हमारी उन्नति का दर बहुत नीचा है। पूंजी इकट्ठी नहीं हो पाती, सरकारी कारखानों में मुनाफ की गुंजाइश नहीं है—कम से कम करोड़पतियों के मुनाफ की—इसलिये जो कुछ सरकारी कारखानों का मुनाफा हो वह और ज्यादा कारखाने खोलने में इस्तेमाल हो सकता है, और इसलिये सरकारी कारखानों की पहली कसौटी है कि हिन्दुस्तान के औद्योगीकरण में वह कितनी ज्यादा मदद पहुंचाते हैं।

मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूं मेरा मतलब व्यापार के फैलाव से नहीं जैसा कि जीवन बीमा निगम ने किया है। उसने अपने व्यापार का फैलाव कर लिया है। उससे मुझ को मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि जीवन बीमा निगम से सरकार के कारखानों को इतना ज्यादा फायदा होना चाहिय कि वह हिन्दुस्तान के औद्योगीकरण की गति को बढ़ा सके। यह पहली कसौटी है।

दूसरी कसौटी है कि लोक कारखानों के जरिये देश में समाजवाद के बढ़ाने का मौका होना चाहिय। बटवारा ज्यादा राबरी के आधार पर होना चाहियें। जिस तरह से करोड़पतियों के कारखानों में मजदूर और मालिक के बीच में या उपभोक्ता और मालिक के बीच में फर्क लूट के कारण हो जाता है वह लोक करखानों में न होना चाहिय और वहां जो बटवारे के इंतिजाम किये जाते हैं वे ऐसे होने चाहिय कि जिससे बराबरी को प्रोत्साहन मिले। यह वह फर्क बता रहा हूं कसौटियों का कि जो दोनों कारखानों के संबंध में है।

इसी तरह से तीसरी कसौटी रखना चाहता हूं कि जो मजदूर और मालिक का रिश्ता है—वैसे खैर करोड़पतियों के कारखानों में भी अच्छा ही होना चाहिये—लोक कारखानों में ज्यादा लोकतंत्री होना चाहिये और देश के पूरे लोकतंत्र को भी इन कारखानों को मदद देनी चाहिये।

चौथी कसौटी मैं रख रहा हुं कि ये लोक कारखाने कितना ज्यादा लोक हित को बढ़ाते हैं। लोक हित में ऐसे प्रश्न आते हैं जैसे चीजों के दाम या किस ढंग से जनता को सुविधा मिलती है या नहीं मिलती या तरद्दुद होता है। और पांचवीं कसौटी रखना चाहता हूं कि इन कारखानों का इंतिजाम अच्छा होना चाहिये। योग्य आदमी होने चाहियें जो कि कानून को तोड़ें नहीं और दर असल व्यापार के फैलाव और औद्योगीकरण के फैलाव का ध्यान रखें न कि अपने पेट और धन की लिप्सा में पड़ रहें।

ये तीन कसौटियां लोक कारखानों बंध में हैं जोकि.....

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : वेतन का इतना अन्तर नहीं होना चाहिये, यह कसौटी भी होनी चाहिये।

डा० राम मनोहर लोहिया : ठीक है वेतन का अन्तर नहीं होना चाहियें। मैंने कहा है कि बटवारे में बराबरी होनी चाहिय। स्वामी जी ने यह बहुत अच्छी बात कही है। इसलिये मैं दूसरी कसौटी को पहले ले लेता हूं और कुछ उदाहरण देता हूं, जिनके बारे में मैं कानूनगो साहब से अर्ज करूंगा कि वह अच्छी तरह से तहकीकात करके लोक सभा को बतायें कि क्या बात है।

[डा० राम मनोहर लोहिया]

अब साहब रूरकेला का इस्पात कारखाना है । उसके पूरे अंक तो मैं नहीं दे सकता । मैंने कुछ हिसाब लगाया था । कई घंटों की जांच के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि एक हजार अफसर करीब बीस लाख रुपये महीने में नौकरी और सुविधा के रूप में पा जाते और तीस हजार मजदूर महीने भर में तीस लाख रुपया पाते हैं । यह इतनी जबरदस्त विषमता है कि मैंने एक बार प्रश्न किया था कि क्या टाटा नगर में इससे ज्यादा विषमता है, और वहां के बारे में मैं केवल अन्दाजे से ही कह सकता हूं कि वहां भी इतनी ज्यादा विषमता नहीं होगी । गैर बराबरी सरकारी कारखानों में उतनी ही है, शायद ज्यादा है, इसलिये कि देखने का ढंग अभी बिल्कुल बिगड़ा हुआ है । और जब मैं यह कहता हूं तो सिर्फ रूरकेला के इस्पात कारखाने के बारे में ही नहीं, सभी कारखानों की । और इन अंकों के पीछे अनुपात पर आप ज्यादा ध्यान देना, अंकों पर नहीं । अनुपात यह है कि एक हजार अफसर २० लाख रुपया महीना, और तीस हजार मजदूर ३० लाख रुपया महीना ।

इसी तरह से मैं आपको जीवन बीमा निगम के मकानों के किरायों के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं, जो जीवन बीमा निगम अपने नौकरों या अर्ध नौकरों को मकानों के संबंध में सुविधा देता है । करीब दो हजार अफसर हैं । इनके किरायों को अगर में जोड़ने लगूं तो कुछ अन्दाजा नहीं मिलेगा । हजारों रुपयों, कहीं कोई जांच नहीं, कहीं कोई तहकीकात नहीं, बड़े बड़े मकान, क्या क्या उनके किरायें रहते इसका कोई पता नहीं । और ३५ हजार जो स्टाफ के आदमी हैं उनको १५ रुपया महीना की किराये की सहायता मिलती है । और सात हजार फील्ड वरकर हैं उनको कुछ नहीं मिलता और ढाई लाख एजेंट्स हैं उनको कुछ नहीं मिलता । यह ४ किस्म के लोग हैं जिनमें ढाई लाख एजेंट और ७ हजार और लोग, करीब पौने तीन लाख आदमी हैं——

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब बातें प्रस्ताव से असम्बद्ध हैं....

डा० राम मनोहर लोहिया : उपाध्यक्ष महोदय, इसी पर तो हम बहस कर रहे हैं कि सरकारी कारखाने किस तरह से चलाय जायें । सरकारी कारखानों में और सरकारी निगमों में....

उपाध्यक्ष महोदय : सरकारी कारखानों के लिये एक कमेटी बनायी जाये यह प्रस्ताव है । उस प्रस्ताव पर कुछ कहिये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : प्रस्ताव पर ही कह रहा हूं । जीवन बीमा निगम एक पबलिक अंडरटकिंग है । शायद आप समझे नहीं, मेरा मतलब लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन से है । यह एक सरकारी कारपोरेशन है .....

श्री कानूनगो : वह तो इसमें नहीं है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : वह इसमें है, आप कैसी बातें करते हैं । मंत्री महोदय को तो ज्यादा तैयारी के साथ यहां आना चाहिये । इस तरह की बातें वह कैसे कर देते हैं । और फिर मैं तो उदाहरण दे रहा हूं । मान लीजिय कि वह इसमें नहीं आता । मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं कि किस तरह से आप गैर बराबरी के आधार पर इन्तिजाम चलाते हैं । बिड़ला और टाटा के कारखानों में अगर ऐसी गैर बराबरी होती है तो हम उसके ऊपर आपत्ति करते हैं, और यह सरकार जिन कारखानों को और जिन प्रकरणों को चलाती है वहां पर गैर बराबरी को देख कर तो बहुत तकलीफ और दुःख होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा अब दूसरा काम लेना है, आपका वक्त कल पूरा हो जायगा ।

———

स्थगन प्रस्ताव

श्री वालकाट का भाग निकलना

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सभा की बैठक अब स्थगित की जाये ।"

सबसे पहलें मैं सदन को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देनें के लिये, धन्यवाद देता हूं । ऐसा स्थगन प्रस्ताव इस सदन में पहली बार बिना विरोध के प्रस्तुत हो गया, इसलिय मैं अत्यधिक ख्याति पाने का अधिकारी हूं ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : ऐसा असावधानी के कारण हुआ है ।

†**श्री नाथ पाई** : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं । जो कुछ कल यहां हुआ वह सारे देश में हो रही घटनाओं का प्रतीक है । कोई भी अपन कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं है ।

श्री रंगा (त्रिचूर) : उन्हें अर्द्ध निन्द्रा अवस्था में पकड़ा गया है ।

श्री नाथ पाई: इस देश में कोई भी अपने कर्त्तव्य को नहीं समझता है । किसी घटना के घट जाने पर मंत्री महोदय भी यही कहते हैं "मैं इसके बारे में कु नहीं जानता हूं ।"

इस प्रस्ताव के बारे में जो मुख्य बातें मैं उठाना चाहता हूं वह श्री डेनियल वालकाट का साहसिक कार्य नहीं है परन्तु वह हमारे देश की सुरक्षा का प्रश्न है क्योंकि २६ सितम्गर को जो घटना हुई उससे सारी सुरक्षा व्यवस्था हास्यपद बन गई और जनता के मन में सारी सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आशंका और चिन्ता पैदा हो गई है ।

†**श्री त्यागी** : यह सही है ।

†श्री नाथ पाई : वलकाट का मामला गहुत गम्भीर, सदन को सके हर पहलू पर विचार करना चाहिये । श्री वालकाट एक साधारण नागरिक होते हुये भी हमारे देश के लिये बहुत गम्भीर समस्या खड़ी कर गये हैं ।

मैं इसकी गहराई में जाने से पहले इस विषय में कुछ तथ्य बताना चाहता हूं ।

यदि "सीमा शुल्क अधिकारियों ने लापरवाही न गरती होती तो यह कांड पहले ही न होता अब भी ऐसी आशंका है कि "सीमा शुल्क विभाग"में कुछ ऐसे तत्व हैं जिन पर शक हो सकता है और उन्होंने मिलकर ऐसी कार्यवाही की हो ।

वालकाट अपना सामान मिजो की पहाड़ियों में बेचना चाहते थे किन्तु इससे पहले ही उनका भेद खुल गया । वालकाट के षड़यंत्र के खुल जाने का कारण यह था कि वह अपने सामान के लिये अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते थे । उसे गिरफ्तार करनें का श्रेय गुप्तचर पुलिस या सीमा शुल्क विभाग नहीं ले सकते ।

उनपर मुकदमा चलाया गया और उन्हें छः मास के कारावास का दण्ड मिला। बाद में जो कुछ हुआ वह लज्जाजनक हैं और एसा हमारे देश में ही हो सकता है। एक व्यक्ति जिसे भारत के एक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया, जिसे फ्रांस और ब्रिटेन की पुलिस पकड़ना चाहती है और जो संसार के उड्डयन क्षेत्र में अविश्वसनीय व्यक्ति माना जाता है, वह हमारे अधिकारियों के हाथ से विमान ले उड़ा और पाकिस्तान पहुंच गया। यह

---

†मूल अंग्रेजी में

एक मन्दगति से चलने वाला जहाज था फिर भी प्रतिरक्षा के सुरक्षा विभाग वाले इसे उड़ने से नहीं रोक सके। यह घटना भारत की राजधानी में ऐसे समय में हुई जब राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है।

यह बताया गया है कि वालकॉट को वापस लेने के लिये राजनयिक सूत्रों द्वारा अमरीकी अधिकारियों तक मामला ले जाया गया है। एक सरकार द्वारा अपने आरम्भिक कर्तव्यों को त्याग देने का इससे सबड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता जो एक विदेशी सरकार से एक ऐसे अपराधी को वापिस लेने के लिये सहायता मांग रही है जिस देश से कदाचित भाग निकलने नहीं दिया जाना चाहिये था।

ट्रांस एटलांटिक कम्पनी को, जिसके कि श्री वालकॉट प्रधान थें, उसके प्राग्वृत और ख्याति को जाने बिना ही भारत में काम करने की अनुमति दी गयी। श्री वालकॉट जानते थे कि वह भारत में बिना किसी दण्ड के भय से काम कर सकते हैं।

वालकॉट के भागने के पूर्व अधिकारियों को चेतावनी दी गई थी किन्तु उन्होंने सुरक्षा उपायों को हास्यास्पद सा बना दिया है।

दिसम्बर, १९६२ में श्री वालकॉट द्वारा निकल भागने के अनेक प्रयास किये गये परन्तु किसी न किसी कारणवश वे सफल न हो सके। मार्च, १९६३ में एक लिखित शिकायत देहली के पुलिस सुपरिंटेंडेन्ट को दी गई परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस सरकार को किसी भी प्रकार सचेत करना सम्भव नहीं है।

मई के महीने में २६ सितम्बर की भांति ही श्री वांलकॉट ने फिर प्रयास किया परन्तु चौकीदार की जागरूकता ने उनके उस प्रयास को विफल कर दिया।

मई तथा जुलाई के बीच ऐसे समवाय के अधिकारियों ने असिस्टेंट कस्टम्स कलक्टर को अनेकों चेतावनियां दीं कि यदि पूर्वोपाय नहीं किये गये तो श्री वालकॉट एक दिन भाग खड़े होंगे। परन्तु उनका कोई लाभ नहीं उठाया गया। अन्तिम चेतावनी २३ सितम्बर, को स्पष्ट शब्दों में दी गई। परन्तु इसका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। बल्कि इसके विपरीत जहां तक मैं ने ठीक समझा है वालकॉट को अपनी बेटरी को चार्ज करने तथा विमान में पेट्रोल डालने दिया गया। बिना किसी व्यक्ति से सांठगांठ हुए यह सब संभव नहीं हो सकता था।

यह कहानी है श्री वालकॉट के भाग निकल जाने की। जब २६ सितम्बर को श्री वालकॉट भाग निकले तो चौकीदारों ने शोर मचाया और वायुसेना को इसकी सूचना दी गई। वायु सेना ने विदेश मंत्रालय से सम्पर्क स्थापित किया और उसको विदेश सचिव से, यह कहा जाता है, यह आदेश मिला कि श्री वालकॉट के विमान को मार गिराया नहीं जाना चाहिये। यह समझ में नहीं आता कि केवल इस बात को छोड़कर कि अपराधी एक विदेशी था, विदेश मंत्रालय किस प्रकार इस घटना से सम्बद्ध है। श्री नन्दा ने कल कहा कि चूंकि अपराधी एक विमान के द्वारा भागा है इसलिये गृह मंत्रालय का इससे कोई मतलब नहीं है। यह मामला परिवहन मंत्रालय से सम्बन्ध रखता है। चूंकि एक विदेशी इस मामले में फंसा हुआ है, इसलिये इस मामलं को विदेश मंत्रालय से जोड़ा जा रहा है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि यदि श्री वालकॉट ट्रेन के द्वारा निकल भागते, तो क्या यह मामला रेलवे मंत्रालय का हो जाता। इस सरकार के शासन में विभिन्न मंत्रालयों के

कार्यों के बीच समन्वय का नितान्त अभाव है। देश को सुरक्षा की चिन्ता किसी को नहीं है।

क्या मैं जान सकता हूं कि शोर मचने पर क्या यह वायु सेना का कर्त्तव्य नहीं था कि श्री वालकॉट को उतरने पर विवश किया जाता? इधर यह स्थिति है कि और दूसरी ओर देश को धोखे की टट्टी में रखा जाता रहा है कि राष्ट्र को बलवान बनाया जा रहा है, तयारियां की जा रही हैं, सैनिक अभ्यास किये जा रहे हैं। हम श्री वालकॉट के विमान को स्पूतनिक की भांति खड़े निहारते रहे।

मैं यह जानना चाहता हूं कि विदेश सचिव को यह अधिकार कैसे प्राप्त हुआ कि विमान को न गिराया जाय। किसी वांछित व्यक्ति को वापस पकड़ लाना भारत के अधिकार की सीमा में है चाहे उसके लिये विमान को मार गिराना पड़े।

सरकार तो हमेशा ही यही कहती है कि उसे सामयिक चेतावनी नहीं मिली, उसे पहिले पता नहीं था, ये सब कुछ व्यर्थ की बातें हैं जिनमें कोई सार नहीं है। चीन के द्वारा किये गये आक्रमण के दौरान भी सरकार द्वारा यही राग अलापा गया था कि हम बेखबर थे। सरकार को यह मालूम होना चाहिये कि कोई गलत कार्यवाही करने वाला व्यक्ति या शत्रु कभी भी चेतावनी देकर अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं करता है। सरकार ने अभी तक अन्धकार की दुनियां का त्याग करके यथार्थवाद के संसार में पदार्पण नहीं किया है।

यह घटना कोई नयी घटना नहीं है। सुरक्षा की समस्याओं के प्रति सरकार बिल्कुल जागरूक नहीं रही। इस कांड की तुलना लायक अली कांड से की जा सकती है जो हैदराबाद में नजरबन्द थे और भागकर पाकिस्तान पहुंच गये थे। परन्तु इस सरकार ने पहली गलतियों से कोई सबक नहीं लिये।

यदि हम अतीत में झांकने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि भारतीय वायु सेना के केनबरा विमान का गिराया जाना, नागाओं की समस्या, गोआ का प्रश्न, चीन द्वारा किया गया आक्रमण—ये सब ऐसे ज्वलन्त उदाहरण हैं जिन से यह सिद्ध होता है कि हमारी गुप्तचर सेवा सन्तोषजनक नहीं है। चीन के मामले में तो स्वयं प्रतिरक्षा मंत्री का इस सभा के समक्ष यह स्वीकार करना पड़ा था कि हमारी गुप्तचर सेवा पूर्णतया असफल रही। इस प्रकार की घटनाओं से विदेशों में हमारा सम्मान गिरता है और हमारा मखौल उड़ाया जाता है।

जिस समय वालकॉट कहां की सूचना समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई थी, तो हमारे देश के लोगों के मस्तक लज्जा से झुक गये थे।

जब आपातकाल में ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं, तो सामान्य स्थिति में क्या कुछ हो सकता है, इसका अनुमान लगाना सहज है।

मेरे विचार से यह उपयुक्त समय है कि हम आत्मतुष्टि की भावना को तिलांजलि देकर वस्तुस्थिति की ओर ध्यान दें।

अन्त में मेरी गृह मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि सुरक्षा के प्रश्न की गहन जांच के लिये एक उच्च आयोग, जिसमें विशेषकर संसद सदस्य हों, नियुक्त किया जाना चाहिये इसी से जनता में सुरक्षा के प्रति विश्वास की भावना जागृत हो सकेगी।

मेरा एक सुझाव और है कि ब्रिटेन की भांति यहां भी एक स्थायी निकाय बनाया जाय जो देश की सुरक्षा का भार सम्भाले। इसके अतिरिक्त एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का गठन भी किया जाना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

वाद-विवाद पांच बजे तक समाप्त होना है। माननीय मंत्री वाद-विवाद का उत्तर देने के लिये कितना समय लेंगे?

†**श्री राज बहादुर** : मुझे आधा घंटा लगेगा तथा मैं ४-३० बजे शाम को बोलना प्रारम्भ करूंगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : उत्तर गृह-मंत्री महोदय को देना चाहिये।

श्री नन्दा : मुझे भी कुछ कहना है। मैं वाद-विवाद के दौरान बोलूंगा।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्योंकि विषय सुरक्षा व्यवस्था से सम्बन्ध रखता है, अतः गृह मंत्री महोदय को ही उत्तर देना चाहिये।

†**श्री नाथ पाई** : मेरा प्रस्ताव गृह मंत्री जी को सम्बोधित था। मेरे द्वारा उठाया गया विषय भी सुरक्षा से सम्बन्ध रखता है। अतः उत्तर गृह मंत्री जी को ही देना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : गृह मंत्री जी भी उत्तर देंगे। यह निर्णय करना, कि उत्तर कौन देगा, सरकार का काम है।

†**श्री नन्दा** : गृह मंत्रालय से सम्बन्धित सब बातों का मैं उत्तर दूंगा। परन्तु कुछ बातें ऐसी हैं, जिनका उत्तर मेरे साथी, श्री राज बहादुर देंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक माननीय सदस्य केवल १० मिनट का समय लें।

†**श्री रंगा** : कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री इन्द्रजीत गुप्त। सरकार जितना समय चाहे, ले सकती है।

†**श्री रंगा** : ऐसी बात नहीं है। आप कृपया प्रक्रिया नियमों को देखें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने प्रक्रिया नियमों को देखा है। मंत्री महोदय आधा घंट का समय ले सकते हैं। श्री इन्द्रजीत गुप्त।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : नियम के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि मंत्री महोदय को आधे घंटे का समय अवश्य मिले। समयसीमा का निश्चित करना अध्यक्ष महोदय पर निर्भर करता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि पीठासीन पदाधिकारी चाहे, तो सरकार को उत्तर देने के लिये अधिक समय भी दे सकता है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : इस कांड के कारण विदेशों में हमारे देश की खिल्ली उड़ाई गई है। इसके लिये सरकार सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। मंत्रालयों द्वारा एक दूसरे पर भार डालने से काम नहीं चलेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह सोचकर दिल दहल जाता है कि यदि श्री वालकाट कहीं अपने भाग निकलने और अपने अनुभवों संबंधी एक पुस्तक लिख दें तो यह पुस्तक उनके देश में एक रोमांचकारी चीज होगी।

[श्री खाडिलकर पीठासीन हुये]

यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। सामान्य स्थिति में भी यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानी जाती परन्तु राष्ट्रीय आपातकाल में इसका घटित होना, और वह भी राजधानी के हवाई अड्डे जैसे सामरिक महत्व के स्थान में, अत्यन्त ही शोचजनक और लज्जाजनक है।

यह व्यक्ति पहली बार ही गोलाबारूद अथवा कारतूस नहीं लाया है पहिले भी कई बार इसने ऐसा किया है। वह नियमित रूप से यह कार्य कर रहा था। कहा जाता है कि वह कुछ शहजादों के लिये इनका तस्कर व्यापार करता रहा है और उनका आतिथ्य प्राप्त करता रहा है।

श्री वालकाट को अपना विमान लेने से रोकने के लिये दिल्ली मेजिस्ट्रेट द्वारा जो निषेधाज्ञा जारी की गई थी, वह सफदरजंग हवाई अड्डे के अधिकारियों को २५ सितम्बर को शाम को ७.४५ बजे भेजी गई जब कि श्री वालकाट अपने विमान सहित २६ सितम्बर को १२.१५ बजे दोपहर को भागे थे। इस आदेश का पालन करने के लिये अधिकारियों ने क्या किया ?

आज जो सभा पटल पर विवरण रखा गया है, उसमें एक रोचक बात है। विवरण में यह दिया गया है कि २६ सितम्बर को जब श्री वालकाट ने विमान की उड़ान के लिये आज्ञा मांगी थी तो हवाई अड्डे के अधिकारियों ने स्वीकृति नहीं दी थी। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह विवरण वास्तविकता को छिपा रहा है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि सफदरजंग के ड्यूटी अधिकारी को इसका ज्ञान था। उसके एक अधीनस्थ कर्मचारी ने उसको इस बारे में चेतावनी दे दी थी। फिर भी उसने ऐसा होने दिया। क्या इस बारे में जांच की गई है और उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है ? यदि हवाई अड्डे के भार साधक अधिकारी की इस मामले में कुछ सांठगांठ है, तो संबंधित मंत्री को इसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना पड़ेगा। यदि ऐसी घटना ब्रिटेन में हुई होती, तो संबंधित मंत्री एक दिन भी अपने पद पर न टिकते।

यह बताया गया है कि उनके भागने और भारतीय वायुसेना के विमानों द्वारा उनका पीछा करने के समय में बहुत अन्तर रहा। वायु सेना के विमानों ने तत्परता क्यों नहीं दिखाई ? इस सबके लिये कौन जिम्मेवार है ?

विवरण में भारतीय विमान नियमों का हवाला दिया गया है जिनका श्री वालकाट ने उल्लंघन किया है। इस संबंध में नियमों में कोई कमी नहीं है। यह तो केवल असैनिक उड्डयन विभाग तथा इसके प्रशासन की अयोग्यता का परिणाम है। यह सब इसलिये हुआ है कि इस विभाग के सुरक्षा संबंधी प्राधिकारियों ने इन नियमों के पालन में तत्परता नहीं दिखाई।

श्री नाथ पाई ने कहा कि अमरीका सरकार से श्री वालकाट की वापसी की मांग करना मूर्खता है। परन्तु मेरे विचार से ऐसी मांग करना बिल्कुल ठीक है। हम यह जानना चाहते हैं कि हमारी इस प्रार्थना पर उन्होंने क्या उत्तर दिया। यदि अमरीकी अधिकारी उसको वापस करने से इन्कार कर देते हैं तो हमें यही निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि वे भी इस व्यक्ति के साथ मिले हुये हैं।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मन्दसौर) : वालकॉट के भाग जाने की घटना किसी स्वतंत्र राष्ट्र के इतिहास में होने वाली सब से अधिक खेदजनक घटना है। इस घटना से संसार में भारत के सम्मान को ठेस पहुंची है और यह सिद्ध होता है कि इस देश में सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

यह भाग जाने की घटना अन्य भाग जाने वाले की उस कड़ी में से एक है जो मीर लायक अली से आरम्भ हुई और जिसके बाद भूपत, एक नामी डाकू और राजस्थान के एक तहसीलदार, जिन्होंने लाखों रुपय का गबन किया, भाग निकले। परन्तु यह अत्यन्त विचित्र बात है कि इनमें से प्रत्येक को पाकिस्तान में शरण मिली।

सुरक्षा केवल हमारे अधिकारियों की सत्यनिष्ठा और कार्य कुशलता पर निर्भर करती है जिसका उनमें अभाव है। प्रधान मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया कि दुर्भाग्य से हमारे अधिकारी जब श्वेत जातियों के लोगों से पेश आते हैं तो उनमें हीनता का भाव उत्पन्न होता है परन्तु अपने देश-वासियों के प्रति उनमें अदभू भावना है।

हमारा भर्ती का तरीका गलत है। हम ऊपरी टीपाटाप देखते हैं, व्यक्ति की विद्वता को कोई महत्व नहीं देते। हमारे बहुत अधिकारी शराबी हैं। एसे व्यक्तियों द्वारा सुरक्षा की ठीक प्रकार व्यवस्था नहीं की जा सकती।

केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये आदेशों का पालन नहीं किया जाता। यदि सरकार ने जोधपुर में हमारे वायु बल के कर्मचारियों को सन्देश भेज दिया होता, तो हमारे विमान वालकाट को पाकिस्तान तक उड़ान करने से बीच में ही रोक सकते थे। परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

सरकार को बताना चाहिय कि क्या अमरीका के साथ हमारी कोई प्रत्यर्पण संधि है और क्या हम इसके अन्तर्गत श्री वालकॉट को वापिस ले सकेंग।

जो व्यक्ति देश के हित के विपरीत कोई भी कार्य करता है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी दल से संबंध रखता हो, भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये। इसी तरह इन नियमों में इस आशय का उपबन्ध भी है जिसके अन्तर्गत कि संदिग्ध परिस्थितियों में काम करने वाले विदेशियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है। वालकॉट के बच निकलने से हमारी प्रतिष्ठा को काफी धक्का लगा है। सारे संसार में हमारी हंसी हुई है। यह इतने खेद का विषय है कि माननीय मंत्री को कम से कम अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिय।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : देश की सुरक्षा किसी दल विशेष से संबंधित विषय नहीं है। आपातकाल की स्थिति में वालकॉट का देश से बच निकलना एक गम्भीर मामला है। यह स्पष्ट है कि हमारे सुरक्षा प्रबन्धों में आमूल परिवर्तनों की आवश्यकता है। सुरक्षा से संबंधित कार्यों में किसी प्रकार की ढील नहीं बरती जानी चाहिय।

देश की सुरक्षा का कार्य साधारण व्यक्तियों को नहीं सौंपा जाना चाहिये। प्रथम कोटि के व्यक्तियों को ये काम सौंपे जाने चाहियें। वालकॉट संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही यहां से उड़ान कर सका।

हवाई अड्डे सुरक्षा की दृष्टि से हमारे लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनकी सुरक्षा के बारे में जरा सी शिथिलता भी हमारे लिये घातक सिद्ध हो सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैंने इस प्रस्ताव का विरोध प्रविधिक रूप में किया है, किसी दलगत नीति के आधार पर नहीं। यह एक ऐसा विषय है जहां गृह मंत्रालय, प्रतिरक्षा मंत्रालय तथा असैनिक उड्डयन विभाग में कोई मतभेद नहीं होना चाहिये तथा उन्हें देश की सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुये पूर्ण सहयोग से काम करना चाहिये।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा)**: मैं इस प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय द्वारा उठाये गये सन्देहों को दूर करने तथा वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराने के लिये संक्षेप में कुछ कहूंगा। मैं सब से पहले व्यक्तिगत मामले को लूंगा। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि सरकार मिल कर काम करती है। सरकार का एक मंत्री यह नहीं कह सकता कि जिम्मेदारी किसी अन्य की है। परन्तु सरकार विभिन्न विभागों के रूप में कार्य करती है अतः यह उचित ही है कि जब इस तरह का कोई प्रस्ताव सदन के समक्ष आता है तो हम में से दो या तीन इसके विभिन्न पहलुओं पर बोलें। इसको उत्तरदायित्व का विभाजन नहीं कह सकते। जहां तक सरकार के उत्तरदायित्व के एक होने का प्रश्न है वहां उनकी ओर से उत्तर भी एक मिलना चाहिये। मैं यह उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता हूं।

जब यह प्रस्ताव मेरे मंत्रालय में आया तो यही ठीक समझा गया कि यह मामला मेरे माननीय सहयोगी द्वारा लिया जाना चाहिये। कारण यह था कि प्रस्ताव का शीर्षक इस तरह था : "वालकॉट —कई अपराधों के संबंध में पुलिस जिसकी तलाश में थी—के बच निकलने पर चर्चा करना"। हमने इसकी जांच की और इसे सर्वथा गलत पाया। कोई उसकी खोज में नहीं थी जब किसी मामले में उसकी खोज ही नहीं थी तो यह प्रस्ताव निराधार हो जाता है।

†**श्री नाथपाई** : मुझे पहले से ही ऐसे उत्तर की आशा थी। अत : मैंने निवेदन किया था कि जब उन्हें इस के पीछे शरण नहीं लेनी चाहिये।

†**श्री नन्दा** : उन्होंने सही उत्तर का पहले से ही अनुमान लगा लिया था और यदि वह उनके विरुद्ध हैं तो क्या इसी लिये मुझे उत्तर नहीं देना चाहिये ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : आप की सुरक्षा व्यवस्था को क्या हुआ ? बात को पलटिये मत।

†**श्री नन्दा** : मैं सुरक्षा के विषय में भी कहूंगा। मैं दो मिनट भी नहीं बोला हूं। पहले मैं व्यक्तिगत मामले की बात को निपटाऊंगा। यह निश्चय किया गया कि मेरा सहयोगी इसका जवाब देंगे। यदि किसी कारण से कहीं सहयोग में कुछ कमी थी और मेरे सहयोगी, श्री राज बहादुर, उससे अनभिज्ञ थे तो उसके लिये मैं जिम्मेदार हूं, दोष मेरा है और मैं उसे स्वीकार करता हूं।

अब मैं इस मामले के गुणदोषों में जाऊंगा। चूंकि यह विषय उड्डयन नियमों तथा विनिमयों के उल्लंघन से संबंधित है अतः मेरे सहयोगी इसका उत्तर देंगे। मैं अपने को सुरक्षा के विषय तक ही सीमित रखूंगा। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य इसे सुरक्षा की दृष्टि से यहां लाये हैं। हो सकता है कि जनता में भी सुरक्षा के प्रति भ्रम पैदा हो गया हो, जैसे कि माननीय सदस्य को हो गया है। अतः यह ठीक ही था कि मामला सदन के समक्ष लाया गया। मैंने गत अवसर पर इसका इसीलिये विरोध नहीं किया। हो सकता है कि ऐसे मामलों में प्रक्रिया के बारे में मुझे कुछ और सीखना है, परन्तु वास्तविकता यही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्धे]

यह उचित ही है कि यह मामला यहां लाया गया है। उन्हें ही नहीं, अपितु हर संसद सदस्य को ऐसे विषय के प्रति चिंता होनी चाहिये, विशेष कर जबकि वह सुरक्षा से संबंधित है। जिस बात पर कि मैं जोर देना चाहता हूं वह यह है कि इसका सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है। जहां तक हमारी सांझी जिम्मेदारी का प्रश्न है मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिय मैं उत्तरदायी हूं। यदि कोई ऐसी चीज हो जाती है और मैं अपना कर्त्तव्य पालन करने में असमर्थ पाया जाता हूं तो मैं उससे मुंह नहीं मोड़ूंगा और उन्हें किसी भी बात के लियें दबाव डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

हमें तथ्यों में जाना चाहिये। यह मैंने कब कहा है कि यह सुरक्षा का प्रश्न है ही नहीं? निस्सन्देह माननीय सदस्य, चीनी आक्रमण आदि को भी इसमें घसीट लाये और किसी अन्य ने भूषत का भी जिकर किया, परन्तु पहले हुई हर बात के बारे में मैं सफाई नहीं दे सकता। हो सकता है कहीं कोई गलती हो गई हो। यह भी संभव है कि कुछ कमियां अभी भी दूर की जानी हैं। हम इन को दूर करने तथा अपनी सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। माननीय सदस्य का इस बारे में एक आयोग नियुक्त करने का सुझाव सर्वथा भिन्न विषय है। यदि कोई सदस्य इस बारे में मुझें कुछ कहना यह सुझाव देना चाहें तो मैं उनका स्वागत करूंगा। निस्सन्देह, हमें उनके सुझाव के अभाव में भी भरसक प्रयत्न करने चाहियें। किसी भी विरोधी दल के सदस्य के सुझाव का हम स्वागत करेंगे क्योंकि व भी राष्ट्र का एक अंग हैं और राष्ट्र को संकट से बचाने का उत्तरदायित्व समूचे राष्ट्र पर है।

तथ्य यह है कि मैसर्ज टाटा एंड सन्स, जिनका यहां उल्लेख किया गया है ने वालकाट को कुछ धनराशि उधार दी। यदि उन्होंने वालकॉट को यह राशि उधार न दी होती--मैं इसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा कि यह क्यों था किस लिये दी गई--और यदि उन्होंने न्यायालय से उसके उड़ान करने से पहले दिन कोई आदेश न लिया होता, तो यह व्यक्ति कहीं भी जाने के लिये स्वतंत्र था। क्या उस दशा में सुरक्षा का कोई प्रश्न उठता? कतई नहीं। वह अधिकारियों को सूचित करके कहीं भी जा सकता था। वह अपना विमान भी ले जा सकता था। यह इस विषय का सार है।

लेकिन हुआ क्या? इसे हम समझें। इससे पहले उसके विरूद्ध कई मामले थे, जिनमें सरकारी धन अन्तर्ग्रस्त था तथा कुछ दांडिक अपराध के मामले थ जिन पर कि दिल्ली में एक मेजिस्ट्रेट की अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। उस पर कुछ जुर्माने किये गये और उसने विधिपूर्वक उनका भुगतान कर दिया। पुलिस को अन्य किसी दांडिक मामले में उसकी आवश्यकता नहीं थी। मैं इस तथ्य पर जोर देता हूं।

एक और तथ्य है जिसका इस मामले में गहरा संबंध है और जिसे मेरे माननीय सदस्य शायद हवाई अड्डे के प्रशासन के संबंध में उठाना चाहेंगे। मेजिस्ट्रेट ने एक आदेश निकाला जिसकी बिना पर वह अपने विमान की देखभाल के लिये वहां जा सकता था। मिस्तरियों को भी मरम्मत आदि के लिये विमान में जाने की अनुमति दे दी गई थी। यदि ऐसा न करने दिया जाता तो यह न्यायालय के प्रति अपमान होता। न्यायालय के आदेश की बिना पर ही उसे यह सब करने की अनुमति दी गई थी (**अन्तर्बाधा**)। मैं तथ्य ही बता रहा हूं।

श्री महताब (अंगुल) : यदि वह स्वतंत्र था, तो फिर न्यायालय के इस आदेश की आवश्यकता क्यों हुई ?

†**श्री नन्दा** : मैं इससे भी पहले की बातें बतला रहा हूं जबकि वह स्वतंत्र नहीं था। उस समय भी ऐसी स्थिति नहीं थी।

†**श्री त्यागी** : उड़ान करने से पहले वह पूर्णतया स्वतंत्र था (**अन्तर्बाधा**)।

†**श्री नन्दा** : हां। उसके जाने के रास्ते में कोई कानूनी बाधा न थी उसको आदेश था कि चूंकि टाटा को उसने कुछ धनराशि देनी थी अतः वह, टाटा के हित में, अपने विमान को न ले जाय।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : यह न्यायालय का आदेश था।

†**श्री नन्दा** : यह केवल एक व्यावहारिक मामला था। उसको रोके रखने का कोई आदेश नहीं था।

मैं श्री नाथ पाई की वाक्पटुता को खूब समझ सकता हूं। उन्होंने इस मामले को नाटकीय ढंग से पेश करके इस अवसर का फायदा उठाया है। इस मामले से देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं पहुंचा जिसे मनवाने की उन्होंने चेष्टा की है। उन्होंने हम पर जो आरोप लगाय हैं वे सारे हीन हैं। उन्हें अपनी वाक्पटुता को किसी और अच्छे अवसर के लिय सुरक्षित रखना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : तो उसका पीछा क्यों किया गया ?

†**श्री नन्दा** : मेरे विचार में उसका कतई पीछा नहीं किया गया। किसी पर उसका पीछा करने का भार नहीं था। यह एक व्यावहारिक मामला था अतः पुलिस का इससे कोई सरोकार नहीं था।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे विमानों ने उसका पीछा क्यों किया ?

श्री हरि विष्णु कामत : भारतीय वायुसेना के दो हंटर विमानों ने उसका पीछा किया।

†**श्री नन्दा**: वह फिजूल था।

†**श्री हरि विष्णु कामत**: फिजूल ?

†**श्री नन्दा** : कुछ भी हो, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। न्यायालय का आदेश था कि विमान उड़ान न भरे। जहां तक उसको कहीं जाने का प्रश्न है वह स्वतंत्र था तथा उसे पुलिस से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। यदि उसे किसी के ५०,००० रुपये देने हैं और वह यहां से चला जाता है तो पुलिस को बीच में आने की क्या जरूरत है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि ऐसा वातावरण न फैलाया जाय जिससे यह प्रतीत हो कि हम अपने देश की सुरक्षा के लिय पूर्वोपाय करने में इतने पिछड़े हुये हैं।

श्री सिंहासन सिंह : किस का आदेश था कि विमान को हवाई अड्डे से बाहर न ले जाया जाय ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री नन्दा : पुलिस तभी हस्तक्षेप करती है जब उनको ऐसा करने का आदेश हो। चूंकि इस तरह का कोई आदेश नहीं था इसलिये पुलिस द्वारा उस पर निगरानी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मेरे माननीय सहयोगी शेष बातों का उत्तर देंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि ऐसी बात है, तो सरकार ने अमरीका की सरकार से वालकॉट को वापस लौटाने के लिये क्यों कहा है ?

†**श्री त्यागी** : उसे अपने विमान की देखभाल करने की न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी परन्तु, क्या उसका विमान किसी डिग्री द्वारा कुर्क किया हुआ था ?

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : गृह मंत्रालय का इससे कोई सरोकार नहीं है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : एक उत्तरदायी सरकार को यह कतई शोभा नहीं देता। उन्हें नौकरी से हटाया जाय।

[अध्यक्ष महोदय पीठासन हुये]

†**श्री त्यागी** : आपके पीठासीन होने से पूर्व मैंने एक प्रश्न पूछा था कि क्या उसका विमान कुर्क किया गया था। मैं उसका उत्तर चाहता हूं।

†**श्री नन्दा** : विमान कुर्क नहीं था।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : मैं केवल यह कहने के लिये खड़ा हुआ हूं कि चूंकि सुरक्षा के पहलू से उनका संबंध है और उन्होंने इस बारे में अपना स्पष्टीकरण दे दिया है, परन्तु जब न्यायालय के आदेशानुसार विमान को न्यायालय की आज्ञा के बिना ले जाने की अनुमति नहीं थी—यदि ऐसा आदेश न होता तो यह बात ही नहीं उठती—तब ऐसा किसकी लापरवाही के कारण हुआ। गृह-मंत्री को इसका उत्तर देना चाहिये।

†**श्री स्वैल** (आसाम स्वायतशासी जिले) : वालकॉट कांड से ऐसा लगता है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था न के बराबर है। मुझे आशा थी कि माननीय गृह मंत्री देशवासियों की इस बारे में शंकायें दूर करेंगे और उनमें विश्वास पैदा करेंगे परन्तु वे ऐसा करने में असमर्थ रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि जब न्यायालय का आदेश था कि विमान न ले जाया जाये तो क्या कोई पूर्वोपाय नहीं किय जाने चाहियें थे जिससे कि वह अपने विमान को उड़ा कर न ले जा सकता। स्पष्टतः वालकॉट को सफदरजंग हवाई अड्डे के कन्ट्रोल टावर से उड़ने की आज्ञा नहीं मिली। सरकार को बताना चाहिये कि इसके लिये कौन उत्तरदायी है।

देश की सुरक्षा हमारे लिये सब से महत्वपूर्ण है। गत वर्ष के चीनी आक्रमण के बाद से यह चीज हर एक की जबान पर है। मैं समझता हूं कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से हवाई अड्डे बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थापनाएं हैं। यदि सुरक्षा प्रबन्ध ऐसे हैं कि वालकॉट जैसा व्यक्ति वहां से उड़ सकता है तो शत्रु के विमान को किसी एक हवाई अड्डे पर उतरने और वहां से उड़ान करने में क्या बाधा हो सकती है। यदि वालकॉट के बच निकलने में सुरक्षा प्रबन्ध अन्तर्ग्रस्त नहीं था जैसा कि गृह-कार्य मंत्री जी ने कहा तो उन्हें उसके विमान का पीछा करने के लिये दो विमान भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

अच्छा होता यदि गृह-कार्य मंत्री सरकार की वकालत करने की बजाय अपनी भूल मान लेते और आगे ऐसी भूल न होने देने का आश्वासन देते । वे लोगों की आशंकाओं का समाधान नहीं कर पाये हैं । इस काण्ड का मुख्य कारण भ्रष्टाचार है । मैं नहीं मान सकता कि सम्बन्धित अधिकारियों की कुमंत्रणा बिना वालकॉट यह उड़ान कर सकता था । लायक अली भी ऐसी ही परिस्थितियों में हैदराबाद से भाग निकला था । और भी ऐसे उदाहरण हैं ।

यह देखने के लिये कि इस घटना के लिये उत्तरदायी कौन है एक जांच की जानी चाहिये और दोषी को कड़ा दण्ड दिया जाये । उस जांच का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाना चाहिये । तभी लोगों को विश्वास होगा कि सरकार सुरक्षा के प्रति जागरूक है ।

†**श्री हिम्मतसिंहजी** (कच्छ) : इस दुखद मामले के बारे में बोलते हुए मुझे हर्ष नहीं होता । सरकार पर दो आरोप हैं, एक तो उसे भाग जाने दिया गया और दूसरे यह कि यह प्रस्ताव पेश हो जाने पर भी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया ।

एक माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में जो जयपुर के राजघराने का उल्लेख किया है वह सर्वथा निराधार और अनुचित है ।

हमने अभी मित्र राष्ट्रों से राडर उपकरण प्राप्त किये हैं जिनसे देश पर हवाई हमले के समय शीघ्र सूचना मिल सकेगी । किन्तु हमारी प्रतिरक्षा की स्थिति कितनी त्रुटिपूर्ण है जिसमें ऐसी दुखद घटनाएं हो जाती हैं ।

इसमें मूल त्रुटि हमारे सोचने के ढंग की है । अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि चौकीदार ने सूचना दे दी थी और जब हमारी वायु सेना के विमानों ने पीछा किया तो वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने हिदायत दे दी कि वे गोली न चलाएं । यह है हमारे सोचने का ढंग । हमें इससे छुटकारा पाना चाहिये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : चूंकि यह विषय राष्ट्रीय महत्व का है अतः इसके लिए नियम ६३ के उपबंधों के अनुसार समय बढ़ा दिया जाए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस सम्बन्ध में मैं देखूंगा ।

†**श्री राम सेवक यादव** : जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से यकेबाद दीगरे ऐसी घटनाय घटती रही हैं जिन्होंने इस सरकार के नंगे स्वरूप को देश के सामने और दुनिया के सामने रख दिया है । हमारे नाथपाई जी ने उसका बहुत ही अच्छा चित्रण अपने भाषण में किया है । लायक अली ला-पता हो गए वालकॉट उड़ गए । ऐसा नहीं कि जानकारी न हो । आराम से अलविदा लेते हुए विदाई लेते हुए जेल के अपने दोस्तों को मिल कर गए । लेकिन भारत सरकार की सुदृढ़ सुरक्षा नीति उसके अफसरों की कार्यकुशलता, क्षमता और तात्पर्यता का परिणाम यह निकला कि वह ९० मील की रफ्तार से भी गया फिर भी हम उसको पकड़ न सके । यह सिद्ध हो चुका है और अगर कोई मंत्री या कोई सदस्य इसके बारे में कोई सफाई पेश करता है तो हम समझते हैं कि इससे बढ़ कर और कोई बेशर्मी की बात नहीं हो सकती है ।

असल में उस घटना पर न जाते हुए हमें देखना चाहिये कि आखिर कारण क्या है, कहां पर बीमारी है ? ऐसा लगता है कि कहीं कोई मामला बुरी तरह से सड़ गया है । अगर हम उस तरफ नज़र डालते हैं तो हमें दो तीन चीज़ों पर ध्यान देना होगा । दो तीन चीज़ों पर हमें अपनी नज़र

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राम सेवक यादव]

दौड़ानी होगी। अगर उनका कुछ इलाज हो सका तो अच्छा होगा नहीं तो इसके बड़े भयंकर परिणाम आगे चल कर निकल सकते हैं। इस में बदलाव होना बड़ा जरूरी है।

पहली बात तो यह है कि हम इस मामले की जड़ में जायें। अगर हम जड़ में जायेंगे तो पता चलेगा कि इसकी जड़ में भ्रष्टाचार है। प्रधान मंत्री महोदय ने इस सदन में एक बार कहा था कि भ्रष्टाचार हो सकता है कहीं कोई छोटे स्तर पर निम्न स्तर पर हो सकता है लेकिन जहां तक ऊपर का सम्बन्ध है कोई भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन इन घटनाओं ने लायक अली के सम्बन्ध में घटी घटना ने यह साबित कर दिया है कि बड़े से बड़े स्तर पर बड़े से बड़े अफसरों में आई० जी० पुलिस तक में भ्रष्टाचार है और इस वालकाट की घटना ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि इस काण्ड में किसी मामूली अधिकारी का नहीं बल्कि किसी बड़े से बड़े उच्च अधिकारी का हाथ था। यह चीज़ सर्वसिद्ध हो गई है। अगर भ्रष्टाचार फैला हुआ है तो यह बड़े स्तर पर है और इस बात को सारा देश समझता है। भ्रष्टाचार उससे भी आगे हो सकता है ऐसा हम समझते हैं। अगर ठीक से जांच कराई जाये और अगर जड़ में जाया जाए तो शायद कोई अच्छे परिणाम निकलने की आशा की जा सकती है।

दूसरी चीज़ यह है कि हमारे देश की पुलिस हमारे देश की सी० आई० डी० खुफिया पुलिस जो है उसको एक तरह की शिक्षा रही है, उसको एक ही तरह की ट्रेनिंग दी गई है और वह यह है कि अपने ही देशवासियों के खिलाफ खुफियागिरी हो जहां तक विदेशियों का सम्बन्ध है उसके बारे में बिल्कुल चिन्ता मुक्त रहो। यह अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है और वही चली आ रही है और यह हमें विरासत में मिली है। माननीय प्रधान मंत्री जी खुशकिस्मती से इस समय यहां मौजूद हैं। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि इसी को हम निभाते चले जा रहे हैं कि देशवासियों के खिलाफ खुफियागिरी तो खूब चले लेकिन विदेशियों के खिलाफ न चलें। संकटकालीन कानून है। उसी कानून के अन्तर्गत न जाने कहां से इनको खुफियागिरी करने का मौका मिला है कहां से ऐसे दल के लोगों को समाजवादी लोगों को उसके अन्तर्गत जेल में भरने का और गलत चीज़ें आंकने का मौका मिला है जैसे जार्ज फर्नांडिस को जेल में भरना। लेकिन विदेशी तत्व क्या कर रहे हैं हालात किस हद तक पहुंचते जा रहे हैं उसके बारे में हमारे यहां की खुफिया पुलिस को सरकार को कोई चिन्ता नहीं है। जब तक इस नीति में बदल नहीं किया जाता है, जब तक दृष्टिकोण में बदलाव नहीं होता है, जब तक देशवासियों के खिलाफ खुफियागिरी और उनके ही खिलाफ रक्षा कानून के इस्तेमाल को छोड़ा नहीं जाता है तब तक अच्छे परिणाम निकलने की आशा नहीं की जा सकती है। जब तक आपके दृष्टिकोण में बदलाव नहीं आएगा तब तक ये जो घटनाएं घट रही हैं ये ऐसे ही घटती चली जायेंगी। यह एक जंजीर है एक लकीर बनती जाती है और उसका कभी कोई अन्त नहीं होगा।

हमारे त्रिवेदी जी ने किसी पत्र का हवाला दिया है प्रधान मंत्री के जिस में उन्होंने कहा है कि शायद जहां तक सफेद लोगों का सम्बन्ध है उनके बारे में हम कुछ थोड़ा सा डरते रहते हैं, भय खाते रहते हैं लेकिन जहां तक अपने लोगों का सवाल है हम तेज़ हो जाते हैं। शायद यह बात सही हो किसी हद तक। लेकिन यह ज्यादा सही है प्रधान मंत्री के बारे में। हम समझते हैं कि प्रधान मंत्री ने यह जवाब दे कर अपना ही चित्रण किया है। उनकी विदेश नीति में यही दोष रहा है और इस हद तक विदेश नीति जिम्मेदार है। जहां तक विदेशियों का और उन विदेशियों में थी जहां तक सफेद लोगों का सम्बन्ध है, विदेश मंत्री, प्रधान मंत्री, बड़ी ही सद्भावना का परिचय

देते रहे हैं और इस हद तक कि चीन जैसा हमला हो जाए और फिर भी कूटनीतिज्ञों की तरह उनका भी स्वागत करते रहे हैं ।

तो ये तीन चीजें हैं । जब तक इन बुनियादी चीजों की जड़ को नहीं पकड़ा जाता तब तक ये घटनाएं घटती रहेंगी ।

मैं आपके जरिए निवेदन करूंगा कि अच्छा हो कि रक्षा कानून का प्रयोग देशवासियों के खिलाफ न कर ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ किया जाए जो हिन्दुस्तान की सुरक्षा और हिन्दुस्तान की आजादी छीनने में सक्रिय हैं । तब उसका कुछ अच्छा नतीजा निकल सकता है ।

अन्त में मैं आपके जरिए प्रधान मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में एक जांच कमेटी नियुक्त की जाए और जो सम्बन्धित लोग हैं उनके खिलाफ जांच की जाए कि क्या यह रिश्वत का मामला हैं या लापरवाही का मामला हैं । मेरी नजर में यह लापरवाही का मामला नहीं लेकिन उसकी भी जांच हो । और अगर ये चीजें पायी जाती हैं तो चाहे वे कितने थी उच्च अधिकारी क्यों न हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो मौजूदा कानून के मातहत हो सकती है, की जाए । तब देशवासियों पर और इस सदन के सदस्यों पर भी असर पड़ेगा और यह समझा जाएगा कि सरकार सचेत हुई है और कुछ अच्छा नतीजा निकल सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री राज बहादुर ।

†**श्री हेम बरुआ** : एक औचित्य प्रश्न है । यह मामला देश की सुरक्षा से सम्बन्धित है और सरकार इसे परिवहन तथा संचार मंत्री को सौंप कर उपयुक्त ध्यान नहीं दे रही ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने मंत्री जी से बोलने के लिए कहा है ।

†**श्री नाथ पाई** : मुझे भी बोलने का अधिकार होना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें सात मिनट मिलेंगे ।

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं प्रारम्भ में ही क्षमा प्रार्थना करना चाहता हूं क्योंकि मैं कल प्रस्ताव प्रस्तुत होने के समय उपस्थित नहीं था । मैं अधिक ब्यौरे को ले कर सभा का अधिक समय नहीं लूंगा किन्तु मेरी अनुपस्थिति अनिवार्य करणों से थी ।

यह मामला बनाया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में हम से भारी भूल हुई है और हम ने अपने नियमों का उल्लंघन जान बूझ कर होने दिया है । कई विशेषण प्रयोग किये गये हैं किन्तु मुझे विशेषणों का उत्तर विशेषणों में नहीं देना है । मैं समझता हूं कि मैं यही कर सकता हूं कि तथ्यों को उन के क्रमानुसार देखा जाये ताकि सारे मामले की ठीक स्थिति का पता लग जाये ।

जहां तक श्री वालकाट का सम्बन्ध है, पहली बार जब उस का विमान आया या हमारा उस से वास्ता पड़ा वह समय था जब एयर इंडिया को ऐसे विमान की आवश्यकता थी जिस से अनिर्धारित उड़ान कर के महत्वपूर्ण सामान विदेश ले जाना था । यह कुछ वर्ष पहले की बात है । पाइपर विमान जो यहां से चला गया है मई १९६२ में यहां आया था अर्थात् १५ मई १९६२ को । यह देश के कई भागों में, बम्बई, कई बार लाहौर और जयपुर गया था और फिर यह कुछ कारणों से जुलाई १९६२ में सफदरजंग हवाई अड्डे पर रखा गया । पहली बार श्री वालकाट के कुछ अपराधों का पता लगा और उसे लगभग २० सितम्बर, को गिरफ्तार किया गया । उसे कुछ सीमाशुल्क नियमों के उल्लंघन के लिए और शस्त्रास्त्र अधिनियम के उल्लंघन के कारण गिरफ्तार किया गया

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राज बहादुर]

था । पुलिस ने उस का चालन किया । उसे छै मास कारावास और २००० रुपये जुर्माने की सजा हुई । तीन अपराध थे और उन के दण्ड समवर्ती थे । उस ने अपील की जिस पर दण्ड बना रहा किन्तु उसे कम कर के उतना कर दिया गया जितना वह भुगत चुका था । किन्तु मुकदमों के दौरान उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया । उस के पूर्व वृत्त के सम्बन्ध में यद्यपि बहुत कुछ कहा जा चुका है और जे० आर० डी० टाटा का भी विशेष रूप में नामोल्लेख किया गया है । विश्व बैंक के उच्च और सम्मानित अधिकारी के अनुसार उसे टाटा ने ६०,००० रुपये का ऋण दिया गया था जो उस के वकीलों के पास जमा किया गया जिन्हों ने उस का प्रयोग उस की जमानत के लिए किया । अतः पूर्ववृत्त के सम्बन्ध में बात कहते हुए जहां तक हमें उस के बारे में पता है वह ट्रांस एटलांटिक एयरलाइन्स का अध्यक्ष है । हम जानते हैं कि वे हमें विमान देता रहा है जब हमें निर्धारित उड़ान के लिए उन की आवश्यकता होती थी । हम जानते हैं कि पाइपर के अलावा आज भी स्काईमास्टर है यद्यपि उस का इंजन नहीं है । किन्तु इंजन के बगैर भी उस का मूल्य २० से २५ लाख रुपये है जिस पर आई० ए० सी० उसे खरीदने के लिए तैयार है । अतः एक बात स्पष्ट है कि वह धनी व्यक्ति था, कि वह विमान चालक था और हमारी एयर लाइन्स कारपोरेशन भी उस के विमान का प्रयोग करती थी । हमें इस बारे में इन्द्रजीत गुप्त जैसे व्यक्ति का प्रमाण प्राप्त है कि वह राजाओं और महाराजाओं से मिला करता था । जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है यदि श्री नाथ पाई के पास इस जानकारी का कोई विशेष संसाधन नहीं है कि उस ने इस देश में या बाहर कोई घृणित अपराध किये हैं हम तो इतना ही जानते हैं कि उस पर शस्त्रास्त्र अधिनियम के अन्तर्गत तीन अपराध लगाये गये थे । उसे दण्डित किया गया और उस ने दण्ड भुगता । उस पर सीमाशुल्क नियमों के उल्लंघन का भी आरोप था ।

इस आरोप पर गिरफ्तार करते समय सीमाशुल्क सहायक समाहर्ता ने यह आदेश निकाला था जो ८ मार्च १९६३ का है और इस प्रकार है :

> सीमाशुल्क अधिनियम, की धारा १४२(१)(ख) के अन्तर्गत मुझे सौंपे गये अधिकारों के नाते मैं दिल्ली स्थित सीमा शुल्क सहायक समाहर्ता आदेश देता हूं कि सफदरजंग हवाई अड्डे पर जो पाईपर विमान खड़ा है उसे तब तक रोके रखा जायेगा जब तक जुर्माने की रकम नहीं दी जाती ।"

इस की प्रति सुपरिनटेंडेंट पुलिस सफदरजंग को भेजी गई थी ताकि वे विमान को रोके रखने की व्यवस्था करे । इस की एक प्रति हवाई अड्डे के अधिकारियों को भी जानकारी के लिए दी गई थी । हवाई अड्डे का काम यातायात की व्यवस्था करना है और दुर्घटनाओं से बचाव करना है और विनियमों के अन्तर्गत विमानों की उड़ान द्वारा आवश्यक सहायता देना है । देश का कोई नागरिक जो आई० सी० ए० ओ० का सदस्य हो किसी भी देश में अपना विमान उतार सकता है और आवश्यक सुविधाओं की मांग कर सकता है । वे बिना किसी करार के सवारियां नहीं भेज सकता । वे अपने विमान की रक्षा आदि की भी सहायता ले सकते हैं । उस ने एक बार यहां स्काईमास्टर उतारा और इस मामले में पाइपर भी उतारा ।

इस विशेष मामले में क्या हुआ ? क्योंकि उस ने सीमाशुल्क सम्बन्धी जुर्माना नहीं दिया था अतः सीमाशुल्क समाहर्ता ने आदेश निकाले थे । उसे दण्ड मिलते ही जेल भेज दिया गया था । मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि यह व्यक्ति हमारे उड्डयन विभाग के अधिकारियों के साथ खूब घुला मिला हुआ था । मद्य सेवन, भ्रष्टाचार बदमाशी आदि की बातें बताई गई हैं । वह तो २३ सितम्बर को रिहा किया गया था । मुझे पता नहीं कि कैंटीन में शराब भी दी जाती है । यदि

आप समझते हैं कि हमारे विमान सेवाओं और विमान निगम के सभी कर्मचारी इतने दुष्कर्मी हैं कि वे केवल कैंटीन में शराब ही पीते रहते हैं तो आप उन की अभ्यर्थना कर रहे हैं। खैर मुझे केवल यह कहना है कि वह २३ सितम्बर को जेल से युक्त हुआ। दाण्डिक मामलों में उस पर जो जुर्माने लगाये गये थे वे सब उस ने दे दिये थे। उस ने सीमाशुल्क अधिकारियों को भी सब जुर्माना दे दिया था और सीमा शुल्क अधिकारियों ने २५ सितम्बर को आदेश निकाला था कि :—

"चूंकि श्री डेनियल वालकॉट ने १५,००० रुपये का जुर्माना दे दिया है अतः उस का विमान सफदरजंग हवाई अड्डे से जा सकता है।"

वास्तव में आदेश २४ सितम्बर का है। वह विमान को ले जा सकता था क्योंकि उस ने जुर्माना दे दिया था और कारावास का दण्ड भुगत लिया था। अतः माननीय गृह मंत्री का यह कहना उचित है कि २४ और २५ सितम्बर को उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। किसी भी मामले में उस की आवश्यकता नहीं थी।

दुर्भाग्य की बात है कि श्री नाथ पाई अनुमान की बात कह रहे थे। मैं उस के पूर्व वृत्त के बारे में बता चुका हूं। उस ने कहा चेतावनी दी गई कि उसे उड़ने न दिया जाय। मैं इस बात को बाद में लूंगा। किन्तु यहां यह कहना चाहता हूं कि कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने उस के घुलने मिलने की बात कही और फिर कहा कि उस के जहाज को गोली से गिराने का अधिकार था। यह भी सर्वथा गलत है। वायु सेना किस प्रयोजन के लिए है। वायु सेना शत्रु के विमान को वायु क्षेत्र का उल्लंघन करने से रोकने के लिए है। उन्हों ने कहा कि उड़ कर जेल पर गया और चाकलेट तथा बिस्कुट गिराये और टा टा कहा। विमान की आवाज में श्री नाथ पाई और उन्हें सूचना देने वाले ही टा टा सुन सकते थे। उस के बिस्कुट गिराने के सम्बन्ध में हम ने सम्बन्धित अधिकारियों से जांच की है और पता लगा है कि उस ने कोई बिस्कुट नहीं गिराये। पता नहीं उन्हों ने यह झूठी कहानी कैसे बना ली। संभवतः वे इस मामले को मजेदार बनाना चाहते थे। उनके मधुर भाषण के आरोप सर्वथा मिथ्या हैं और अनुमान पर आधारित हैं। पहला अनुमान तो यह है कि पुलिस कई मामलों में उसे पकड़ना चाहती थी और कि वह अपराधी था। हवाई अड्डे के अधिकारी उस का एक स्कूटर ले गए यह थी मिथ्या आरोप है।

वास्तव में क्या बात घटी ? इस आदेश के निकलने पर उस ने आ कर बताया कि वह जाना चाहता है। यह २६ सितम्बर की सुबह की बात है। किन्तु उस से पूर्व एक गैर-सरकारी मुकदमा पेश किया गया था। यह मुकदमा टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से उस राशि की वसूली के लिए था। यह व्यावहारिक मामले का मुकदमा था। उस मुकदमे में जज ने अन्तरिम आदेश दिया था वह निषेधात्मक आदेश नहीं था। यह जब्ती का आदेश नहीं था। हमें जब्ती के आदेश और अन्तरिम आदेश के बीच अन्तर को समझना चाहिये। जब्ती के आदेश में न्यायालय किसी की सम्पत्ति जब्त करने का काम सौंप देता है या किसी को सम्पत्ति के अधिकार सौंप देता है और उसे उत्तरदायी बना देता है। आदेश इस प्रकार है :

"वादी ने शिकायत की है (यहां वादी टाटा सन्स है) श्री वालकॉट के विरुद्ध अमुक . . . . . धारा के अन्तर्गत आदेश दिया जाता है कि विमान पाइपर पी० ए० २३ को सफदरजंग से ले जाने की अनुमति न दी जाय।"

(अन्तर्बाधाएं)

मुझे सारा मामला बताने दीजिए। माननीय सदस्य धैर्य रखें।

"आप को यह भी आदेश दिया जाता है कि आप २८-९-६३ तक नई दिल्ली के डिवीजनल दण्डाधीश श्री एन० एल० कक्कड़ के न्यायालय से २०,००० रुपये की राशि न

[श्री राज बहादर]

निकाले । आप को सूचना दी जाती है कि यदि कोई आपत्ति हो तो २८-९-६३ तक पेश करें यह तारीख सुनवाई के लिए निर्धारित की गई है . . . ।"

इस आदेश की प्रति सफदरजंग हवाई अड्डे के अधिकारियों को भेजी गई थी ।

मैं विधि सम्बन्धी अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि यह जब्ती का आदेश नहीं है। यह अन्तरिम आदेश है । मैं सीमाशुल्क अधिकारियों का आदेश सुना चुका हूं । उन्होंने आदेश की प्रति सुपरिनटेंडेंट पुलिस को भेज दी थी कि श्री वालकॉट को गिरफ्तार किया जायेगा और उसके विमान पर पहरा रखा जायेगा । इस मामले में पुलिस को कुछ नहीं लिखा गया । पुलिस क्या कर सकती है ? पुलिस अपनी मर्जी से कार्यवाही नहीं कर सकती । न्यायपालिका कार्यपालिका से सर्वथा स्वतन्त्र है अतः कार्यपालिका को अन्य क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है । इस आदेश की व्याख्या अन्यथा कैसे की जा सकती थी ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : अन्तरिम आदेश का अन्तरिम काल के लिए पालन किया जाना चाहिये था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री का यह तर्क है कि न्यायालय ने उस व्यक्ति के नाम आदेश दिया था पुलिस अथवा प्रशासन को नहीं लिखा ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : किन्तु न्यायालय हवाई अड्डे के अधिकारियों को प्रति भेजी थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सूचना दी गई थी किन्तु आदेश श्री वालकॉट के नाम था ।

†**श्री राज बहादुर** : हवाई अड्डा सुरक्षा संगठन नहीं है। जो मामला न्यायालय में उस में पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर सकती । पुलिस प्राधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकती थी यदि वह न्यायालय के आदेश के बिना कार्यवाही करती तो यही सदस्य उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते । (**अन्तर्बाधाएं**)

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : श्रीमान् आप न्यायाधीश रहे हैं । न्यायालय ने अन्तरिम आदेश दिया है और सरकार कहती है कि सरकार के किसी अभिकरण का कर्तव्य नहीं कि उस आदेश को लागू करे । तब प्रधान मंत्री बतायें कि यहां अराजकता है ।

†**श्री राज बहादुर** : क्या हवाई अड्डे के अधिकारी या चौकीदार पुलिस का काम कर सकते हैं ? या पुलिस वह काम कर सकती है जिसके लिए उसे नहीं कहा गया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : लोकतंत्र में यही खूबी है कि चाहे विचारों से हम सहमत न हों क्योंकि विचार भिन्न भिन्न होते हैं तब भी हम उन्हें सुनते हैं ।

†**श्री राज बहादुर** : मेरे वरिष्ठ साथी माननीय गृह मंत्री ने आदेश का उल्लेख किया था कि उसी दण्डाधीश ने आदेश दिया था कि वह अपने विमान की देखभाल कर सकता है । सामान्य नियमों के अनुसार यदि मैं किसी देश के स्वतंत्र नागरिक के नाते किसी अन्य देश में कहीं विमान ठहराता हूं तो मुझे उस हेंगर या हवाई अड्डे पर जाने का अधिकार होता है । हम ऐसे हर विमान के सम्बन्ध में अनुमति दे रहे हैं । यदि माननीय मित्र कहते हैं कि यह प्रथा बन्द कर देनी चाहिये तो इससे उड्डयन के मामले में गड़बड़ पैदा हो जायेगी । अतः उसे भी हवाई अड्डे पर हेंगर में जाने

†मूल अंग्रेजी में

की सीमा-शुल्क अधिकारी और दण्डाधीश की ओर से ही अनुमति थी। उन्होंने उसे विमान की देख-भाल की अनुमति दी थी। ऐसा आवश्यक है नहीं तो विमान सर्वथा खराब हो जाये। कई मास के बाद २३ सितम्बर को जेल से निकला। उसके कारावास के दिनों में उसके विमान की देखभाल नहीं की गई थी। अतः उसने विमान की बैटरी चार्ज करने और पेट्रोल भरने की अनुमति मांगी। फिर उसने इंजन चला दिया।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या गैर-सरकारी व्यक्तियों को पेट्रोल डालने की अनुमति होती है? यह नियमों के विरुद्ध है। ऐसा क्यों किया गया?

†**श्री राज बहादुर** : जहां तक इंजन के चलाने का सम्बन्ध है उसके लिए थोड़े पेट्रोल की आवश्यकता होती है। वह डिब्बे में लाया जा सकता है। किन्तु हमारी जांच के अनुसार उसका यह कार्यनियम विरुद्ध है। हमने यह नहीं कहा कि यह नियम विरुद्ध नहीं। किन्तु नियम का उल्लंघन होने पर उसका दण्ड क्या है। इस अपराध में पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर सकती और सम्बन्धित अधिकारी अर्थात् डी० जी० सी० ए० को न्यायालय में विधिवत शिकायत करनी थी। वह न्यायालय नियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में वारंट जारी कर सकता था।

अब कहा जाता है कि उसे रोका क्यों नहीं गया। मैं पूछता हूं उसने किन नियमों का उल्लंघन किया। मैं संक्षेप में प्रकरण संगत बात कहूंगा। पहला नियमोल्लंघन हेंगर में विमान में पेट्रोल डालने का है। इसके लिए २ मास का कारावास या ५०० रुपये तक जुर्माना किया जा सकता था।

चूंकि यह अमरीका में पंजीबद्ध विमान था अतः अमरीका के विनियमों के अधीन विमान की उड़ान के लिए प्रमाणपत्र अपेक्षित था। इसके पास वह भी नहीं था और जैसा मैं ने दूसरी सभा में भी कहा है विमान की जांच के बिना उसका उड़ान करना मूर्खतापूर्ण कार्य था। ये तीन चार छोटे मोटे अपराध थे जो उसने यहां से उड़ान करने के बाद किये थे। उड़ान करने से पहले उसने कोई अपराध नहीं किया।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : वे इस बात का उत्तर नहीं दे रहे कि उनके अधिकारी जानते थे तब उन्होंने अनुमति क्यों दी। वे अपने अधिकारियों की रक्षा कर रहे हैं।

†**श्री राज बहादुर** : ज्योंही उस व्यक्ति ने हेंगर में पहुंच कर बैटरियां निकालीं चौकीदार ने प्रभारी अधिकारी को सूचना दे दी। अधिकारी ने तुरंत जा कर पूछा कि वह क्या कर रहा है। उसने कहा "मैं विमान की देख भाल करने और बैटरियां बदलने के लिये आया हूं क्योंकि मुझे चलाना है।" वह ऐसा कर ही रहा था अतः अनुमति दे दी गई। उसने फिर आ कर टेंक में पेट्रोल डाला। एक अधिकारी ने हेंगर में जा कर जांच की थी। यह कहना गलत है कि अधिकारी ने उसे खुली छूट दे दी थी। इस बीच में वह एक और मामले में फंस गया और अधिकारी सोच रहे थे कि क्या कार्यवाही करनी चाहिये। यदि असैनिक न्यायालय का यह आदेश न होता कि वह विमान को नहीं ले जा सकता तो संभवतः उन्होंने परवाह न की होती।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : उसने नियमों का उल्लंघन तो किया था।

†**श्री राज बहादुर** : किन नियमों का। उसने उड़ान के बाद ही नियमों का उल्लंघन किया है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : आप चोर को चोरी करते हुए पकड़ते हैं या जब वह भाग निकलता है तब पकड़ते हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि सदस्य इस कदर उत्तेजित हो रहे हैं तो . . . (**अन्तर्बाधायें**)

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : वह कहते हैं कि चोर को तभी पकड़ा जाता है जब वह भाग जाय । उन्हें तुरन्त त्याग-पत्र देना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक सदस्य को अपनी इच्छानुसार बात कहने का अवसर मिला । अब उत्तर देना मंत्री का काम है, और वह जो कुछ कहते हैं उसे सुनना ही होगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : बात तो यही है कि वह उत्तर नहीं दे रहे ।

†**श्री राज बहादुर**: मैं जानना चाहता हूं कि वह कौनसे प्रश्न पूछना चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय**: मैं किसी प्रश्न के लिये अनुमति नहीं देता । मेरी कठिनाई तो यह है कि मझे नियंत्रण रखने नहीं दिया जाता । आप अपना भाषण जारी रखें ।

†**श्री राज बहादुर**: मैं फिर दोहराऊंगा कि अपराध कौन से हैं और वह कब किये जा सकते हैं । एक यह है : किसी अन्य देश में पंजीकृत विमान केवल उस व्यक्ति द्वारा चलाया जा सकता है जिसे राज्य के विनियमों के अनुसार उचित लाइसेंस प्राप्त हो । श्री वालकॉट ने जब उड़ान की उनके पास उस तिथि तक लाइसेंस नहीं था । अतः यह अपराध था । परन्तु यह अपराध तभी हुआ जब उस ने उड़ान की । (**अन्तर्बाधायें**) यह पूर्णतः स्पष्ट है । यदि ऐसे अपराधों का पूर्वानुमान हो भी तो उसके लिये क्या उपचार है ? उपचार यह है कि डी० जी० सी० ए० को विधि न्यायालय में नियमित रूप से मुकद्दमा दायर करने के लिये बाध्य किया जाय । डी० जी० सी० ए० उसी समय कोई कार्यवाही नहीं कर सकते थे चूंकि उस सूरत में डी० जी० सी० ए० अथवा चौकीदार अथवा किसी अन्य व्यक्ति को एक पुलिस गार्ड के रूप में कार्य करना पड़ता जो कि वह नहीं कर सकते थे, अथवा ऐसा करने से पूर्व उन्हें आदेश लेने पड़ते । यह कार्यवाही तब तक नहीं की गयी थी । डी० जी० सी० ए० को न्यायालय में जा कर आदेश प्राप्त करने पड़ते थे । मैं यह बता रहा हूं कि हवाई अड्डे के अधिकारी, जिनके बारे में इतना कुछ कहा गया है, क्या कर सकते थे । वह न्यायालय के पास जाने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते थे । (**अन्तर्बाधायें**)

†**श्री रंगा** : कई लोगों को बिना कारण ही गिरफ्तार किया जा रहा है । इस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए था । इस प्रकार के बहाने पेश करके इस सभा की, जनता की और देश की हत्तक की जा रही है । (**अन्तर्बाधायें**)

†**श्री राज बहादुर** : मैं समझता हूं कि विभिन्न विषयों को अनावश्यक तौर पर मिलाया जा रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य मंत्री को सुनना चाहते हैं अथवा नहीं ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस प्रकार का बेमानी उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अपनी ओर से उत्तर देना और तर्क पेश करना उनका काम है । वह मेरी अथवा माननीय सदस्यों की इच्छानुसार उत्तर नहीं दे सकते । हम उनके उत्तर को उचित समझते हैं अथवा नहीं अथवा यह तर्कसंगत है अथवा नहीं इसका निर्णय तो सदस्यों को करना है परन्तु उन्हें अपनी बात को अवश्य कह लेने दिया जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री राज बहादुर : अब मैं इस घटना के अन्तिम प्रक्रम की चर्चा करूंगा । ज्योंही हवाई अड्डे के अधिकारियों को श्री वालकॉट के उड़ने की सूचना प्राप्त हुई उसके ३ मिनट के भीतर उन्होंने वायु बल के राडार यूनिट को फोन किया । राडार यूनिट वालों ने पहले तो यह सोचा कि उन्हें इस मामले में कठिनाई पेश आयेगी क्योंकि जैसा कि मैं ने बताया उनका काम केवल विरोधी विमान को रोकना है जब कि यह मामला ऐसा था जिसमें सिवाय श्री वालकॉट द्वारा यातायात विनियमों का उल्लंघन किये जाने के अन्य किसी बात की रिपोर्ट नहीं की जा सकती थी चूंकि व्यक्तिगत तौर पर उनके विरुद्ध कोई मामला नहीं था । इसलिये उन्होंने कमान्ड से परामर्श किया और अन्त में एक विमान भेजने का निश्चय किया । बाद में वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से परामर्श लेने के बारे में भी उन्होंने निश्चय किया । जब वैदेशिक-कार्य मंत्रालय को मामले के सभी तथ्यों का ज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा कि हम कोई हिंसात्मक कार्यवाही नहीं कर सकते सिवाय इसके कि यदि हम उसे रोक सकें तो रोक लें । परन्तु गोली नहीं चलाई जानी चाहिए क्योंकि अधिक से अधिक यह मामला यातायात विनियमों के अतिलंघन का है । इसलिये, इस तरीके से इस विशेष मामले में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकती थी । और जब कि सभी रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने उत्तर-पश्चिम में लाहौर की ओर उड़ान की, वास्तव में वह कराची के लिये उड़े । एक हंटर को उड़ा कर उन का पीछा करने के लिये आवश्यक अनुमति प्राप्त करने में भी कुछ समय लग गया ।

†श्री हेम बरुआ : हम जानना चाहते हैं कि ढील कितनी समय के लिये की गयी ।

†श्री राज बहादुर : लगभग ५० अथवा ५५ मिनट की ढील हुई । परन्तु इतना समय लिया जाना आवश्यक था ।

इसलिये, जहां तक पीछा करने का प्रश्न है वायु बल ने असाधारण सा काम किया, वास्तव में, वर्तमान नियमों के अन्तर्गत वह एक असैनिक विमान का इस प्रकार पीछा नहीं कर सकते थे ।

आखिरी बात यह कही गयी है कि हमें वालकांट को वापिस लाने के लिये अमरीकी अधिकारियों पर निर्भर रह कर अपने देश को शरमसार नहीं करना चाहिये । अमरीका के साथ हमारी एक पुरानी प्रत्यार्पण संधि है और इस प्रकार की घटना के लिये वहां के अधिकारियों को सूचना देना हमारे अधिकार में है अमरीकी संघीय अधिकारणों तथा उड्डयन अधिकरणों ने हमें आश्वासन दिया कि वह अमरीकी सरकार के और भारतीय विमान नियमों, आदि के अन्तर्गत श्री वालकाट के विरुद्ध जो कार्यवाही करना वांछनीय है वह करेंगे । परन्तु मुझे बताया गया है कि श्री वालकाट कहां पर हैं इस बारे में कुछ मालूम नहीं है ; और कि वह अपने देश से भी पाईपर विमान ले उड़े थे जिसे उन्होंने इजराईल में रखा है ।

अब, इन परिस्थितियों में हमें स्थिति का सामना करना है । परन्तु मैं नहीं समझता कि हवाई अड्डे के अधिकारी अथवा पुलिस तब तक इस मामले में किस प्रकार कार्यवाही कर सकते थे जब तक कि इस विमान के बारे में न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही करने के लिये न कहा जाता ।

इसलिये, श्री नाथ पाई ने जो बातें कहीं हैं वह कुछ पूर्व धारणाओं पर आधारित हैं और उन्होंने केवल कल्पना के आधार पर सारी कहानी गढ़ी है । मैं समझता हूं कि इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी विशेषकर जब कि श्री नाथ पाई जानते थे कि इस विषय का एक प्रश्न आज की प्रश्न सूची में रखा गया है । उस प्रश्न के पूछे जाने के पश्चात् यदि वह उचित समझते तो स्थगन प्रस्ताव लाते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नाथ पाई** : श्री नन्दा का भाषण सुन कर मुझे अत्यन्त खेद हुआ है। मैं वर्ष १९४२ में उन के साथ जेल में रहा हूं, और तब से मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं परन्तु मैं नहीं जानता था कि अपनी वक्तृता दिखाते हुए वह इतने महत्वपूर्ण मामले की अवहेलना करेंगे जिसके बारे में सदन के सभी वर्ग चिन्तित हैं। वह केवल यह दिखाना चाहते हैं कि वह बहुत सतर्क थे।

हम सब और देश इस बात की आशा करते थे कि प्रस्तुत प्रस्ताव द्वारा उपलब्ध अवसर पर गृह मंत्री आश्वासन देंगे कि स्थिति इतनी खराब नहीं है जितनी कि हम समझते हैं। परन्तु इस की बजाय उन्होंने केवल वक्तृता। दिखाने का प्रयत्न किया।

इससे भी बुरी बात यह है कि मुझे नीचा दिखाने की दृष्टि से उन्होंने यह आक्षेप लगाया कि मैं इस स्थिति से फायदा उठा रहा हूं और यह आक्षेप भी लगाया कि अध्यक्षपीठ द्वारा मुझे अनुमति दे कर बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई गयी। आज उन्होंने एक अच्छा उदाहरण उपस्थित नही किया।

बार बार उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि श्री वालकाट को रोकने का आदेश केवल एक गैर-सरकारी सार्थ के कहने पर न्यायालय द्वारा जारी किया गया था। गैर-सरकारी सार्थ की चर्चा करने का अर्थ क्या यह नहीं है कि इस देश का कानून व्यक्तियों में भेदभाव करता है। श्री राज बहादुर ने कहा कि पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर सकती थी। यदि पुलिस एक न्यायालय के आदेश को लागू नहीं करती तो क्या साधु समाज ऐसा करता है? गृह-मंत्री ने कहा कि मुख्य बात यह थी कि वह जाने के लिये स्वतन्त्र थे। यदि ऐसा था तो फिर आपने अमरीकी दूतावास को नोट क्यों भेजा और विमानों को उसका पीछा करने के लिये क्यों आदेश दिया। यदि श्री वालकॉट देश से बाहर जाने के लिये स्वतन्त्र थे तो इन सब का कोई अर्थ नहीं निकलता।

सरकार की ओर से दिया गया तर्क बहुत दिलचस्प है। श्री वालकाट के विमान को इस लिये नहीं रोका जा सका क्योंकि वह मन्द गति से और बहुत नीची उड़ान कर रहे थे। और चीनी विमानों को इस लिये रोका नहीं जा सकता क्योंकि वह बहुत तेज और ऊंची उड़ान करते हैं।

†**श्री राज बहादुर** : मैं केवल एक धारणा को स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं ने यह कहा था कि नीची उड़ान कर रहे विमान को राडार स्क्रीन पर खोज निकाला नहीं जा सकता।

†**श्री नाथ पाई** : सभा को स्मरण होगा कि जब कभी यह पूछा गया कि पाकिस्तानी और चीनी विमानों को क्यों नहीं रोका जा सका तो प्रधान मंत्री ने उत्तर दिया कि चूंकि वह विमान तीव्र गति से और ऊंची उड़ान करते हैं इसलिये राडार में भी उन्हें खोजना कठिन होता है।

श्री नन्दा और श्री राज बहादुर को सुनने पर यह धारणा बनती है कि श्री वालकॉट गुणों के देवता थे। यह एक आश्चर्यजनक बात है।

जब मैंने बिस्कुटों वाली बात कही तो कहा गया कि मैं कल्पना की बात कर रहा हूं। परन्तु प्रेस में यह खबर पढ़कर मैंने कही थी कि श्री वालकांट ने अपने जेल के साथियों के लिये बिस्कुट फेंके। मेरी सूचना का साधन समाचार पत्र ही थे।

मंत्री ने कहा कि वह स्वतन्त्र थे। परन्तु क्या वे कारतूसों के पांच डिब्बे आयात करने में स्वतन्त्र थे? वह कारतूस पालम से सफदरजंग हवाई अड्डे तक कैसे ले जाये गये?

श्री राज बहादुर ने कुछ अजीब बातें कहीं। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डा सुरक्षा बल नहीं है। परन्तु हमारा तर्क तो यह था कि प्रत्येक हवाई अड्डे में सुरक्षा बल की व्यवस्था होनी चाहिये। अब

---

†मूल अंग्रेजी में

भी हम यह जानना चाहते हैं कि क्या हवाई अड्डों पर सुरक्षा के प्रयोजनार्थ सशस्त्र बल रखे गये हैं ? इस बात का उत्तर सन्तोषजनक ढंग से नहीं दिया गया है ।

श्री मुहीउद्दीन ने स्वयं यह कहा था कि यह मामला एक गम्भीर मामला है । उनका यह कथन सत्य पर आधारित था । उन्होंने यह बात प्रशासनिक सम्मान को एक तरफ रख कर कही । उन्होंने यह बात भी बताई कि जांच की जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि उस जांच का क्या परिणाम निकला ? इस देश में किसी भी मामले में दोषी को दण्ड नहीं दिया जाता । दोषी को खोजने का प्रयत्न नहीं किया जाता । हम चाहते हैं कि इस मामले में दोषी को ढूंढ़ कर उसे दण्ड दिया जाय ।

अन्त में मैं उन्हें एक सुझाव देना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को होने से रोका जाय । अब भी मेरे इस सुझाव पर विचार किया जाय कि एक सुरक्षा परिषद् बनाई जाय जो देश की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में विचार करे । यदि आप मेरा यह सुझाव स्वीकार करें तो हम समझेंगे कि इस वाद-विवाद का उद्देश्य प्राप्त हो गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिये रखूंगा । प्रश्न यह है :

"कि सभा की कार्यवाही अब स्थगित की जाय "

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में ४६ ; विपक्ष में २५४ ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलना

रेन स्टेशन के पास रेलवे फाटक पर ट्रेन और बस की टक्कर

†**श्री प्र० चं० बरुआ** (शिवसागर) : मैं रेलवे मंत्री का ध्यान निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"१६ नवम्बर, १६६३ को, उत्तरी रेलवे के जोधपुर डिवीजन में, रेन स्टेशन के निकट एक बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटक पर, ट्रेन और बस में कथित टक्कर जिस के परिणामस्वरूप आठ व्यक्ति मारे गये ।"

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** १८–११–१६६३ को १७ बजकर २३ मिनट पर जब मालगाड़ी संख्या जे ११४ डाउन मेरटा रोड से फुलेरा जा रही थी तो रेन स्टेशन से गुजरने के पश्चात रेन स्टेशन के अप बाहरी और भीतरी सिगनलों के बीच स्थित बिना चौकीदार के एक रेलवे फाटक पर एक यात्री बस से टकरा गयी ।

इस के परिणाम स्वरूप बस टूट गयी और यात्रा कर रहे ३४ व्यक्तियों में आठ व्यक्ति वहीं पर मर गये । शेष यात्रियों को प्रथम चिकित्सा उपचार के लिये पहले मेरटा रोड के रेलवे अस्पताल में ले जाया गया । इन यात्रियों में से ग्यारह को मेरटा रोड अस्पतल से छुट्टी दे दी गयी और शेष १५ यात्रियों को जोधपुर के असैनिक अस्पताल में उपचार के लिये भेज दिया गया । हाल की सूचना के अनुसार ६ व्यक्ति अस्पताल में दाखिल किये गये जिन में से ५ बुरी तरह घायल हुए बताये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शाहनवाज खां]

रेलवे के चिकित्सा अधिकारियों सहित चिकित्सा डिब्बे के साथ सहायक गाड़ी मेरटा रोड से भेज दी गयी थी जो दुर्घटना स्थान पर १८ बजकर ४७ मिनट पर पहुंच गयी थी।

सहायता कार्यों में सहयोग देने के लिये, सूचना प्राप्त होने के तुरन्त पश्चात्, उत्तरी रेलवे के अन्य डिवीजनल अधिकारी तथा डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट, जोधपुर दुर्घटना के स्थान पर पहुंचे। जिला तथा पुलिस अधिकारी भी दुर्घटना के तुरन्त पश्चात् दुर्घटना स्थान पर पहुंचे।

दुर्घटना के कारण की जांच करने के लिये एक अधिकारी की नियुक्त किया गया है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ:** मैं जानना चाहता हूं कि इस रेलवे फाटक पर चौकीदार क्यों नहीं रखा गया था ?

†**श्री शाहनवाज खां :** रेलवे फाटकों पर यातायात के बहुतात को दृष्टि में रखते हुए ही चौकीदार रखे जाते हैं। जिस रेलवे फाटक पर यह दुर्घटना हुई वहां के यातायात को देखते हुए चौकीदार की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी घटनायें अपेक्षा होती रहती हैं और लोग मरते रहते हैं, खास तौर से लेबिल क्रौसिंग की जगह पर। मंत्री महोदय ने हमेशा इस पर बयान दिये हैं। लेबिल क्रौसिंग जहां पर हैं जहां ज्यादा ट्रैफिक गुजरती है और ऐसी दुर्घटनायें होती रहती हैं तो उनको न होने देने के लिये उनके नीचे से कोई सड़क निकालने की व्यवस्था रेलवे मंत्रालय की ओर से की जायेगी ? या नहीं की जायेगी।

श्री शाहनवाज खां : जहां इस चीज की जरूरत महसूस की जाती है, ऊपर या नीचे से ले जाने की व्यवस्था रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से करता है।

श्री बड़े : इस एक्सीडेंट के सम्बन्ध में जो इनवैस्टिगेशन किये जाने की व्यवस्था की जा रही है तो यह इन्वैस्टीगेशन रेलवे अथारिटीज कर रही हैं या कोई एक इंडिपेंडेन्ट एथारिटी कर रही है ?

श्री शाहनवाज खां : रेलवे अफसरान की एक कमेटी बना दी है जो कि यह जांच पड़ताल का काम करेगी।

श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि १ नवम्बर, १९६२ से १८ नवम्बर १९६३ तक ऐसी दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मरे हैं इन में जनता के जान माल आदि की कितनी हानि हुई है और उस हानि की पूर्ति सरकार द्वारा किस प्रकार से की गई ?

अध्यक्ष महोदय : अब इस सवाल में वह सारी चीज कैसे आ गयी ? क्या मंत्री महोदय यह सब बतला सकते हैं ?

श्री शाहनवाज खां : जी नहीं।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं रेलवे मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि जो लोग खत्म हुए हैं उन के परिवार व आश्रितों को क्या एक्सग्रेशिया पेमेंट किया जायेगा ? इस तरह की कोई व्यवस्था इस में मालूम नहीं पड़ती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री शाहनवाज खां : जैसा मैं ने अर्ज किया आफिसर्स की एक कमेटी बनाई जा रही है और वह इस बात की जांच कर रही है कि यह कसूर किस का है। अगर रेलवेज इस के लिए कसूरवार ठहरेगी तो उस के बाद में यह मुआविजा देने की बात चलेगी।

श्री कछवाय : मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : उन्हों ने जवाब दे तो दिया।

श्री कछवाय : मैं ने पूछा था कि पिछले एक साल में कितने आदमी मरे अथवा घायल हुए और उन की क्षतिपूर्ती किस प्रकार से की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि इस के वास्ते उनके पास आंकड़े मौजूद नहीं हैं।

श्री विश्राम प्रसाद : जिस वक्त बस क्रौस कर रही थी तो गेट बंद था या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : वह कहत हैं कि गेट ही नहीं था। इसलिए बंद होने या बंद न होने का तो सवाल ही नहीं उठता। क्या गेट था ?

श्री शाहनवाज खां : जी नहीं। जब गेट नहीं था तो उसके बंद होने या न होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, २० नवम्बर, १९६३/कार्तिक २९, १८८५ (शक) ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंगलवार, १९ नवम्बर, १९६३

२८ कार्तिक, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१३३—५६
तारांकित प्रश्न संख्या		
३१	भूमि सर्वेक्षण	१३३—३५
३२	पाक-चीन हवाई समझौता	१३५—३७
३३	पर्यटन का विकास	१३७—४०
३४	कृषि उत्पादन	१४०—४३
३५	चीनी मिलों को गन्ने का संभरण	१४४—४७
३६	चीनी	१४८—५१
३७	एशिया और सुदूरपूर्व में कृषि	१५१—५५
३८	ग्राम स्वयंसेवक दल	१५५—५६
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१५७—२१३
तारांकित प्रश्न संख्या		
३९	रेलों में सोने का स्थान	१५७
४०	रेलवे जोन	१५७—५८
४१	अखिल भारतीय कृषि सेवायें	१५८
४२	आगरा के निकट विमान दुर्घटना	१५८—५९
४३	विस्फोटक पदार्थों की चोरी	१५९
४४	कलकत्ता में वृत्ताकार रेलवे	१६०
४५	पैकज प्रोग्राम	१६०
४६	डाकखाने	१६१
४७	कानपुर में माल की बुकिंग	१६१
४८	पर्यटकों के लिये शराब के परमिट	१६१—६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

	विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या		
४९	जन्म-शताब्दी टिकटें	१६२
५०	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये एवरो ७४८—विमान	१६२–६३
५२	भारत-इंगलिस्तान यूरोप मार्ग पर नौवहन सेवा	१६३
५३	श्री वाल्कट का निकल भागना	१६४—१६६
५४	कृषि के लिये अतिरिक्त धन	१६७
५५	सहकारी खेती	१६७–७८
५६	खाद्यान्नों का मूल्य	१६८
५७	दिल्ली दुग्ध योजना	१६८–६९
५८	पी० एल० ४८० करार	१६९
५९	रेलवे दुर्घटना समिति	१७०
६०	बालाघाट में टेलीफोन सेवा	१७०
अतारांकित प्रश्न संख्या		
६६	फलों का परिरक्षण	१७०–७१
६७	सामुदायिक विकास खंड	१७१
६८	उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन	१७१
६९	केन्द्रीय सड़क निधि	१७२
७०	अनुसन्धान योजना	१७२
७१	उत्तर प्रदेश की सहायता	१७२
७२	पर्यटकों के लिये पश्चिमी ढंग का आवास स्थान	१७३–७४
७३	विशेष टिकटें	१७४
७४	डाक और तार भवन	१७४–७५
७५	वाल्टेयर स्टेशन	१७५
७६	रेलवे लाइनों के साथ साथ कृषि योग्य भूमि	१७५
७७	बाढ़ से फसलों की क्षति	१७६
७८	चीनी की मिलों का बन्द होना	१७६
७९	उर्वरकों का मूल्य	१७६–७७
८०	ग्राम स्वयं सेवक दल	१७७
८१	मनीआर्डर फार्म	१७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
८२	धान के खेतों में पत्तियां सुखा देने वाली बीमारी	१७८
८३	नौवहन निगम	१७८–७६
८४	कानपुर के पास रेलों की टक्कर	१७६
८५	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	१७६
८६	सिलिगुड़ी और जोगी घोपा के बीच रेलवे लाइन	१८०
८७	गोहाटी से अपर आसाम तक पैसन्जर रेल गाड़ी	१८०
८८	उत्तर रेलवे वर्कशाप	१८०–८१
८६	हिन्दुस्तान शिपयार्ड	१८१
६०	जहाजों को मौसम सम्बन्धी सूचना देने वाले केन्द्र	१८२
६१	भारतीय नौ सेना के लिये सर्वेक्षण पोत	१८२–८३
६२	डेरी सहकारी समितियां	१८३
६३	क्षारीय मिट्टी में गन्ने की खेती	१८३–८४
६४	दिल्ली परिवहन	१८४
६५	केन्द्रीय भाण्डागार निगम	१८४
६६	डाक और तार कर्मचारी	१८४–८५
६७	घुमक्कड़ पशुपालक	१८५
६८	चर्चगेट और ग्रांट ट्रंक रोड स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन	१८५
६६	कलकत्ता हैलीकोप्टर सेवा	१८६
१००	गेहूं का किरणीयन	१८६
१०१	ऋषिकेश रेलवे स्टेशन	१८७
१०२	दिल्ली में यमुना पर नावों का पुल	१८७
१०३	दिल्ली में वजीराबाद पुल	१८७
१०४	तूफान एक्सप्रैस	१८८
१०५	रेडियो फोटो सम्पर्क	१८८
१०६	दिल्ली में दूध का संकट	१८८–८६
१०७	सहकारी चावल मिलें	१८६
१०८	केरल में पैकेज प्रोग्राम	१८६–६०
१०६	केरल में छोटे पत्तन	१६०
११०	अमेरीका से खरीदा गया चावल	१६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१११	लौह-अयस्क का परिवहन	१९१
११२	पोर्ट ब्लेयर को भेजी जाने वाली डाक	१९१–९२
११३	भूख से मुक्ति	१९२
११४	पंचायती राज	१९२–९३
११५	रेल दुर्घटना	१९३
११६	राजस्थान में सूखे की स्थिति	१९४
११७	पटसन	१९४
११८	टेलीफोन कनेक्शन	१९५
११९	कुमारी अन्तरीप तथा तिरुनेलवेल्ली के बीच रेलवे लाइन	१९५
१२०	सूखी गोदी, विशाखापटनम	१९६
१२१	चीनी मिल, देवरिया	१९६
१२२	राजस्थान में पशु प्रजनन फार्म	१९६
१२३	रेलवे डाक सेवा	१९७
१२४	सहकारी समितियों द्वारा चावल का समाहार	१९७
१२५	कनाडा से गेहूं का ऋण	१९७
१२६	अहिल्यापुर स्टेशन	१९७–९८
१२७	दिल्ली दुग्ध केन्द्र के दूध की शुद्धता	१९८
१२८	परिवहन सहकारी समितियां	१९९
१२९	कृषि समितियां	१९९–२००
१३०	कोंकण नौघाट सेवा	२००
१३१	लंका स्टेशन	२००
१३२	खेती के योग्य बंजर भूमी	२०१
१३३	बाराबंकी स्टेशन पर दुर्घटनायें	२०१
१३४	कृषि प्रयोजनों के लिये ऋण	२०१ ०२
१३५	द्वितीय वेतन आयोग	२०२
१३६	टुलीहल हवाई अड्डा	२०२
१३७	रेलवे विभाग में अंग्रेजी का प्रयोग	२०२–०३
१३८	उज्जैन में रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	२०३
१३९	सहकारी पैकेज प्रोग्राम जिले	२०३–०४
१४०	डिब्बों की मरम्मत करने वाला कारखाना	२०४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१४१	वन्य पशुओं सम्बन्धी डाक टिकटें .	२०४–०५
१४२	गोलथेमी घाट (बिहार) में पुल .	२०५
१४३	फसलों को हानि . .	२०५–०६
१४४	हिन्दुस्तान शिपयार्ड	२०६
१४५	सड़क विकास . .	२०६–०७
१४६	तारघर . . .	२०७
१४७	दिल्ली-बुलन्दशहर रेलवे सम्पर्क .	२०७
१४८	धान-बीज सम्बन्धी अनुसन्धान . .	२०७
१४९	राष्ट्रीय राजपथ संस्था ३७ .	२०७–०८
१५०	आसाम को विमान सेवायें .	२०८
१५१	रेलगाड़ियों में प्रथम श्रेणी का स्थान	२०८
१५२	कानपुर के निकट गंगा पर पुल .	२०९
१५३	पंजाब को चीनी का कोटा	२०९
१५४	उत्तर रेलवे में नियुक्तियां .	२०९–२१०
१५५	जड़ी बूटियां	२१०
१५६	कांगड़ा घाटी रेलवे का पुनः मार्ग रेखा निर्धारण . .	२१०
१५७	रामनगर तक बड़ी रेलवे लाईन . . .	२१०–११
१५८	धनमंडल पर दुर्घटना .	२११.
१५९	ग्रामीण समितियों का पुनर्गठन . .	२११–१२
१६०	सिल्चर इम्फाल शटल विमान सेवा . .	२१२
१६१	गोइलकेडा में डाकखाना . .	११२
१६२	बाक्स वेंगन	२१२–१३
स्थगन प्रस्ताव और कार्यवाही वृतान्त में शुद्धी के बारे में .		२१३–१८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .		२१८–२४

श्री स० मो० बनर्जी ने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारियों की हाल की जासूसी की गतिविधियों की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ·

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) ने इस संबन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र २२४–२५

(१) प्रशुल्क आयोग अधिनियम १९५१ की धारा १६ की उप धारा (२) के अन्तर्गत निम्निलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) रंग उद्योग के संरक्षण के पुनरावलोकन के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६२) ।

(दो) दिनांक १३ नवम्बर, १९६३ का सरकारी संकल्प संख्या ५२ (१)-टार /६२।

(तीन) एक विवरण जिस में इस के कारण बताये गये हैं कि उपरोक्त (एक) और (दो) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक एक प्रति उक्त उप-धारा में निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी ।

(२) वणिक् नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४५८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक १३ जुलाई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११८७ में प्रकाशित समुद्री यात्रियों के लिये राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड नियम, १९६३ की एक प्रति ।

(३) चावल कूटना उद्योग (विनियमन), अधिनियम १९५८ की धारा २२ की उपधारा (४) के अन्तर्गत निदनांक १७ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४६९ में प्रकाशित चावल कूटना उद्योग (विनियमन तथा लाइसेंस देना) संशोधन नियम, १९६३ की एक प्रति ।

(४) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १२ अक्तूबर, १९६३ की अधिसूचना संख्या १६३४ में प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) आठवां संशोधन, नियम, १९६३ की एक प्रति ।

(५) चीनी और गुड़ और गन्ने के मूल्यों की समस्याओं के बारे में एक वक्तव्य ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य २२५–२९

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अ० म० थामस) ने चावल के उत्पादन मूल्य आदि के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक पुरस्थापित २२९

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्ज न (संशोधन) विधेयक, १९६३

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के बारे में प्रस्ताव . . . २३०–४२

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) द्वारा २१ सितम्बर, १९६३ को सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के गठन के बारे में प्रस्तुत प्रस्तावों पर तथा १८ नवम्बर, १९६३ को प्रस्तुत तत्सम्बन्धी संशोधनों व स्थानापन्न प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव	२४३–६३
अध्यक्ष महोदय ने सफदरजंग हवाई अड्डे से एक हवाई जहाज में श्री वाल्काट के भाग जाने के बारे में स्थगन प्रस्ताव को, जिस की सूचना श्री नाथ पाई ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति दी। प्रस्ताव पर चर्चा हुई। श्री नाथ पाई ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ, पक्ष में ४९, विपक्ष में २५४। तदनुसार प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	२६३–६५
श्री प्र० चं० बरुआ ने उत्तर रेलवे के जोधपुर डिवीजन में रेन स्टेशन के पास एक बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटक पर १८ नवम्बर, १९६३ को हुई रेल और बस की कथित टक्कर, जिस में आठ व्यक्ति मर गये, की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाया।	
रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।	
बुधवार, २० नवम्बर, १९६३ / २९ कार्तिक, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि	
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के गठन के बारे में प्रस्तावों पर अग्रेतर चर्चा और आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर विचार तथा उसे पारित किया जाना।	

GMGIPND—LS III—1501—LSD—16-12-63—160

श्री नन्दा २४६–५२
श्री स्वैल २५२–५३
श्री हिम्मत सिंहजी २५३
श्री रामसेवक यादव २५३–५८
श्री राज बहादुर २५८–६३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना २६३–६५

रेन स्टेशन के पास रेलवे फाटक पर ट्रेन और बस की टक्कर ।

दैनिक संक्षेपिका २६६–७२

———

L.S. 41 XXII. 2. 63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित